IMPACT FACTOR 7.012 2023

Year 15 (01) Vol. XXVIII
February 2024

ISSN : 0976-8149
UGC List No. 48216
I.S.O. 9001-2015

Manglam

Half Yearly Journal of Humanities & Social Sciences

मङ्गलम्

मानविकी एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका

A Peer Reviewed 'Refereed' Journal

Editor
Dr. Dinkar Tripathi

Manglam Sewa Samiti, Prayagraj (U.P.) India
(Regd. Under Society Registration Act 21, 1860)

सम्पादक :

डॉ० दिनकर त्रिपाठी

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग

फीरोज़ गाँधी कॉलेज, रायबरेली–229001 (उ.प्र.) भारत

1304/A आचार्य द्विवेदी नगर, जेल रोड, रायबरेली–229001 (उ.प्र.) भारत

मो० : 91-7398180008

Email : drdinkartripathi@gmail.com

प्रकाशक :

मङ्गलम् सेवा समिति

शिवम् अपार्टमेन्ट, नया ममफोर्डगंज, प्रयागराज–211002 (उ.प्र.) भारत

मो० : 91-9044666672

Website : www.manglamallahabad.com

Email : manglamjournal01@gmail.com
manglamsewasamiti@gmail.com

तकनीकि सहयोग :

डॉ० (श्रीमती) वंदना त्रिपाठी

मो० : 91-7398180009

Email : tripathivandana01@gmail.com

आवृत्ति :

अर्द्धवार्षिक

प्रथम अंक : फरवरी

द्वितीय अंक : अगस्त

मूल्य :

विदेश में : **$13**

देश में : **₹1000**

मङ्गलम् (अर्द्धवार्षिक द्विभाषीय) शोध पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दृष्टि, विचार और अभिमत लेखकों के अपने हैं, सम्पादक के नहीं। इनमें सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। अतः पत्रिका के सम्पादक एवं प्रकाशक पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विवाद माननीय न्यायालय प्रयागराज में ही विचारणीय होंगे।

PATRONS

- **Prof. P.C. Trivedi**, Ex. Vice Chancellor, Jay Narayan Vyas University, Jodhpur (Rajasthan)
- **Prof. Manoj Dixit**, Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Rajasthan)
- **Prof. D.P. Tiwari**, Vice Chancellor, Jai Minesh Adivasi University, kota, (Rajasthan)
- **Prof. Sri Prakash Mani Tripathi**, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak (M.P.)
- **Prof. Sanjeev Kumar Sharma**, Ex. Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central, University of Bihar, Motihari (Bihar)
- **Prof. Suresh Chandra Pandey**, University of Allahabad, Prayagraj (U.P.)
- **Prof. Ram Hit Tripathi**, Ex. Principal, Pt. Mahadev Shukla Krishak Post Graduate College Gaur, Basti (U.P.)
- **Prof. R.N. Tripathi**, Member, Uttar Pradesh Public Service, Commission, Prayagraj (U.P.)
- **Prof. M.S. Kambli**, University of Mumbai, Mumbai (Maharashtra)
- **Prof. Umesh Prasad Singh**, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
- **Prof. Ramjee Tiwari**, University of Mumbai, Mumbai (Maharashtra)
- **Prof. A.K. Kaul**, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
- **Prof. A.K. Srivastav**, University of Lucknow, Lucknow (U.P.)

EDITORIAL BOARD

- **Prof. Rama Shankar Mishra**, University of Lucknow (U.P.)
- **Prof. Rajendra Singh Chauhan**, Himachal Pradesh University Shimla (Himachal Pradesh)
- **Prof. Anand Kumar Srivastav**, Ex. Principal, CMP College, University of Allahabad, Prayagraj (U.P.)
- **Dr. Diwakar Tripathi**, Dr. Rammanohar Lohia Awadh University, Ayodhya (U.P.)
- **Dr. Ritesh Tripathi**, C.M.P. Degree College, University of Allahabad, Prayagraj (U.P.)

- **Prof. Noor Mohhammad**, University of Delhi, Delhi
- **Prof. R.K. Mishra**, University of Lucknow (U.P.)
- **Prof. Geeta Tripathi**, Ganpat Sahai P.G. College, Sultanpur, Dr. Rammanohar Lohia Awadh University, Ayodhya (U.P.)
- **Prof. Lokesh Tripathi**, Baba Raghav Das PG College Deoria, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)
- **Dr. Bhasker Shukla**, Hemwati Nandan Bahuguna Government P.G. College Naini, PRS University, Prayagraj (U.P.)
- **Dr. Vandana Tripathi**, Basic Education Board, Raebareli (U.P.)

ADVISORY BOARD

- **Prof. Anand Prakash Tripathi,** Dr. Hari Singh Gour University, Sagar (Madhya Pradesh)
- **Prof. K.K. Pandey**, Ex. Principal, DAV College Lucknow (U.P.)
- **Prof. R.S. Aadha**, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, (Rajasthan)
- **Prof. Nagendra Pratap Chauhan**, B.R.A. Bihar University, Muzzaferpur, (Bihar)
- **Prof. Anupam Sharma**, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, (M.P.)
- **Prof. Ravindra Kumar Sharma**, Kurukshetra University, Haryana
- **Prof. Mamta Mani Tripathi**, Udit Narayan P.G. College, Kushinagar, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)
- **Dr. Meera Pal**, Uttar Pradesh Rajshree Tandon Open University, Prayagraj (U.P.)
- **Dr. Shyam Prasad Saidal**, Bal Kumari Mahavidyalaya, Narayangarh, Chitwan, (Nepal)
- **Dr. Digvijay Nath Rai**, Agra College, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra (U.P.)
- **Dr. Joydeb Garal**, University of Chittagong (Bangladesh)
- **Dr. Sanjay M. Wagh**, S. Gholap Arts Science & G. Pawar Commerce College, Shivle, University of Mumbai, Mumbai (Maharashtra)
- **Dr. Mohd. Younes Bhat**, Government Degree College Kulgam, University of Jammu (J & K)
- **Dr. Sheelam Bharti**, Mata Sundari College for Women University of Delhi, Delhi

सम्पादकीय

''संस्कार'' मानव जीवन को उन्नत, पवित्र एवं भास्वर बनाने के लिए लिए जाने वाले विविध शुद्धिपरक धार्मिक क्रियाओं तथा मनुष्य के कायिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्करण हेतु सम्पद्यमान अनुष्ठानों का नाम है। संस्कार के माध्यम से ही मनुष्य में विलक्षणतापूर्ण सद्गुणों का विकास सम्भव रहा है। भारती के अन्तर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, शीक्षा, संस्करण, सौजन्य, परिष्करण, शोभा, अलंकरण, शुद्धिक्रिया, धार्मिक विधान, अभिषेक, कार्यपरिणाम, विचार, भावना, धारणा और क्रिया की विशिष्टता आदि अनेक अर्थों में संस्कार शब्द को प्रयुक्त किया गया है। मीमांसकों के विचार में यज्ञाङ्गभूत हवि आदि की सविधि शुद्धिपूर्ण क्रिया ही संस्कार है। जबकि अद्वैत वेदान्तमत में जीव पर शारीरिक क्रिया के मिथ्यारोपण कर्म को संस्कार कहा गया है। नैयायिक अवधारणा में संस्कार भावों को व्यक्त करने की आत्मव्यंजक शक्ति स्वीकृत है।

ध्यानार्ह तथ्य हैं कि संस्कार शब्द का अन्य भाषाओं में अनूदन करना युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि विचार करने पर सुस्पष्ट होता है कि अंग्रेजी का Ceremony (सीरीमनी) शब्द तथा लैटिन भाषा का Caerimonia (सीरीमोनिया) जैसे शब्दों में संस्कार के सच्चे अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। क्योंकि स्वयं में संस्कार शब्द की जो निष्पत्तिपरक अर्थबोधकता हैं। वह अनुवाद से अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त करती है। यह भी अवधेय है कि संस्कार शब्द से मात्र धार्मिक विधिविधानों, कर्मकाण्डों, अनुशासित अनुष्ठानों, औपचारिकताओं आदि का भाव ही नहीं ग्राह्य है। यदि हम अन्य भाषाओं में संस्कार शब्द के सटीक आशय वाले शब्द का अनुसंधान करें तो अंग्रेजी के Sacrament सेक्रामेण्ट शब्द से उपयुक्त भाव की प्राप्ति अधिक प्रतिशत में प्राप्तव्य है। सेक्रामेण्ट का आशय उस विधिविधान अथवा कर्मानुष्ठान से है, जो आत्मिक तथा आन्तरिक सौन्दर्य की वाह्य और दृश्यमान प्रतीक की मान्यता प्राप्त करता है।

अतः इसे और स्पष्ट रुप में हम कह सकते हैं कि सेक्रामेण्ट शब्द का अर्थ किसी बचन अथवा प्रतिमा की पुष्टि, रहस्यात्मक महत्त्व वाली वस्तु, पवित्र प्रभाव और प्रतीक से ग्रहण किया जाना उचित होगा। जो व्यावहारिक रूप में वपतिस्मा, सम्पुष्टि, यूखारिस्त, व्रत (पीनान्स) अभ्यंजन (एकस्ट्रीम अंकशन), आज्ञा और वैवाहिक व्यवस्था के सात कर्तव्यों के निमित्त किए जाते रहे। सनातन संस्कृति एवं समाज में संस्कारों की आनुष्ठानिक विधिव्यवस्था का प्रादुर्भाव वैदिककाल किंवा उससे भी पूर्वतन हो चुका था, ऐसी धारणा के सान्दर्भिक प्रमाण वेदों में समुपलब्ध हैं। वेदाङ्ग के सूत्रसाहित्य में इनकी सविधि व्यवस्था विस्तार से विहित की गई हैं। वस्तुतः संस्कार व्यंजक और प्रतीकात्मक अनुष्ठान हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं का

प्रकटीकरण करते हैं। जैसे अनगढ़ काष्ठ को तक्षक काटछाँट कर सुडौल आकृति का स्वरूप प्रदान कर देता है, जो सर्वजन के आकर्षण का केन्द्र बन जाता है, वैसे ही संस्कार अनुष्ठान के माध्यम से व्यक्ति को सुसंस्कृत, भास्वर और आदर्श रूप प्रदान किया जाता रहा है। विश्व के अनेक देशों में संस्कार के विधान करणीय रहे हैं, जिहें अपनी मान्यताओं एवं परम्पराओं में विभिन्न देशवासी सम्पन्न करते हैं। विभिन्नप्रकार के अभ्यास का बीजारोपण कर संस्कार व्यक्ति को उन्नत क्रियाशील बनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को पोषण, सम्बर्धन और धारण संस्कारों द्वारा ही सम्भव रहा है। संस्कार विधानों द्वारा मनुष्य सहजरूप में अपने आप को सामाजिक, नैतिक मूल्यों और परम्परागत मान्यताओं के अनुकूल निर्मित कर लेता है। संस्कार जीवन के विविध पक्षों, अवसरों और परिस्थितियों के महत्त्व और पवित्रता को स्थापित करने में समर्थ होते हैं। संस्कारगत प्रतीकात्मकता व्यक्ति में अपूर्वशक्ति का उद्भावन करती है। व्यक्ति को असमंजस, ऊहापोह तथा किंकर्तव्यविमूढ़ता से संस्कार उबारकर सद्यः सहारा प्रदान करते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने हिन्दू संस्कारों की अप्रतिम उपयोगिता से ही उनके अनुष्ठान की अनिवार्यता प्रदान कर सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन में अपरिहार्यता का ख्यापन किया हैं। जिसे हिन्दू समाज सदा शिरोधार्य किए रहा है।

मङ्गलम् शोध जर्नल का वर्ष 15(1) अंक XXVIII जनवरी का यह पुष्प अपनी अन्वेषिता की यात्रा में अन्वेषकों के अन्वेषणों से मण्डित शोधलेखों को प्रस्तुत कर विचारकों एवं विज्ञ महानुभावों से सुझावों की सादर अपेक्षा करता हैं।

दिनकर त्रिपाठी

(डॉ० दिनकर त्रिपाठी)
सम्पादक

ISSN-0976-8149

विषयानुक्रम

क्र.सं. | शोधपत्र / शोधार्थी | पृष्ठ

1. **The Sunlit World of Mariposa and Malgudi : A Comparative Study of Stephen Leacock and R.K. Narayan** 1-9
   - Dr. Mohit Mani Tripathi
2. **Breaking Barriers: The Impact of Women in Politics and the Need for Increased Representation** 10-31
   - Sweta Rani, Prof. Sanjay Shrivastava
3. **A study of occupational structure of worker in Basti District, Uttar Pradesh** 32-44
   - Dr. Hani Mishra, Deep Narayan
4. **To Study the Effect of Emotional Maturity on Organizational Citizenship Behaviour of the Employees** 45-52
   - Monika Ranjan, Prof. Shailendra Prasad Pandey
5. **Issues of Ethics in Artificial Intelligence : A Study** 53-57
   - Shalini Anand, Rubina Verma
6. **Effectiveness of Play Therapy in Management of Pre-School Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)** 58-65
   - Ankita Tripathi, Dr. Shailendra Prasad Pandey
7. **Educational Rights of Transgender Persons in India: Navigating the Path to Inclusion and Equality** 66-75
   - Dr. Padma Aparajita Parija, Anjalika
8. **Elaborating Indian Navy's Strategies in the Indian Ocean: Cooperation with the U.S. and Regional Security Implications** 76-86
   - Prof. Arun Kumar Dixit, Akhilesh Dwivedi
9. यशपाल की कहानी 'करवा का व्रत' : स्त्री–स्वाभिमान की गाथा 87-94
   - डॉ० नियति कल्प
10. अंग्रेजी शासनकाल में जमींदारी प्रथा और इसका उन्मूलन 95-102
    - डॉ० अरुण कुमार सिंह
11. स्थितप्रज्ञता की अतिमानसिक अवस्था का परामनोवैज्ञानिक विश्लेषण 103-110
    - डॉ० अरविन्द शुक्ल

12. दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता 111-116
- डॉ० बृजेश स्वरूप सोनकर
13. महिला सशक्तिकरण में डिजिटल सशक्तिकरण की भूमिका 117-121
- डॉ० मोनिका सहाय
14. उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी तथा गैर सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के बध्य अन्तःसम्बन्धों का अध्ययन 122-139
- डॉ० शुभ्रा पी० काण्डपाल, अर्जुन सिंह जगेड़ा
15. धर्म सूत्रों में तप एवं व्रत की सामाजिक अवधारण 140-145
- आराधना द्विवेदी, डॉ० सन्तेश्वर कुमार मिश्र
16. भारतीय विदेश नीति में पंचशील नीति : एक अध्ययन 146-154
- डॉ० प्रमोद सिंह, प्रमोद कुमार
17. कोविड–19 महामारी से उत्पन्न ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक समस्याएं (अम्बेडकर नगर जनपद के विकास खण्ड–भीटी के अध्ययन पर आधारित) 1857 ई. के स्वतंत्रता आन्दोलन में जौनपुर की भूमिका 155-166
- राजेश कुमार त्रिपाठी, डॉ. अर्चना पाठक
18. "असीरगढ़ किला" एक ऐतिहासिक विरासत 167-172
- पंकज शर्मा
19. सनातन संस्कृति का मूल आधार : यज्ञ 173-175
- ऋचा मिश्रा
20. मृदुला गर्ग की कहानियों में स्त्री मुक्ति 176-181
- श्वेता यादव
21. स्वामी विवेकानन्द के धर्म संबंधी विचार : एक अवलोकन 182-185
- अलीम अहमद
22. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का विधिक संरक्षण : एक अध्ययन 186-202
- रमेश कुमार भारती

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 01-09

The Sunlit World of Mariposa and Malgudi : A Comparative Study of Stephen Leacock and R.K. Narayan

Dr. Mohit Mani Tripathi *

Abstract

The Present research paper aims at highlighting the fictional places of both the writers Stephen Leacock and R.K. Narayan's Mariposa and Malgudi. These are the fictional places which depict the novelist's real insight vision what they thought and did to give proper shape and size to the novels of these novelists on one side Stephen Leacock has made famous the fictional place Mariposa in his novels which is situated in Canada, on the other side R.K. Narayan, an Indian chose Malgudi, a fictional place Tamil Nadu in India. Through these fictional places, one is in Canada and the other in India, the various aspects, similarity and dissimilarity will be searched out. It is worth mention here that like Malgudi, the Maniposa is also situated near railway station in Canada. Both the novelists have made wonder by their beautiful description and tried much to highlight these fictional places.

Keywords: *- Cosmopolitan, Hinterland, Transcontinental, Topographic maps, Maritime express.*

Stephen Leacock's Mariposa and R.K. Narayan's Malgudi are two fictional towns which literary cartographers have anxiously scurried around to locate on two continental landmasses across the world. While many small towns in South India such as Yadavagiri and Nanjangud in historic Mysore, Malgudi on the fringes of the river Kaveri, or even an early Coimbatore in Tamil Nadu lay claim to being the birthplace of Malgudi, Narayan's multi-tempoed town, Leacock's imaginative construct Mariposa, has been absorbed with pinpoint precision into the latitudinal and longitudinal contours of Orillia, Ontario, Canada (50'N & 79'W). Here Leacock built his home "The old Brewery Bay" to which he escaped from his professional duties at McGill University for four months each summer, and to which he finally retired for the last eight years of his life.

* ***Associate Professor, Department of Geography, D.A.V. College, Kanpur, U.P.***

Leacock was inordinately proud of his retreat and of its appellation – (the name he said, "made people thirsty by correspondence as fer away as Nevada"). He even judged people by their response to such a name. If they liked the name "The Old Brewery Bay" they were alright, (and) could have anything on the place, but many who couldn't appreciate it were outlawed, such as the "lady" who became "that woman" for presuming to suggest that Leacock change the name.

Both Mariposa and Malgudi are small satellite townships with in a three-hundred-mile orbit of two larger, real, life metropolis Montreal on the North American continent and Madras (Chennai) in the South of the Indian continent. Topographically, both little towns are located on hillsides at whose feet lie large expanses of water, in one case the river Sarayu, hoary with the mythic time deposits of India, and on the other lake Wissanotti, letting off Amerindian smoke signals. Strangely, both are creators of writers who themselves straddled two flourishing bi-lingual cultures, French and English in the case of Leacock and Tamil and Kannada in the case of R.K. Narayan. Mariposans and Malgudians both gravitated to these larger cities in search of richer economic and educational pastures, returning now and again to their resting ground for emotional sustenance, in fact or fantasy. In the warm sun of nostalgia both townships exude a colonial and more specifically Victorian atmosphere encrusted on the semi-agricultural base of their native lands. A sun-drenched humor-filled air accosts travellers to both Leacock's Mariposa and Narayan's Malgudi, as palpably as its typical small-town appearance.

While information about Mariposa comes to the reader through a dozen sketches (fifteen to forty pages long), of one book namely *Sunshine Sketches of a Little Town* and a few brief wartime vignettes titled *Mariposa Moves On* appended to his *Happy Stories* as a postscript, Malgudi is discovered through narratives spread over eleven novels and eighty short stories, making it more of a backbone than a backdrop to the writer's literary oeuvre. It is therefore to Leacock's greater credit that Mariposa is as credibly and powerfully

portrayed as Malgudi whose birthday has been inscribed with equal accuracy by the writer himself.

> On a certain day in September, selected by my grandmother for its auspiciousness, I bought an exercise book and wrote the first line of a novel as I sat in a room nibbling my pen and wondering what to write. Malgudi with its Railway Station swam into view all ready made, with a character called Swaminathan running down the platform peering into the faces of passengers, and grimacing at a bearded face – I remember waking up with the name Malgudi. (106)

Narayan first pictured Malgudi, he says, not as a town, but just as a Railway Station consisting of a small platform with a banyan tree, a station-master and two trains a day, one coming and one going (ibidem). Out of this grew a complex and busy hinterland that has become one of the great fictional creations of our time. Malgudi's phantasmagoric train took its young hopefuls to Madras and beyond – an escape route to some and a magic carpet to many Whittingtons in search of gilded sidewalks. Malgudi was often a harbor and a "home" to prodigal sons – "home" being as Robert Frost says in "The Death of the Hired Man" – a place where "when you have to go there, they have to take you in."

Mariposans too were just as spiritually attached to their Railway connection. They loved to hear the long-muffled road of the whistle of the Transcontinental, "thundering and pounding towards the north, with hemlock sparks pouring out into the darkness from the funnel of it," without stopping mostly at night. They felt that just being on the transcontinental route was as great a triumph as that of the European Maritime Express that travelled six hundred miles from Paris to Marseille -- both trains representative of the historic Empress! They loved the Transcontinental not only because it touched Mariposa – "the little town in the sunshine" but were beholden to it for the "cosmopolitan atmosphere of through traffic and the larger life." Only the Mariposa local actually stopped here but to the community it was the other whizzing past at breakneck speed of twenty-five miles an hour that gave them a standing among neighboring places. Many a

Mariposan migrant to the city would wander down on a Friday evening to watch it puff out of the city station. To most such bystanders even the price of a ticket was out of reach, but that could not stop them from wishing they were on it!

They could dream of again being amongst the spruce thickets, shooting partridge, or seeing the black ducks in the rice marsh along the lake Ossawippi or fishing for green bass as it lazed in the shadows beside Indian's island. The train carried homewards both the fashionably dressed golfers who would disembark a few stations away, and the lucky tribe of Mariposans who were actually deposited at home. The stuffed red plush seats and the wooden stove at one end of the box car was indeed a part of the fantasy of the "fastest most reliable, the most comfortable, nay, the most luxurious train that ever turned a wheel" -- offering a magic ride home that smelt of heaven.

Leacock and Narayan are both aware that the route to the universal lay through the particular, and both are careful to give concrete details od street and place names to their respective townships, so that Mariposa and Malgudi are firmly embedded in one's consciousness, and one can walk through them blind fold. In fact, meticulous critics and scholars have added topographic maps to their commentaries. However, Leacock writes that he must "disclaim at once all intention of trying to do anything so ridiculously easy as writing about a real place and real people." On the contrary "Mariposa is about seventy or eighty of them (little habitations) all the way from Lake Superior to the sea with the same square streets and the same maple trees and the same churches and hotels and everywhere the sunshine of the land of hope" (Leacock, xi). The mythical town therefore is as much on the ground as it is in the mind.

Leacock is careful to tell us that there are exactly seven summer cottages along the lake, clusters of maple or pine trees, or rushes of golden rod, and such other memorable details of vegetation. Wissanoti Lake with its steamer the 'Mariposa Belle' tethered to a wharf, shines bright and lucid in the morning sunlight. "Don't talk to me of the Italian lakes or the Tyrol or the Swiss Alps", says the narrator, an insider, as he pictures Mariposa's land-locked lake. On

the main Street stands the Continental Hotel (Pete Robinson's) and the Pharmaceutical Hall, (Eliot's Drug Store). Two other concrete brick and mortar structures vying with each other for prominence along with other proud establishments are Smith's Hostelry and Mariposa House. The Exchange Bank and the Commercial Bank, as in any small town, are traditional business through the financial jugglery and managerial wizardry of two well-rounded, smooth shaven and stockily built, social pillars named Henry Mullins and George Duff.

We are also proudly informed that McCarthy's Block came into being in 1878, and that Netley's Butcher shop has been faithfully serving its customers since 1882. Where a cross street intersects Missinaba (or main) Street, fluttering "Old Glory" on its top most mast, stands the Post Office, the Fire Hall and the YMCA. Leacock's device of comparing Missinaba Street with Piccadilly or Thread-Needle Street in London or wall Street and Broadway of New York adds a touch of humor and authenticity to such allusions. It also surfaces Leacock's own ambivalence and conflicting loyalty to monarchical England – the land of his birth – and to America, Canada's youthful neighbor whose democratic ways he admired so much. The unavoidable conflicts of a circumscribing Victorian England, and the vastly progressive continental vision of Canada, are apparent as Leacock is tossed between the magnetic charm of saying "We English" or "We Americans," making his humor, distinctly Canadian.

Narayan also provides graphic details of Malgudi. It is "horizontally" divided by the river Sarayu. Many by-lanes branch off the arterial market Road of both sides, while Kabir Street, Vinayak Mudali Street, North Street and the road that stretches into Ellaman's, provide locations for various domestic and societal dramas. There is pre-eminently the twenty-foot statue of Sir Fredrick Lawley, the proper administration of the region" and who on account of the many tanks and dams he constructed, was immortalized by a grateful public in the center of Malgudi. Lawley is however mostly ignored, except by the birds who find him a useful perch, and the cattle lazing on the broad steps, who find him a silent companion. In the meantime,

Malgudi has grown beyond this point, into Lawley Extension where over fifty new dwellings have come to stay. Fittingly, old roads such as Adam's Lane still shelter dilapidated septuagenarian men and houses. There is also the formidable presence of the Administration, in the shape of the Taluk Office, the Law Courts and the Municipal Chairman's Office. The Anand Bhavan Hotel adorns the Commercial part of Malgudi, together with an incredible eighteen taverns around the four corners of the city. There is the famed Town Hall Tower, and Peak House on top of the cliff on Mempi Hills. As in any living town here is also an old Slaughter house, a Central Jail as well as a fort area all designed to make Malgudi a living experience. Above all, visitors to both Mariposa and Malgudi on a summer afternoon are unlikely to forget the picture of empty streets asleep in the sunshine of deep and unbroken, peace.

Both Leacock and Narayan are conscious of the colonial past, and its Victorian shadow on their respective townships and reference is often made to its former British associations. For instance, apart from Lawley statue, there is the Albert Mission School and college, eminently commemorative of the good Queen's reign, and inextricably woven into the lives and careers of the Malgudians. Repeatedly mentioned is also European bric-a-brac, such as the Heidelberg Press, the Roll top table, and a Queen Anne chair strategically placed in the Truth Printing Press. An empire style seat of higher learning, namely the Presidency College at Madras is mentioned with a queer admixture of awe and disbelief. While Gaffur the taxi driver stations his 1927 model Chevrolet in the middle of town and shark-like awaits his victims, he has for narrative company the petty sanitary inspectors and other officials strutting around wearing pith helmets to protect them from the sun in the manner of the white man. The inevitable advent of the twentieth century, into the dying nineteenth, is also later announced in the changed names of its streets, in the post-Independence scenario.

Not Surprisingly David Cameron (1976) notes that Leacock's "attitude to humor is once again rooted in Victorian England and in fact his choice of material to cite reflects an attitude to humor which

has distinct parallels in such writers as Trollope and Meredith." William Walsh (1977) too finds Malgudi a blend of the oriental and the pre- 1914 British era, and calls it an "Edwardian mixture of sweet mangoes and malt vinegar" (CLC, 28) at the same time stressing the universal quality of Malgudi saying "whatever happens in India happens Malgudi, and whatever happens in Malgudi happens everywhere" (CA, 81).

Mariposa too looks back to the traditions of both England and France. There are references to the Privy Council, the YMC, the Salvation Army, and comparisons of Missinaba Street with Picadilly and Wall Street -- to the advantage of Mariposa -- baring itself to the Canadian sunlight ten thousand miles away! The French connection too is artistically woven in through the appetizing fragrance of French cuisine at Smith's "Gaff", a North American transposition of the Parisian Cafe. The presence of Alphonse, the French Chef in an ordinary Horsy like Josh Smith's injects rare sophistication. Alphonse's saturnine looks are compared to no less than those of Napoleon Ill. As the moves about conquering palates with his French sauce's concoctions, rumors fly that Josh's man was actually a French Marquis.

One of the most hilarious passages in Leacock narrates how Smith's Alphonse "queered" the recalcitrant Editor of the Newspacket with an "Omelette a la License," how judge Peperleigh was "put to the bad" with a game pie – "pate norm and aux fines herbes" – how the arrogant Secretary of the School Board was "silenced" with a stuffed "duck a la Ossawippi" while Dean Drone was "landed" with a "fried flounder, which even the apostles would have appreciated" (Leacock, 32-33). An organization such as the Knights of Pythias with its charter of temperance and the divided politics of conservative and liberal among the Mariposans was a natural carry over of European politics, emigrating to the new continent's colonial table, delicately and highly sauteed in the satire and irony of hybridization. Leacock takes a swipe at human pride by slipping in a jack-in-the box outsider, to his list of genuine institutions, the "Oddfellows Association" being one such. Humorists have always maintained that you only pull the leg of something or someone you love. This purely Canadian

invention certainly seems intended to upset the staid British applecart!

As an artist, David Cameron says, Stephen Leacock was an "unabashed imperialist" though he knew imperialism's weaknesses. However, as Cameron notes "there is an imperialism of greed and conquest, exploiting for the money's sake the weaker people of the world. Plain sense has long since learnt to hate it -- but there is also the humbler imperialism – the "empire mindedness" of decent people with nothing to gain by it in money -- (this) is an inspiration not a formula." Leacock's prose style, his felicity of word and phrase, his unparalled sense of humor is akin to this Imperialism to which reader and writer become addicted. Leacock once said:

> There is no trouble in writing a scientific treatise on the folklore of Central China, but to write something out of one's mind worth reading for his own sake, is an arduous contrivance. I would sooner have written Alice in Wonderland, than the whole Encyclopedia Britannica. (xi)

I'd like to think that this statement means more than it says, the latter -- the world's greatest collation of information, and the former a pre-eminent cornucopia of laughing wisdom and Leacock's choice is revelatory of his value system.

"In art" Leacock once said, "one must judge a man by his best, never by his worst, by his "highest reach, not by his lowest fall." It is thus obligatory for one to gather-in the widespread laughter and sunshine both of Mariposa and Malgudi, in order to make a barometric comparison of its warm sunlight.

While Malgudi remains for the reader a living presence, (having been compared to Hardy's Casterbridge and William Faulkner's Yoknapatawpha) R.K. Narayan has more than once stressed his own preoccupation with human character.

> My main concern is with human character, a central character from whose point of view the world is seen, and who tries to get over a difficult situation, or who succumbs to it or fights it in his own setting -- 1 value relationships very much, very intensely -- I think I have expressed this philosophy in my work successfully. (Naik, 2-4)

Leacock's Sunshine Sketches is also memorable as a portrait gallery of lovable characters," some irritating, some exasperating, some foolhardy, but all endearing. There is no signal plot structure here because it is not a novel at all. Events are subservient to the people he draws, and incidents are useful only in so far as they flesh out his characters, who weave in and out of these sketches in an interlocking fashion. Leacock's is not the plot of a community. Perhaps, as Northrop Frye comments: "General Canadian humor is based on a vision of society."

References

1. *Contemporary Authors Series (CA). Volume 81:7 408, 81*
2. *Contemporary Literary Criticism (CLC) Volume 7:254-257, 28*
3. *Leacock, S.B. 1912. Sunshine Sketches of a Little Town. London: John Lane, the Bodley Head, 11*
4. *Naik, M.K. 1979. Aspects of Indian Writing in English. Delhi: Macmillan, 176*
5. *Naik, M.K. 1983. The Ironic Vision: A Study of the Fiction of R.K. Narayan. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Limited, 25*
6. *Narasimhaiah, C.D. 1979. "R.K. Narayan's The Guide." In Naik: 176.*

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 10-31

Breaking Barriers: The Impact of Women in Politics and the Need for Increased Representation

Sweta Rani*

Prof. Sanjay Shrivastava**

Abstract

This paper delves into the multifaceted impact of women's presence in the political arena, emphasizing the crucial need for heightened representation. It traces the historical trajectory of women's engagement in politics, from suffrage movements to contemporary strides, underscoring the gradual but significant evolution towards gender equality in governance. Through an examination of empirical data and pertinent case studies, it elucidates the tangible benefits that accrue from increased female representation in political decision-making bodies. Furthermore, this paper explores the diverse dimensions of the impact generated by women in politics. It delves into how women often bring unique perspectives, priorities, and leadership styles to the table, leading to more comprehensive policy formulation and implementation. Additionally, it highlights the role of female politicians as catalysts for social change, championing issues such as reproductive rights, gender-based violence prevention, and economic empowerment. Despite notable progress, the paper acknowledges persistent barriers that hinder women's full participation in politics, including systemic discrimination, cultural biases, and structural inequalities. It argues for targeted interventions aimed at dismantling these barriers and fostering an inclusive political environment that enables women to thrive. Moreover, this paper addresses the broader implications of gender-balanced political representation for democracy and governance. It contends that diverse representation enhances the legitimacy and effectiveness of governing institutions, reflecting the full spectrum of societal perspectives and interests. Furthermore, it asserts that gender equality in politics is not merely a matter of fairness but a fundamental prerequisite for realizing democratic ideals of equality, justice, and social progress. In conclusion, this paper advocates for concerted efforts to overcome the remaining

* ***Assistant Professor, S.N. SEN B.V.P.G. College, Kanpur***

** ***Department of Medieval & Modern History University of Allahabad, Prayagraj***

obstacles to women's political participation and to accelerate progress toward gender parity in governance. It calls for policy reforms, institutional initiatives, and societal shifts aimed at cultivating a political landscape where women are empowered to contribute fully and effectively, thus advancing both gender equality and the democratic fabric of society.

***Keywords**: Empowerment, Policy, Democracy, Discrimination, Economic inequality, Grassroots level, Amendment, Rural development, Gender, Panchayats, Inclusive*

Introduction

"I would boycott that legislature which will not have a proper share of women members". Mahatma Gandhi

Democracy, which is a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, applies to all individuals on an equal basis. In the context of India, a country known for its diverse population and multicultural society, the principles of democracy are extended to all citizens, irrespective of their backgrounds and categories, to ensure equal rights and opportunities. These rights empower individuals to make an effective contribution toward the overall development and progress of the nation as a whole. However, despite the existence of such democratic ideals, it is disheartening to acknowledge that women have historically been excluded from various walks of life and continue to face discrimination in every society, including India. "The Constitution of India (Article 15) attempts to remove gender-based inequality, religion, race, caste, sex or place of birth, and enshrining fundamental rights for all citizens. Unfortunately, women have not substantially availed of the constitutional provisions. Women still have only de jure rather than de facto access to these rights."

The discriminatory treatment against women is particularly pronounced among the economically weaker sections of society, as compared to their counterparts from wealthier and more privileged upper-caste families. This inequality is evident not only in terms of economic opportunities and access to resources but also in terms of social and political participation. Women are often excluded from political decision-making processes and their voices and perspectives

are marginalized or ignored. This exclusion of women from political participation is not only a violation of their fundamental rights but also hampers the true democratic spirit that should be at the core of any society.

Recognizing the significance of women's political participation for the attainment of a true democratic spirit, the United Nations has consistently emphasized the need to empower women politically. It has been widely acknowledged that when women can actively participate in politics, it leads to more inclusive and representative decision-making processes, thereby contributing to the overall development and well-being of society. Therefore, making provisions for equal treatment and opportunities for women in political participation is not only meaningful but also effective in ensuring a fair and just society. This process must begin from the grassroots level, where the foundation of democratic institutions is laid.

To effectively perform their role in the political sphere, women need to be aware and informed about various aspects of governance and policy-making. This includes developing skills in decision-making, conducting thorough analyses of the areas that need improvement within their respective regions, and working to the best of their abilities towards promoting the well-being of their communities and the nation as a whole. Recognizing this need, the 73rd Constitutional Amendment Act in India was enacted to achieve these objectives.

The 73rd Constitutional Amendment Act, which is a landmark legislation in India, has placed significant emphasis on the political empowerment of women in rural areas. It recognizes the importance of ensuring equal representation and participation of women at the grassroots level of democratic institutions, known as panchayats, to bring about transformative change in rural India.

Dubey, "Representation of Women in Indian Politics : Still A Way Ahead"

This provision of reservation of seats and posts for women chairpersons in panchayats is a historic step towards gender equality and has far-reaching implications for the political process in rural

India. It not only provides opportunities for women to actively engage in decision-making processes but also catalyzes the overall development of communities and the nation as a whole.

In conclusion, for the communities and the nation as a whole to progress and develop inclusively and equitably, women must augment their political participation. This requires creating awareness, providing education and training, and removing barriers that hinder women from actively engaging in the political sphere. By empowering women politically, societies can tap into the immense potential and capabilities that women possess and ensure that their voices are heard and their perspectives are taken into account in the decision-making processes that shape our collective future. The Importance of Political Participation in Shaping the Future

When endeavoring to comprehend the meaning and significance of political participation within any given society or segment of individuals, it becomes imperative to take into consideration whether or not it is intertwined with the principles of democracy. The degree and scope of political participation exhibited by individuals can be constrained by both inherent and man-made factors. While it is impossible for individuals to overcome the natural factors of inequality, they can, however, address man-made inequalities by simply adopting and adhering to democratic principles and values. The pillars of democracy, encompassing the ideals of liberty, equality, fraternity, justice, and more, serve as robust mechanisms to provide assistance, support, and protection to individuals who find themselves overwhelmed by the challenges and predicaments arising from man-made inequalities. Therefore, in order to gain a comprehensive understanding of political participation, it is crucial to comprehend the essence of democratic values.

The presence of democratic values is widely acknowledged as a prerequisite for achieving the highest degree of participation and empowerment. Empowerment is not simply the attainment of power to exercise dominance over others; rather, it signifies the ability to collaborate with others to effect change. Political participation serves as a pivotal component of empowerment, typically encompassing

voluntary actions undertaken by members of society, primarily in the realms of selecting rulers and shaping public policies. As sovereignty is an inseparable attribute of democracy, the right to participate is an integral part of the democratic governance process and an inherent entitlement within this framework. It is evident that in order to promote the effective development of the political system, the participation of individuals is deemed indispensable.

Political participation enables individuals to cultivate qualities such as efficiency, diligence, resourcefulness, and conscientiousness. Political participation has been defined as a civic duty, serving as an indicator of political vitality and the most effective means of ensuring that vital methods and practices are not neglected. In every society, political power tends to be monopolized by a select few. Consequently, those holding political authority in any given system are often keen on fostering the political participation of individuals. By involving individuals in matters of the state, political participation enhances stability and order, thereby reinforcing the legitimacy of political authority. The term "political participation" encompasses all activities individuals engage in outside the realm of the political system.

Participation can be viewed from two perspectives: intensity and breadth. Intensity refers to the depth to which a person is engaged in a particular issue and the extent to which they are willing to go to achieve their objectives. Voluntary actions also encompass the responsibilities individuals must full fill when selecting rulers. Additionally, voluntary activities are directly or indirectly involved in shaping public policies.

The historical framework of women's participation in politics is a topic worth remembering

The status of women in India has witnessed multiple fluctuations throughout history, with periods of respect and equal treatment followed by declines in their societal standing. During ancient times, women were accorded reverence and afforded equal treatment.

However, the medieval period brought about a deterioration in their status, as they were compelled to adhere to certain customs and traditions such as the purdah system, sati, child marriage, and more. Despite these challenges, post-independent India witnessed a resurgence in the status of women, as they began to make significant advancements in various domains of life including politics, society, economy, culture, and religion. Women have increasingly sought higher education, enrolling in educational institutions to pursue further knowledge and skills.

The recognition of education's significance has transformed them into professionals in diverse fields such as medicine, law, research, teaching, administration, and beyond. While women are primarily associated with the role of a householder, they have also made substantial contributions to the progress and development of their communities and the nation as a whole. Women actively participated in the freedom movement with unwavering determination and unparalleled bravery.

Their journey toward independence necessitated confronting exploitation, adversity, and distress. In essence, the struggle for independence from British rule encompassed the invaluable participation of women, enabling them to cultivate the necessary abilities to face challenges and overcome obstacles. Initially, the women who took part in the national movement belonged to educated and liberal families.

In essence, the fight against British rule witnessed the active participation of women, who honed their skills and abilities to confront the challenges and obstacles that lay ahead. Initially, women involved in the national movement belonged to educated and liberal families, but as the movement gained momentum, it exceeded social boundaries, encompassing individuals from all walks of life.

This transformation was brought by the arrival of Mohandas Karamchand Gandhi, whose leadership initiated a mass movement that united people from diverse backgrounds. It became apparent that the true attainment of freedom was contingent on the comprehensive participation of all sections of society. However, with the advent of

the movement spearheaded by Mohandas Karamchand Gandhi, a transformation occurred in this regard. The freedom struggle evolved into a mass movement that engaged individuals from all segments of society. Moreover, it was widely acknowledged that true freedom could only be achieved if every section of society actively participated.

“Gandhi's influential campaign against imperial rule core around the issue of salt tax, significantly elevating women's visibility and involvement. Local issues began to be discussed extensively, with women taking the midpoint stage in these deliberations”.

In the contemporary era, women have actively participated in all spheres of life, contributing significantly to politics, social affairs, economics, culture, and religion. They have pursued higher education by enrolling in various educational institutions, recognizing the significance of knowledge and its transformative power. This has made it possible for women to pursue careers in fields such as medicine, law, research, education, management, and administration, among others.

The inclusion of women in the struggle for independence shattered preconceived notions and highlighted the necessity of their involvement in the nation's ultimate liberation. the position of women in India has undergone significant shifts. throughout history, with periods of respect and equality followed by times of decline and restriction

India underwent a process of centralization of planning, which inadvertently led to heightened inequality in political decision-making at various levels. Despite the government's deep concern for gender equality, women were initially denied any rights in the decision-making processes. However, women's political participation has been substantial within the country, with several occupying positions such as President, Prime Minister, chief ministers of various states, and members of national and state legislative assemblies in significant numbers. Nevertheless, the occurrence of such events has not been in proportion to the female population of the country.

To enhance women's participation in politics, authorities have made attempts to implement reservations for women. However, these efforts have faced challenges and have been thwarted due to a lack of support from various regional parties. The condition of women in India has seen various fluctuations throughout history, dating back to ancient times. During the ancient era, women were accorded respect and equal treatment, emphasizing their importance in society.

The issue of women's reservation came into existence in 1973, marking a significant moment in the political landscape of India. Over time, there has been a growing chorus who argue for the reservation of women in at least one-third of the seats, aiming to address the historical neglect of women in rural development programs. This concern was addressed through the 73rd and 74th Constitutional Amendments in 1993, which recommended the inclusion of women in the statutory village panchayats at the village level.

The aforementioned Constitutional Amendments brought about a transmuting change in the governance structure of rural India, with the establishment of a three-tier system consisting of panchayats, and village governance bodies at the village, intermediate, and district levels in each state. These reforms not only focused on uplifting the marginalization of women but also provided guidance for the empowerment of marginalized communities such as the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes. Moreover, the Constitutional Amendments granted state governments the authority to enact laws and procedures necessary for the effective implementation of the political system.

Shankar, “Measurement of Women’s Political Participation at the Local Level: India Experience”

This empowerment enabled the states to actively shape the composition of the panchayats, ensuring adequate representation for various marginalized sections of society. Consequently, the political landscape at the grassroots level witnessed a surge in women elected representatives, as the legislation underscored the importance of gender parity in political leadership.

India, being committed to fostering inclusive governance, has been diligent in maintaining records of the number of women representatives at the panchayat level. Statistical data specify that there has been a notable growth in the proportion of women holding elected spots at the local level, ranging from 30 to 50 percent. This encouraging drift not only reflects the positive impact of the reservation policy but also highlights the strides made in promoting gender equality and women's empowerment in the political sphere.

However, despite the passage of the Women's Reservation Bill in the Rajya Sabha on March 9, 2010, its progression in the Lok Sabha has been obstructing by the opposition of certain regional parties to certain provisions of the bill. This impasse has prevented the bill from becoming law and further underscores the complexities and challenges associated with implementing gender-focused legislation in a diverse and pluralistic democracy like India. The issue of women's reservation in India has been a subject of disputation and deliberation since 1973.

The Constitutional Amendments in 1993 sought to address the underrepresentation of women in political decision-making procedures, particularly at the grassroots level. The preceding surge in the count of women elected representatives at the panchayat level is an attestation to the progress made in promoting gender equality and inclusive governance. However, the Women's Reservation Bill's inability to clear the Lok Sabha due to resistance from certain regional parties highlights the need for continued dialogue and concerted efforts to ensure the effective implementation of gender-focused legislation in India.

The lives of women in India revolve primarily around several key factors that are commonly referred to as the five Ps: patriarchy, productive resources, poverty, promotion, and powerlessness. These factors play a significant role in shaping the experiences and opportunities available to women in the country.

It has been estimated that women comprise the workforce in approximately two-thirds of all employment sectors. However, despite their immense contribution to the workforce, women receive

a disproportionately low share of income, accounting for just 10 percent of their overall earnings. Furthermore, women possess a mere one percent of the means of production on a global scale, highlighting the vast disparities in ownership and economic resources that exist between genders.

Remarkably, women in India exhibit remarkable diligence and dedication in the execution of various tasks and activities. They take on significant responsibilities both at home and in their professional lives, often without receiving any monetary compensation for their domestic labor. This imbalance is further exacerbated by the fact that women tend to be paid less for their work outside the home, particularly in minority job sectors where they are often assigned to perform laborious tasks. Even when employed in full-time positions that require manual labor, women consistently earn lower wages than their male counterparts. However, it is crucial to acknowledge the unwavering commitment and wholehearted participation of women in fulfilling their job duties, despite the numerous obstacles they face.

the lives of women in India are intricately intertwined with the five Ps, namely patriarchy, productive resources, poverty, promotion, and powerlessness. These factors significantly shape the experiences and opportunities available to women in the country. In spite of creating the majority of the workforce, women gain a disproportionately small portion of income and possess a minimal amount of ownership of the means of production on a global level. However, women in India showcase remarkable dedication and commitment in carrying out their duties, both in their domestic and professional lives. Regardless, it is absolutely essential to tackle the existing discrepancies and obstacles encountered by women in order to establish a more fair and comprehensive society. The social status and political participation of women cannot be studied in isolation, as they are influenced by various interconnected factors such as socioeconomic conditions, political climate, and traditional social norms and practices. Women's status also varies based on factors like region, caste, class, race, ethnicity, religion, and socio-economic background. Currently, women from wealthy urban families with

access to education are leading better lives than women in rural areas who lack literacy skills and employment opportunities and require support to improve their quality of life.

Means of Political Participation

The conceptualization of political participation involves reformations to a major extent. Such changes and transformations will have a direct impact on different modes of political participation. The citizens participate in different and alternative ways to influence the government and the political system. Until recently, most of the survey studies of political participation conducted their research and inquiry to a limited set of political acts. However, the alternative modes of political participation are dependent upon the categories and backgrounds of the citizens, who participate. The ways of participation and the amount of pressure that can be exerted upon the system, have the main purpose of putting into practice, various tasks and activities in an appropriate manner. "Hence, political participation is referred to more than voting and more than the activity in the electoral system. In most cases, questions are put forward in terms of attendance at political meetings or rallies, working for a party, making a monetary contribution, or seeking public office".

However, the alternative ways of political participation are dependent upon the categories of citizens, who participate. Ten types of activities are included, these are, functioning or holding public or party offices, belonging to a party or other political organization, working in an election, attending political meetings or rallies, making financial contributions to the party or the candidate, contacting a public official, expressing an opinion publicly to convince others, participating in political discussions, voting and exposing oneself to political stimuli.

Political participation generates politics. In other words, politics takes place within the state or country, through the political participation of the individuals. "The former creates and determines politics, hence, it is of utmost significance, both for the individuals and the nation. The politics of the nation is determined, therefore, by political participation and all its processes".

Variables of Political Participation

Understanding political participation requires a nuanced approach, as it involves various complex factors. Chapter III outlines these factors explicitly, emphasizing the importance of familiarizing oneself with them. Engaging in political participation serves to address individuals' psychological needs, providing a sense of connection and belonging. Effective participation necessitates individuals to cultivate their psychological environment. By participating in politics, individuals not only hone their skills but also combat feelings of loneliness by interacting and maintaining communication with others.

The socio-economic backdrop significantly influences individuals' political engagement, with factors such as education, occupation, income, age, and cultural background playing pivotal roles. While higher participation often correlates with better-educated, affluent, and urban demographics, the impact can vary based on cultural norms and societal context, evolving over time. Political dynamics, including party systems, electoral processes, and awareness generation, profoundly shape political participation. Political parties and campaigns serve as crucial avenues for engaging voters. Participation is integral for fostering democracy and modernization, particularly in traditional societies where political involvement has historically been limited to elites.

Measurement Framework

When analyzing the measurement framework, it is vital to acquire an understanding of the aspects that are essential to bringing about the well-being of women. These include an introduction to Demystifying the Indian Electoral System: A Beginner's Guide, Insights into India's Electoral Demographics and Voting Trends, Empowering Women in Politics: Creating a More Inclusive and Representative Society, Breaking the Glass Ceiling: The Importance of Women's Political Involvement and the development of women’s groups.

Demystifying the Indian Electoral System: A Beginner's Guide India is an enormous democracy that operates through a three-

tier governance structure. The three levels are the central government, state government, and city or village government, which are elected by an independent body called the Election Commission. The Election Commission is formed separately at the central and state levels. The head of the government is elected by the Lok Sabha, which is the lower house of the parliament of India. In India, universal adult suffrage is followed, and the general elections are held every five years. All members of the Lok Sabha, except for two who are nominated by the President of India, are directly elected through these general elections. Voting rights were given to women in India since the first election. Members of the Rajya Sabha, which is the upper house of the Indian Parliament, are elected by an electoral college consisting of members of the Lok Sabha, elected members of the legislative assemblies, and states and union territories of India. A comparable structure exists in different states of India, consisting of two bodies, called the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. However, data from successive central and state elections show that although Indian democracy is truly representative of women in terms of their participation in elections, it significantly lacks women's participation in the legislature and executive. The 73rd and 74th amendments of the Indian Constitution created a third tier of governance, which is aimed at creating new opportunities for local-level planning and effective implementation and monitoring of various social and economic programs within the country.

Insights into India's Electoral Demographics and Voting Trends The establishment of an independent election commission is a crucial component of any democratic system. In India, the Constitution provides for an independent election commission, which is responsible for implementing and overseeing the electoral process within the country. The election commission has several important responsibilities, including conducting elections to the parliament and state legislatures, as well as to the offices of the President and the Vice-President. To ensure fair and orderly elections, the election commission prepares, maintains, and updates the electoral roll periodically. The electoral roll shows who is entitled to vote and is used to supervise the nomination of candidates, register political

parties, and monitor the election campaign, including the funding of candidates. Additionally, the election commission facilitates media coverage of the election process, organizes polling booths, and oversees the counting of votes and declaration of results. To maintain accurate statistics and information on the electoral process, the election commission maintains a record of the participation of voters and information on elected representatives. The electoral rolls are compiled based on a four-stage classification system. The country is divided into 543 parliamentary constituencies, each of which contains several assembly constituencies. An assembly constituency is further divided into wards, and each ward has multiple polling stations. This system allows for precise tracking of voting patterns, including gender information. Overall, the establishment of an independent election commission and the implementation of fair and transparent electoral processes are critical to the functioning of a democratic society. The Indian Election Commission plays a vital role in ensuring that the electoral process is conducted in a manner that is free, fair, and impartial.

Empowering Women in Politics: Creating a More Inclusive and Representative Society

The political participation of women can be taken into consideration in terms of three aspects. These are their participation as a voter, their participation as an elected representative, and their participation in the decision-making process. When these aspects need to be put into practice appropriately, then the women are required to possess certain skills and abilities. In some cases, the women, who are involved in politics, may not be highly educated, but they need to remain updated in terms of important factors. In this case, the important factors are, alleviating the societal problems of poverty, illiteracy, and unemployment. The individuals, primarily belonging to poverty-stricken and socio-economically backward sections of society, need to be empowered to earn better livelihood opportunities.

In India, throughout the country, women are not given equal treatment as males. They are considered inferior in status as compared to males, within the household, as well as in public places. This

inequality is more clearly depicted among the deprived, marginalized, and socio-economically backward sections of society. Hence, one of the important objectives of political participation of women is to give equal treatment to women and girls, and not discriminate against them. Another aspect that has led to their political participation is to curb the occurrence of criminal and violent acts against women. Throughout the country, they have been subjected to various forms of criminal and violent acts, such as verbal abuse, physical abuse, sexual harassment, rape, acid attacks, and so forth, which have degraded their position within the society.

Development of Women's Groups The development of women's groups has been regarded as an imperative factor in promoting empowerment opportunities for women, especially those belonging to deprived and marginalized sections of society. These groups are aimed at ensuring that women acquire the necessary skills, knowledge, and resources to become self-sufficient and contribute to the growth and development of their society, region, or country. With approximately 70 lakh women being members of self-help groups (SHGs), the benefits of these groups are set to be far-reaching. The Mission Shakti project, launched in 2001 in the Indian state of Odisha, has played a crucial role in promoting the development of women's groups. The project focuses on organizing women into SHGs and empowering them through initiatives such as micro-credit, entrepreneurship, and skill-building programs. The project has now transformed into a movement, with almost every second household in Odisha having a member who is part of the mission Shakti group. "The project has been successful in creating six lakh groups, with Rs. 5000 crore savings and Rs. 2000 crore annual bank exposure. The development of women's groups has made a significant contribution to empowering women and improving the overall quality of life". The primary focus of these groups is on economically weaker sections of society, particularly women and girls living in conditions of poverty and backwardness, who lack education and employment opportunities and are primarily responsible for household responsibilities. These groups provide a platform for women to come together, share their experiences, and support each other. They also provide women with

access to credit, enabling them to start small businesses or invest in their education or their children's education. The benefits of these groups are not limited to the economic sphere. They have also helped to empower women socially and politically. Women's groups have played a crucial role in raising awareness about issues such as gender-based violence, women's rights, and health. They have also been instrumental in increasing women's participation in local governance and decision-making processes. In conclusion, the development of women's groups has had a far-reaching impact on the lives of women in India. Women's groups have provided a platform for women to come together, share their experiences, and support each other. They have also provided women with access to credit, enabling them to start small businesses or invest in their education or their children's education. The benefits of these groups are not limited to the economic sphere but have also had a significant impact on women's social and political empowerment.

Breaking the Glass Ceiling: The Importance of Women's Political Involvement

Empowerment opportunities for women are a major concern in the present existence, particularly for women belonging to deprived, marginalized, and socio-economically backward sections of society. Empowerment essentially means decentralization of authority and power and aims at obtaining the participation of the underprivileged sections of society in decision-making processes.

Kapur, “The Role of Women in the Political Sphere”

Activists believe that the government should empower people, especially women, through legislative measures and welfare programs. Empowerment is a process that allows disempowered or powerless individuals to bring about changes within their circumstances and have control over their lives. It results in a change in the balance of power in living conditions and in maintaining effective terms and relationships with others.

When it comes to political participation, empowering women requires giving them equal status and providing them with rights and opportunities, particularly to enrich their livelihood opportunities.

India is formulating measures and programs to enable women to move out and participate in various tasks and activities, including social, religious, cultural, economic, and political. Family support is vital for women in rural communities who are often discriminated against and are not encouraged to acquire education or participate in various other tasks and activities.

Empowerment of women in all spheres, particularly the political sphere, is crucial for their advancement and for initiating a gender-equal society. The political empowerment of women is based on three fundamental and non-negotiable principles: equality between men and women, rights given to women for promoting the complete development of their potential, and the right of women to self-determination and self-representation.

Empowerment revolves around power and authority, and women, especially those belonging to rural and remote communities, need to overcome all the problems and challenges that arise during their empowerment opportunities. They should have access, control, and informed selections and should be able to differentiate between what is appropriate and inappropriate and make wise decisions.

According to the Jakarta Declaration, the empowerment of women is not only an equity consideration but is also regarded as a necessary precondition for sustainable economic and social development. The participation of women in the political arena and decision-making roles is an important tool for empowerment, as well as for monitoring the standards in terms of political performance.

The application of the philosophical underpinnings of the Jakarta Declaration is necessary. Countries where women have acquired near-equal representation, such as Scandinavian countries, have begun to alter the nature of politics. However, the political participation of women is not strong enough in many countries. To strengthen the political participation of women, it is essential to focus on their interests, needs, perspectives, and priorities and eliminate barriers such as illiteracy, unemployment, and poverty.

Government's Significant Achievements: A List of Milestone Steps Taken “In order to enhance the participation of women in

politics, authorities have been making an attempt to put in a reservation for women, but have not been successful, due to the lack of support from various regional parties". In 1994, India introduced a measure to address the low participation of women electors in local governments. Through the 73rd and 74th constitutional amendments, quotas, also known as reservations, were established to reserve 33% of the seats in these governments for women. This was a revolutionary move to ensure greater gender balance in Indian politics.

However, this measure was met with widespread criticism at the time. People and political parties were skeptical about finding a large number of eligible women candidates all of a sudden. There were also concerns about the performance of the newly elected members and their ability to carry out their duties with the dignity and respect that came with their posts.

Despite these concerns, many local body elections have taken place since then, and the results have been overwhelmingly positive. Women have been able to step up and take on leadership roles, making significant contributions to these local governments. What was once a controversial measure has now become an accepted norm, and nobody seems to be bothered about the women members of the local bodies anymore.

It is widely believed that empowering women in leadership positions can bring about significant positive changes. By ensuring that women have a say in local government decisions, policies can be tailored to meet the needs of women and girls, who have historically been marginalized.

This measure has been an important step towards greater gender equality in India. The reservation bill, which reserved seats for women in local government, led to a subsequent rise in political participation by women, increasing from 4-5% to 25-40% among women. This gave millions of women the opportunity to serve as leaders in local government.

The Women's Reservation Bill [The Constitution (108th amendment) Bill 2008] Since 1996, several Bills have been introduced to reserve seats for women in Parliament and state legislative

assemblies. However, all of them have lapsed before becoming law. The Joint Committee of Parliament examined the 1996 Bill, while the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice examined the 2008 Bill. The recommendations made by both Committees agree with the proposal to reserve seats for women and we urge immediate action. These recommendations include considering reservations for women belonging to other backward classes, providing reservations for 15 years, and working out modalities to reserve seats for women in Rajya Sabha and state legislative councils. It's high time to address gender inequality in the political arena and ensure women's representation in decision-making bodies. “The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 was introduced in Lok Sabha on September 19, 2023. The Bill seeks to reserve one-third of the total number of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women”.

Kapur, “The Role of Women in the Political Sphere”

Highlights of the Bill

“The Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Bill, 2008 seeks to reserve one-third of all seats for women in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The allocation of reserved seats shall be determined by such authority as prescribed by Parliament”

- One-third of the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be reserved for women of those groups in the Lok Sabha and the legislative assemblies.
- Reserved seats may be allotted by rotation to different constituencies in the state or union territory.
- Reservation of seats for women shall cease to exist 15 years after the commencement of this Amendment Act.
- The Women's Reservation Bill, a proposed legislation in India, seeks to allocate one-third of seats in the Lok Sabha (lower house of Parliament) and state legislative assemblies for women. This initiative aims to tackle the

stark underrepresentation of women in Indian politics, where they currently hold only a fraction of seats.

- If enacted, the bill could have far-reaching implications. It has the potential to empower women politically, providing them with a more prominent platform to advocate for gender-sensitive policies and address issues affecting women and marginalized communities.
- However, the bill faces significant challenges. Opposition from some political parties and concerns about tokenism have stalled its passage in the past. Additionally, there are debates about whether such quotas effectively address the root causes of gender inequality in politics.
- Nevertheless, evidence from other countries that have implemented similar measures suggests that reservation policies can lead to tangible improvements in women's political representation and policymaking.
- Ultimately, the success of the Women's Reservation Bill will depend on a combination of political will, public support, and efforts to address broader societal barriers that limit women's participation in politics. If implemented effectively, it could mark a significant step towards achieving gender equality in India's political landscape.

PRS, "Women Reservation Bill 2023"

Conclusion

Women's participation in the political sphere has been a topic of discussion for many years, and while progress has been made, there is still a long way to go to achieve gender equality in this field. Throughout history, women have played a significant role in shaping policies that affect women's rights, health, and well-being. They have championed social justice issues, such as gender equality, reproductive rights, and equal pay, and have worked to create a more inclusive and representative political system.

However, despite these contributions, women still face significant barriers when it comes to political participation, such as social, cultural, and economic constraints. These obstacles prevent

women from accessing education, training, and networking opportunities, which are essential for developing the skills and knowledge needed to succeed in politics. To achieve gender equality in politics, it is essential to promote women's participation and leadership in all aspects of political decision-making.

This requires recognizing the significance of women's contributions to politics and creating policies that support women's access to education, training, and networking opportunities, as well as addressing the structural barriers that prevent women from running for office and holding positions of power. It is crucial to empower women politically and create a more inclusive and representative political landscape that accurately reflects the needs and concerns of all members of society. This can be achieved by promoting women's political participation at the grassroots level and building a foundation of democratic institutions that recognize women's fundamental rights and give them equal opportunities to participate in the political process.

In conclusion, the role of women in the political sphere is crucial for creating a more just and equitable society. By recognizing and promoting women's contributions to politics, we can create a more inclusive and representative political landscape that accurately reflects the needs and concerns of all members of society. It is time to break down the barriers that prevent women from participating in politics and to create policies that support women's access to education, training, and networking opportunities. Let us work together to empower women politically and build a more just and equitable society for all.

References

1. *Kapur, Radhika. "The Role of Women in the Political Sphere", n.d.*
2. *PRS, Legislative Research. "Women Reservation Bill 2023". PRS Legislative Research, 2023.*
3. *Dubey, Durgesh Kumar. "REPRESENTATION OF WOMEN IN INDIAN POLITICS: STILL A WAY AHEAD", n.d..*
4. *"Chapter III", n.d.. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/189/3/12_chapter2.pdf.*

5. *Shankar, R.. "Measurement of Women's Political Participation at the Local Level: India Experience". Ministry of Statistics & Programme Implementation, India, 2019. https://unstats.un.org/unsd/gender/mexico_nov2014/Session%206%20India%20paper.pdf.*
6. *Kumar, Amit, Somesh Dhamija, and Aruna Dhamija. "A Critical Analysis on Women Participation in Modern-day Indian Politics" 12, no. 1 (June 26, 2018). https://doi.org/10.26573/2018.12.1.1*
7. *Kalita, Jarna. "Women Empowerment Through Participation in Politics" 7, no. 1 (January 1, 2018). https://doi.org/10.5958/2277-937X.2018.00018.7.*
8. *Sinha, Niroj. Women in Indian Politics: Empowerment of Women Through Political Participation, 2000.*
9. *Zeissig, Vanessa. "Political Participation of Women in Politics of Uttar Pradesh". Routledge eBooks, 2023. https://doi.org/10.4324/9781003374862-5*

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 32-44

A study of occupational structure of worker in Basti District, Uttar Pradesh

Dr. Hani Mishra*
Deep Narayan **

Abstract

This study delves into the occupational analysis of District Basti, emphasizing the distribution of main workers, agricultural workers, and those engaged in family industries across its development blocks. Parsarampur emerged as a focal point, with 19.93% actively contributing to various sectors, closely followed by Kaptanganj at 19.58%. Gaur and Saltaua Gopalpur showcased robust workforces, emphasizing their pivotal roles in sustaining district-wide economic activities. Basti Sadar, a central block, demonstrated an 18.42% participation rate, serving as a key hub for economic and occupational endeavours. The study highlighted Saunghat, Haraiya, Rudhauli, and Dubauliya as blocks with substantial workforce participation, contributing significantly to the district's economic development. Shifting focus to agriculture, the research explored the percentage of main agricultural workers in different blocks, with Ramnagar standing out at 87.88%, reflecting a strong agricultural focus. Gaur, Saltaua Gopalpur, and Dubauliya demonstrated substantial agricultural workforces, shaping the agrarian landscape. Examining main workers in family industry, Bahadurpur emerged as a standout with 6.28%, showcasing a significant presence in family-based occupations. These insights offer a comprehensive understanding of the occupational landscape, emphasizing the unique contributions of each development block to the district's socio-economic fabric.

Keywords*- Main Workers, Occupational structure, Workforces.*

Introduction

The research conducted in 2011 offers a comprehensive exploration of the occupational analysis within District Basti,

* ***Associate Professor, Department of Geography, D.A.V. College, Kanpur, U.P.***
** ***Research Scholar, Department of Geography, D.A.V. College, Kanpur, U.P.***

shedding light on the distribution of main workers, agricultural workers, and those engaged in family industries across various development blocks. In this study, the significance of each development block is illuminated, revealing key contributors to the district's economic landscape. Parsarampur emerged as a standout, with 19.93% of its population actively participating as main workers, signifying a substantial and diverse workforce. Kaptanganj and Gaur closely followed, showcasing their vital roles in economic activities and occupations. The agricultural sector, as depicted in Ramnagar with an outstanding 87.88% of main agricultural workers, underlines the importance of specific blocks in sustaining Janpad Basti's agrarian economy. The distribution of main workers in family industries further adds depth to the socio-economic landscape, with Bahadurpur, Bankati, and Haraiya exemplifying their active engagement in family-based occupations. These findings collectively provide a nuanced understanding of the occupational fabric of District Basti, emphasizing the unique contributions of each development block to the district's socio-economic vitality.

Review of Literature

In India, unemployment is five per cent but poverty is more than 30 per cent [Dev, 2000]. In other words, much of the employment is not adequately productive or remunerative [Dev, 20001. It indicates that access to different types of employment can determine 25 per cent of poverty levels in India. The recent NSS 55th round household employment data shows that there is a greater variation in incomes from different types of employment. In an overview, Sundaram (2011) concluded that the average wage incomes of regular age/salaried workers would be higher than those received by the casual labourers and also higher than incomes of self-employed with asset base. A Complex web of socioeconomic characteristics determines access to different sources of income and types of employment. The importance of incorporating household composition in the analysis of type of

employment has long been recognised (Buhmann, 1988). There is clear evidence that education, skill and assets determine most of the variation in types of employment of workers. Even where the educational and skill levels are similar, gender, kinship, caste, tribe etc., remain important determinants of access to different types of employment (Ghose, 1999). Empirical work on Indian data has been relatively scarce, except the study by Dreze and Srinivasan (1997), who have utilised disaggregated data on household size and composition to analyse the type of employment of female-headed households in India. In another study, Ray (2000) concludes that the workers belonging to SC/ST, whose sole employment source has been agricultural labour or other labour, generally experience significantly lower standards of living than others in rural India.

Study Area

Basti district is located at 26.8140° North latitude and 82.7630° East longitude in Uttar Pradesh, India. The district receives an annual rainfall of 1166 mm. The temperature ranges between 9-44 degrees Celsius, and the humidity level is over 70%. The geographical area of Basti district is 2,688 square kilometres. As per the 2011 census, the population of the district is 2,464,464, including 1,255,272 males and 1,209,192 females. There are 3,348 villages in the district.In this district, cultivation includes sugarcane, sesame, cotton, rice, and wheat. The region is rich in minerals and forest resources such as sand, sal, turmeric, teak, Tibau, mahua, bamboo, neem, jamun, and mango. The northern part of the district shares its border with Siddharthnagar district. There are small streams and ponds in the district. The Ami River flows along the northeastern boundary, and the city of Basti is situated on the banks of the Kuwano River. This city is located 80 kilometres northwest of Gorakhpur and 82 kilometres east of Faizabad.

In ancient times, Basti was known as 'Vaishishthi,' named after the sage Vasishtha

Map No.1 Study area

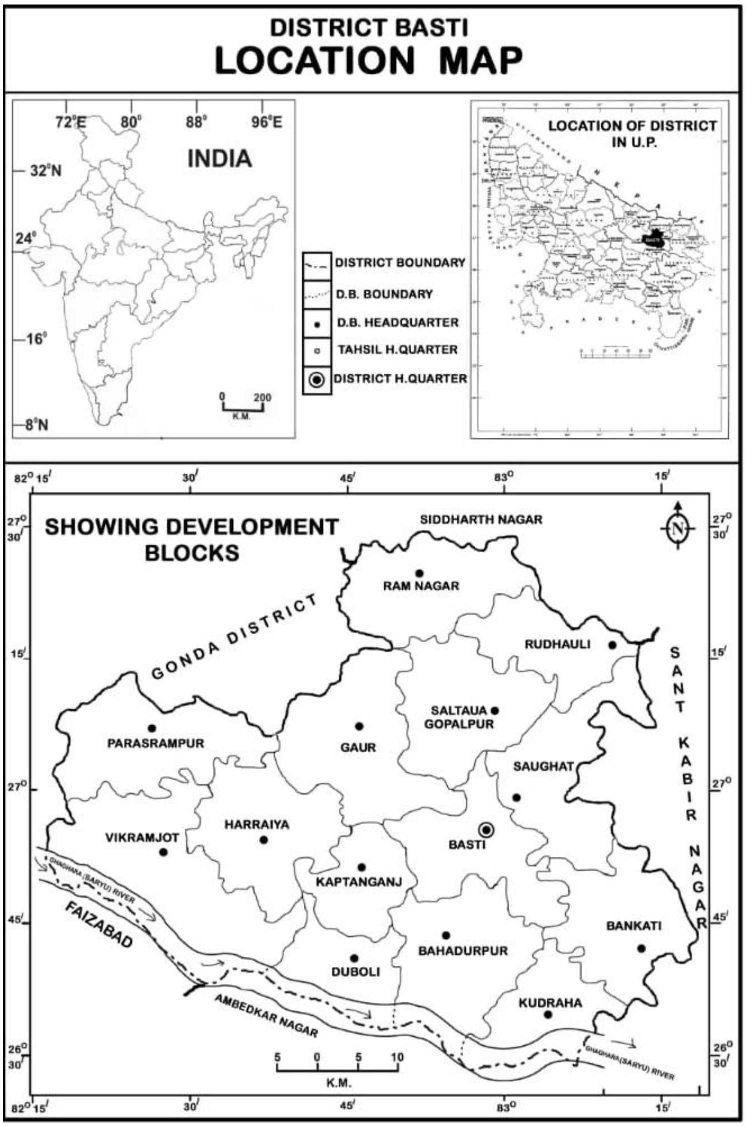

Objectives

1. Assess the economic dynamism of District Basti by analyzing the concentration of main workers.
2. Focusing on high percentages of main agricultural workers.
3. Examine the diversity of occupational activities within Janpad Basti by understanding the distribution of main workers.

Methodology

The research conducted in 2011 in District Basti involved analyzing the distribution of main workers in different development blocks, focusing on the percentage of the total population engaged in various occupational roles. Three main categories were studied: main workers, main agricultural workers, and main workers in the family industry. The findings highlight the economic strengths and contributions of specific blocks, such as Parsarampur, Kaptanganj, and Gaur. The research offers valuable insights into the economic and occupational landscape of District Basti in 2011, emphasizing the significance of each development block.

Main Workers

In the year 2011, a comprehensive study was conducted to understand the distribution of main workers in various development blocks within District Basti, focusing on the percentage of the total population engaged in these roles. The data provides valuable insights into the occupational landscape of the district, highlighting the significance of each development block. Parsarampur emerged as a notable development block, with 19.93% of its total population actively engaged as main workers. This suggests a substantial workforce contributing to various sectors and activities within the block. Kaptanganj followed closely, with 19.58% of its population classified as main workers. This indicates a significant presence of individuals contributing actively to economic activities and occupations. Gaur exhibited a robust workforce, with 19.43% of its population classified as main workers. The block plays a pivotal role in sustaining economic activities within the district. Saltaua Gopalpur demonstrated a substantial workforce, with 18.99% of its population engaged as main workers. This signifies the block's importance in terms of economic contributions. Basti Sadar, a central development block, showcased an 18.42% participation rate among its total population in main worker roles. The block likely serves as a key hub for economic and occupational activities.Saunghat contributed significantly to the district's workforce, with 18.26% of its population classified as main workers. This suggests a vibrant economic

landscape within the block. Haraiya exhibited an 18.24% participation rate among its total population in main worker roles. The block's workforce contributes significantly to the overall economic development of the district. Rudhauli, with a workforce participation rate of 17.83%, plays a crucial role in shaping the economic analysis of District Basti. The block hosts a substantial number of individuals actively involved in various occupations. Dubauliya demonstrated a workforce participation rate of 17.6%, signifying the active engagement of its population in main worker roles. The block likely contributes significantly to the economic output of the district.Bahadurpur, with a 16.98% participation rate, contributes substantially to the district's workforce. The block's economic activities play a crucial role in the overall development of District Basti.Kudaraha, with a 16.09% participation rate, reflects a significant workforce actively contributing to economic activities within the district. The block's role is pivotal in shaping the occupational landscape.Vikram Jot, with a 16.07% participation rate, hosts a considerable workforce engaged as main workers. The block's contributions are integral to the overall economic vitality of District Basti.Ramnagar demonstrated a workforce participation rate of 16.03%, indicating a substantial presence of main workers within the block. The economic activities in Ramnagar significantly contribute to the district's overall development. Bankati, with a 15.99% participation rate, plays a crucial role in the district's economic landscape.

Table No.1 Percentage of Total Population of Main Workers in District Basti

Percentage of Total Population of Main Workers in District Basti - 2011	
Development Block	**Percentage of Total Population of Main Workers**
Parsarampur	19.93
Kaptanganj	19.58
Gaur	19.43
Saltaua Gopalpur	18.99
Basti Sadar	18.42
Saunghat	18.26

Haraiya	18.24
Rudhauli	17.83
Dubauliya	17.6
Bahadurpur	16.98
Kudaraha	16.09
Vikram Jot	16.07
Ramnagar	16.03
Bankati	15.99

Source- *https://updes.up.nic.in*

Graph No.1 Percentage of Total Population of Main Workers in District Basti

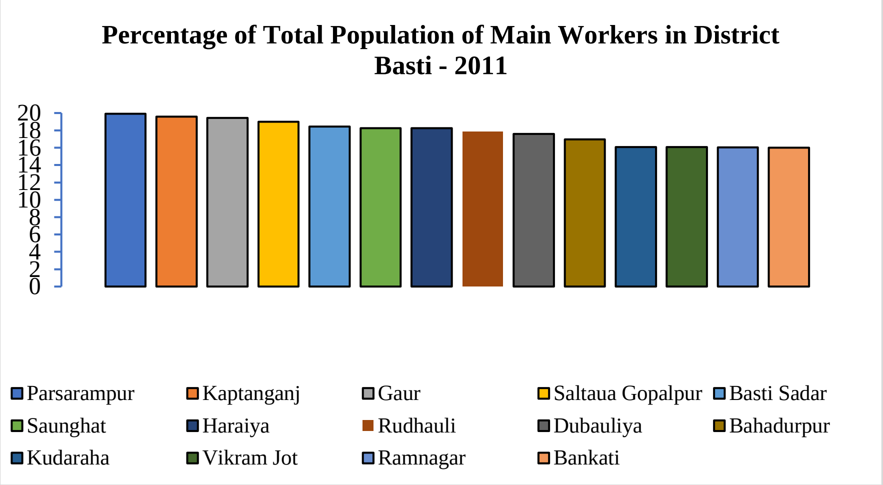

Agricultural Workers

In the agricultural landscape of Janpad Basti in the year 2011, the distribution of main agricultural workers across different development blocks sheds light on the significant role each plays in the sector. Here's a detailed description of the percentage of total main agricultural workers in agriculture for each development block-Ramnagar stands out with an exceptionally high percentage of main agricultural workers, boasting 87.88%. This indicates a strong agricultural focus within the block, with a large portion of the population actively engaged in farming activitiesRudhauli follows closely with 85.84% of its workforce classified as main agricultural workers. This underscores the agricultural prominence of the block and suggests a community deeply rooted in farming practices.

Kudaraha maintains a robust agricultural workforce, with 84.87% of its population engaged as main agricultural workers. The block likely plays a crucial role in contributing to the agricultural output of Janpad Basti. Bankati exhibits a high percentage of main agricultural workers at 83.84%, emphasizing its significance in the agricultural sector. The block's agricultural activities contribute substantially to the overall productivity of Janpad Basti. Gaur, with 81.84% of its workforce involved in agriculture, plays a pivotal role in sustaining the district's agrarian economy. The high percentage reflects the agricultural heritage and practices within the block. Saltaua Gopalpur maintains a significant presence in agriculture, with 80.99% of its population classified as main agricultural workers. The block's contributions are integral to the district's agricultural vitality. Dubauliya demonstrates a substantial agricultural workforce, with 79.73% actively engaged in farming activities. The block's role in agriculture is noteworthy, contributing to the agricultural prosperity of Janpad Basti. Parsarampur exhibits a high percentage of main agricultural workers at 79.37%, highlighting its pivotal role in the agricultural sector. The block's agricultural practices significantly shape the district's agrarian landscape. Kaptanganj maintains a considerable agricultural workforce, with 75.33% classified as main agricultural workers. The block's contributions contribute significantly to the district's agricultural productivity. Vikram Jot, with 73.83% of its population engaged in agriculture, reflects a strong agricultural focus within the block. The block's farming activities contribute substantially to Janpad Basti's agrarian economy. Haraiya plays a crucial role in agriculture, with 73.47% of its workforce classified as main agricultural workers. The block's agricultural contributions are vital to sustaining the district's farming practices. Bahadurpur exhibits a significant presence in agriculture, with 72.6% of its population engaged as main agricultural workers. The block's agrarian activities contribute substantially to the district's farming sector. Saunghat maintains a strong agricultural workforce, with 70.54% actively engaged in farming. The block's contributions are integral to the overall agricultural analysis of Janpad Basti. Basti Sadar, with 61.29% of its population classified as main agricultural workers, reflects a notable

agricultural focus within the block. The block's contributions play a crucial role in sustaining the district's agrarian economy.

Table No. 2 Percentage of total main agricultural workers in agriculture in Janpad Basti

Percentage of total main agricultural workers in agriculture in Janpad Basti - 2011	
Development Block	**Percentage of Main Agricultural Workers**
Ramnagar	87.88
Rudhauli	85.84
Kudaraha	84.87
Bankati	83.84
Gaur	81.84
Saltaua Gopalpur	80.99
Dubauliya	79.73
Parsarampur	79.37
Kaptanganj	75.33
Vikram Jot	73.83
Haraiya	73.47
Bahadurpur	72.6
Saunghat	70.54
Basti Sadar	61.29

Source- *https://updes.up.nic.in*

Graph No. 2 Percentage of total main agricultural workers in agriculture in Janpad Basti

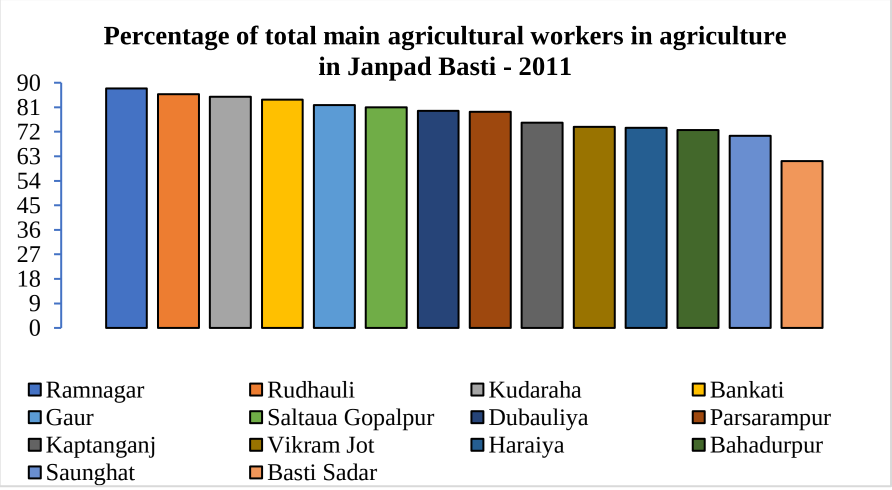

Main Workers in Family Industry

In the socio-economic landscape of Janpad Basti in the year 2011, the distribution of main workers engaged in family industry across various development blocks provides valuable insights into the diversification of occupational activities. Here's a detailed description of the percentage of total main workers involved in family industry for each development block- Bahadurpur stands out with a notable 6.28% of its workforce engaged in family industry. This indicates a significant presence of individuals contributing to various family-based occupations within the block.Bankati follows closely with 5.99% of its population involved in family industry. The block likely hosts a diverse range of family-based economic activities, showcasing the varied skills and occupations of its workforce.Haraiya demonstrates a substantial workforce, with 5.97% actively engaged in family industry. This suggests a vibrant community involved in various family-oriented economic pursuits. Kaptanganj maintains a considerable presence in family industry, with 5.73% of its population contributing to such activities. The block likely plays a pivotal role in fostering family-based occupations. Kudaraha exhibits a noteworthy 5.62% of its workforce involved in family industry. This reflects the block's commitment to sustaining family-based economic endeavors within the district. Rudhauli follows closely with 5.43% of its population engaged in family industry. The block's workforce actively contributes to a diverse array of family-based occupations, adding to the economic diversity of Janpad Basti. Ramnagar maintains a presence in family industry, with 4.72% of its workforce actively contributing to such economic activities. The block likely hosts a range of family-oriented businesses and enterprises. Vikram Jot exhibits a workforce participation rate of 4.68% in family industry. The block likely thrives on family-based economic activities, contributing to the overall economic landscape of Janpad Basti. Saltaua Gopalpur maintains a notable presence in family industry, with 4.19% of its population engaged in such economic activities. This contributes to the economic vibrancy of the block. Basti Sadar, with

3.98% of its workforce involved in family industry, showcases a community actively contributing to family-based economic endeavors. Dubauliya follows closely with 3.34% of its population engaged in family industry. This suggests a diverse array of family-based economic activities within the block, contributing to its economic fabric.Gaur exhibits a workforce participation rate of 3.05% in family industry. The block likely contributes to the district's economic diversity through a variety of family-based occupations and businesses. Parsarampur maintains a notable 3.02% of its population engaged in family industry. The block likely fosters a range of family-based economic activities, adding to the economic vibrancy of Janpad Basti. Saunghat concludes the list with a workforce participation rate of 2.94% in family industry.

Table No.3 Percentage of total main workers in family industry in Janpad Basti

Percentage of total main workers in family industry in Janpad Basti - 2011	
Development Block	**Percentage of Main Workers in Family Industry**
Bahadurpur	6.28
Bankati	5.99
Haraiya	5.97
Kaptanganj	5.73
Kudaraha	5.62
Rudhauli	5.43
Ramnagar	4.72
Vikram Jot	4.68
Saltaua Gopalpur	4.19
Basti Sadar	3.98
Dubauliya	3.34
Gaur	3.05
Parsarampur	3.02
Saunghat	2.94

Source- *https://updes.up.nic.in*

Graph No.3 Percentage of total main workers in family industry in Janpad Basti

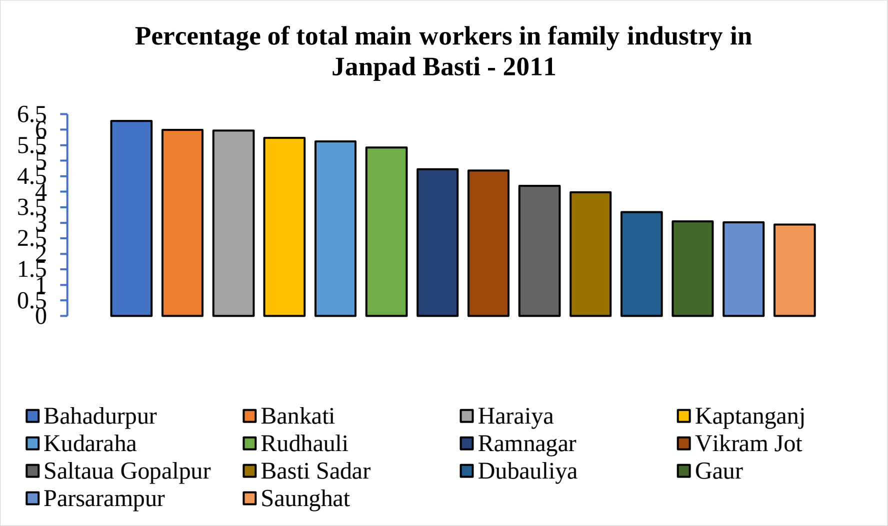

Conclusion

In conclusion, the occupational analysis of District Basti in 2011 reveal a nuanced and diversified economic landscape across various development blocks. The prominence of Parsarampur, Kaptanganj, and Gaur in main worker contributions underscores their pivotal roles in sustaining economic activities. Similarly, the agricultural sector thrives in blocks like Ramnagar, Rudhauli, and Kudaraha, showcasing their crucial role in shaping Janpad Basti's agrarian economy. Family industries contribute to economic diversity, with Bahadurpur, Bankati, and Haraiya emerging as active participants in such pursuits. The collective findings emphasize the unique contributions of each block to the district's socio-economic vitality, reflecting a dynamic interplay between main workers, agricultural workers, and family industries. As District Basti continues to evolve, understanding these occupational analysis provides valuable insights for informed development strategies and targeted interventions.

References

1. *Chandna R.C. & Sidhu, M.S. 1980. Introduction to Population Geography, Kalyani Publisher, New Delhi 4. Krishnamurthy, J. 1978. Some Features of Employment Situation in India. Demography India, 7, 1 & 2 pp. 147.*
2. *Maitra, P. 1969. Change in Occupational Pattern and Industrialization in India, 1901-1961. Trends of Socio-Economic Change in India, 1871-1961, ed., by M.K. Chaudhari, Indian Institute of Advanced Study Shimla, pp. 414-427.*
3. *Radhakrishna, M. & Vijaya Lakeshmi, 1974. Demographic Structure of Labour Force in Andhra Pradesh, Manpower Journal, 10, 2, pp. 86-98.*
4. *You, Poh Seng, 1971. The Growth of the Labour Force, Proceedings of the International Population Conference 1969, London, Vol. III, The International Union for the Scientific Study of the Population Liege, pp. 1481-1499.*
5. *Sinha, J.N., 1971. Labour Force in India Pakistan and Ceylon, Proceedings of the International Population Conference, 1969, London, Vol. III, The International Union for the Scientific Study of the Population, Liege, pp. 1526-1541*
6. *Statistical Abstract of Basti published by the Department of Economic and Statistical Analysis, Government of Uttar Pradesh.*

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 45-52

To Study the Effect of Emotional Maturity on Organizational Citizenship Behaviour of the Employees

Monika Ranjan*

Prof. Shailendra Prasad Pandey**

Abstract

In organizational psychology, organizational citizenship behaviour is most important variable for any employee of the organization, whereas emotional maturity is an important and essential aspect of both personal and professional life. It allows individual to control and manage their emotions effectively, leading to improved decision making, overall well-being, work and relationship. The aim of the study was to find out the effect of emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour of government employees of Kanpur. A total of 60 government employees (30 rural and 30 urban) participated. Dr. Roma Pal's Emotional maturity scale and Dr. Sangeeta Jain, Dr. Vivek Sharma's Organizational citizenship behaviour scale were administered. In present study we have found that Emotional maturity factor and region factor both have a significant effect on organizational citizenship behaviour. There is a significant difference between emotion maturity of urban and rural employees related to OCB. Similarly, the effect of high emotional maturity and low emotional maturity has also been significant on OCB. Hence, urban employees are significantly better in OCB than rural employees and high emotional maturity employees are significantly better in OCB than low emotional maturity employees. Hence, both the main effects were found to be significant, but the interaction effect was found to be insignificant.

Keywords : *Emotional Maturity, Organizational Citizenship Behaviour, Region, Government Employees.*

Problem of the Study

To study the effect of emotional maturity on organizational citizenship behaviour of the employees.

---

* ***Research Scholor, STDPG College, Dr. RLAU Ayodhya, U.P.***
** ***Professor, STDPG College, Dr. RLAU Ayodhya, U.P.***

Introduction

A. *Emotional maturity:*

Emotional maturity means managing your emotions, understanding them and having self-control. Emotionally mature people do not see their emotions as a weakness. Instead, they value them and don't try to hide them.

8 signs of emotional maturity-

- Sympathetic
- Able to recognize and share emotions.
- Flexible and open-minded.
- Able to form safe, healthy relationships.
- Take responsibility for your actions.
- Set healthy boundaries.
- Able of resolving disputes.
- Can manage stress in healthy ways.

Four stages of emotional maturity

It is believed that people live in one of four states of living, which can be taken for levels of emotional development or maturity. These levels are: Survival (fear-based living); Security (duty-based life), Success (ego-based life) and Calmness (love/faith-based life).

Level of emotional maturity

- Level 1 – Emotional Responsibility,
- Level 2 – Honesty for emotional feelings,
- Level 3 – Emotional Openness,
- Level 4 – Emotional Intensity,
- Level 5 – Emotional Understanding,
- Level 6 – Emotional disconnection.

According to Murray (2003) the aspects of emotional maturity are: 1) Ability to give and receive affection and love; 2) Ability to accept, cope and deal with reality; 3) same interest in giving as receiving; 4) Positive from life experiences ability to see clearly; 5) Ability to learn from experience; 6) Ability to accept dissatisfaction; 7) Ability to handle hostility constructively; 8) Relative freedom from symptoms of stress.

According to the theory of emotional maturity by **Franz Alexander**, individuals reach psychological maturity only when they attain a specific level of intelligence and maintain a certain level of emotional outlook. According to a study, emotional immaturity can create a feeling of loneliness in a person, and emotional immaturity and loneliness together can affect all aspects of a person's life and satisfaction. Specifically, an emotionally immature person feels lonely and has less ability to regulate emotions and life satisfaction than an emotionally mature person.

B. ***Organizational citizenship behaviour:***

In organizational psychology, organizational citizenship behaviour (OCB) is an person's voluntary commitments within an organization that are not part of his or her job and tasks. Organizational citizenship behaviour has been studied since the late 1970s.

Dennis Organ is considered the father of OCB. The organ expanded upon the original work of Katz (1964).

Organ (1988) defines OCB as "*individual behaviour that is discretionary, not directly or explicitly recognized by a formal reward system, and that promotes the effective functioning of the organization as a whole*". The definition of OCB given by ORGAN includes three important aspects, which are as follows:

First, OCB is considered discretionary behaviour, which is not part of the job, and is performed as a result of personal choice by the employee.

Second, OCBs go beyond the enforceable requirements of the job description.

Third, OCB contributes positively to organizational effectiveness in an organization.

Dimensions of Organizational Citizenship Behaviour-

According to Dennis Organ, there are five types of organizational citizenship behaviour:

1. Altruism:

Altruism means helping someone in need selflessly. This behaviour is practiced to help the broader well-being, i.e. the well-being of the team in the organization. In an organization, this might

mean a colleague offering help with a colleague's work, or giving helpful feedback on another team member's work or project.

2. Courtesy:

Courtesy refers to polite behaviour with others in the workplace and respect for co-workers. Courtesy can create sympathy, trust and kindness in the organization.

3. Sportsmanship:

The quality of being generous, courteous and fair when playing a game. When someone is a good team player. In any organizational setting, there come times when a team wins and they need to go back to the drawing board. Being a good sport in an organization means taking accountability for your role in the team's defeat and offering ideas to improve the situation.

4. Conscientiousness:

Conscientiousness is a fundamental personality trait of a person – one of the Big Five Factor Theory – which reflects the tendency to be responsible, organized, hard-working, goal-directed, and follow norms and rules. Conscientiousness means being honest about the work you do and paying attention to it, rather than checking it off your to-do list.

5. Civic virtues

Civic quality refers to how employees speak about their organization outside the workplace and can show a sense of pride and loyalty in working for their company, resulting in higher quality work.

Objective of the Study

1. To find out significant effect of emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.
2. To find out significant difference between rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour.
3. To find out significant effect of rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour
4. To find out interaction effect between emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.

Hypothesis

Ho1. There will be significant effect of emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.

Ho2. There will be significant difference between rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour.

Ho3. There will be significant effect of rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour

Ho4. There will be interaction effect between emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.

Rational of the Study

Emotional maturity is very essential concept of any individuals because its helps you build healthier relationship, communicate better with other individuals and express your emotion and yourself clearly. Another variable is organizational citizenship behaviour is also essential concept for any employees because when employees are good organization citizens, organization can ensure that their employees are looking out for their best interest and good citizenship can create a healthy and positive work environment, good citizenship can improve morale. Employees who engage in organizational citizenship behaviour are more satisfied with their jobs.

There has not been much research on both emotional maturity and organizational citizenship behaviour together. So I decided to conduct the research on these variables. In order to remove the gap of knowledge in these variables and field.

Method

Varibale

Independent Variable- Emotional Maturity, Region.

Dependent Variable- Organizational Citizenship Behaviour.

Sample

In this present research, I selected 60 government employees (30 rural and 30 urban) of Kanpur.

Instrument

.*Emotional maturity scale* (Dr. Roma Pal): This scale consists 40 items in 5 emotional maturity area- I. Emotional unstability, II. Emotional regression, III. Faulty social adjustment, IV. Lack of independency, V. Flexibility and adaptability. 8 items for each area of emotional maturity. This scale is five point scale from strongly agree to strongly disagree. The language of this scale is Hindi. The reliability of this scale was found by Split-Half method is 0.74, by test-retest reliability is 0.77 and internal consistency reliability is 0.66 and validity of this scale was found to be 0.84 by author.

.*Organizational citizenship behaviour* (Dr. Sangeeta Jain, Dr. Vivek Sharma): This scale consists 36 items in 4 factors- I. Alturism, II. Organizational compliance, III. Sportsmanship, IV. Loyality.1^{st} factor consists 22 items, 2^{nd} factor consists 5 items, 3^{rd} factor consists 6 items and 4^{th} factor consists 3 items. This scale is five point scale from strongly agree to strongly disagree. The language of this scale is Hindi. The reliability of this scale was determined by split-half reliability is 0.89 and validity of this test was found to be 0.94 by author.

Procedure

For the present research, first I went to rural government organization and administered the emotional maturity scale on rural government employees randomly. After scoring, I selected 30 rural government employees, in which 15 were high emotional mature rural government employees and 15 were low emotional mature rural government employees. Similarly, 30 urban government employees were also selected. This way a total number of subjects are 60.

Then the scale of organizational citizenship behaviour was administered to these 30 rural government employees and 30 urban government employees. This is how I got the data for this research.

Statistics

In this present research, 2*2 ANOVA has been used to find out the significant effect of emotional maturity and region on OCB.

Results

The result of this test showed in the table:

Table No.1

Summary of Anova

SOURCE	SS	df	MS	F	P Value
A- Region	12965.4	1	12965.4	**108.5209****	**>.01 S**
B- Emotional maturit	1109.4	1	1109.4	**9.285717****	**>.01 S**
A*b	147.2667	1	147.2667	**1.232627**	**<.05 NS**
Within	6690.533	56	119.4738		
Total	35134.67	59			

Table No. 2

HYPOTHESIS		ACCEPT/REJECT
*Ho*1	There will be no significant effect of emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.	Reject
*Ho*2	There will be no significant difference between rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour.	Reject
*Ho*3	There will be no significant effect of rural and urban employees on the variable of organizational citizenship behaviour.	Reject
*Ho*4	There will be no interaction effect between emotional maturity and region on organizational citizenship behaviour.	Accept

Interpretation and Conclusion

Looking at the results, it is clear that both emotional maturity factor and region factor have a significant effect on OCB. There is a significant difference between rural and urban emotional mature employees related to OCB. The F distribution shows that at 1 df on the larger mean square and 56 df on the smaller mean square, F should

be greater than 4.03 and 7.17 respectively to be significant at the .05 and .01 level. The obtained F (108.52) is clearly more significant at the .01 level. Similarly, high emotional mature employee and low emotional mature employee have a significant effect on OCB. A significant difference has been found in the OCB related behaviour of high emotional mature employee and low emotional mature employee. Here F should be 4.03 and 7.17 respectively at 1 df and 56 df to be significant at .05 and .01 levels, whereas the obtained F is 9.28. Obviously this is more significant at the level .01 level. Hence, urban employees are significantly better in OCB than rural employees and high emotional mature employees are significantly better in OCB than low emotional mature employees. Hence both the main effects were found significant. But the interaction effect was found to be insignificant because here F (1.23) is not significant.

References

1. (n.d.). Retrieved from Roger K. Allen: https://www.rogerkallen.com/stages-emotional-maturity/#:~:text=Four%20States%20of%20Emotional%20Maturation,%2Ftrust%2Dbased%20living).
2. (n.d.). Retrieved from https://www.aihr.com/blog/organizational-citizenship-behavior/
3. (n.d.). Retrieved from https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=jzuPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=emotional+maturity+wikipedia&ots=eLW7lZTOCV&sig=H-50f4xvnYZyULuy2tcdpdUQOrA#v=onepage&q=emotional%20maturity%20wikipedia&f=false
4. Suleman, D. M. (2012). 2*2 factorial design. In D. M. Suleman, *Statistics in psychology education and other social sciences* (pp. 357-369). Patna: Motilal Banarsidas.
5. Tambe, S. (n.d.). A Study of Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Its. *IRJBM – (www.irjbm.org) January - 2014 - Volume No – I.*
6. Tripathi, D. D. (February 2022). *Mangalam Half Yearly Journals of Humanities and Social Sciences*.

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 53-57

Issues of Ethics in Artificial Intelligence : A Study

Shalini Anand *
Rubina Verma**

Abstract

The purpose of the paper is to highlight ethical issues emerging with the advancement of technology. The rapid evolution of Information Technology (IT) has ushered in a new era, but its ethical implications raise questions about whether to embrace or be cautious of these advancements. Artificial Intelligence (AI), a cornerstone of IT, is prone to biases and manipulation by those in control. Search engines, powered by AI, dictate the information users receive, potentially distorting facts and amplifying political and media influence. In legal matters, AI's influence on judgments raises concerns about fairness and human touch. The dominance of AI creates a world where power outweighs strength, shifting focus from noble living to materialistic pursuits. Surveillance and dependence on IT tools lead to a stereotyped approach, stifling innovation and turning society into copycats. Income inequality may widen as AI-driven companies outpace traditional ones, leaving many unprepared college graduates struggling to find opportunities. AI's impact extends to behavioral aspects, turning the world into a gaming zone where chatbots simulate human interactions. Emotional manipulation by AI, storing voices of the deceased, blurs the line between reality and illusion. This artificial connection could hinder a child's development, fostering a reliance on algorithms over genuine human interaction. The unchecked development of AI, without ethical considerations, poses a profound challenge to humanity's future.

Key Words: *Stimulate, Manipulation, Ethical implications, Artificial Intelligence, Human connections*

The world is changing now and the new platforms of Information Technology are not without their own ethical issues. One wonders whether to take pride in such an advancement, go with the

* ***Research Scholar, Invertis University, Bareilly, U.P.***
** ***Associate Professor, Professional Communication Dept. Invertis University, Bareilly, U.P.***

changing time or be vary of its own dangers. Artificial Intelligence seems to be biased in many ways or let us say how the masters of AI can twist it and let the beneficiaries make most of it. You type something in a search engine and you will find only what AI wants you to understand. The facts may be hidden, the power of politics may be loud and the media blaring only to pamper the powerful. People who are looking for real facts may be forced to believe what they see on the screen because people blindfoldedly believe what they see in search engines without even taking care to believe what is going wrong in reality. Even in legal matters AI seems to be controlling judgments as a legal matters solved in a human way may have more personal touch than what is based upon preferences and location selection and data and verdicts depending upon proximities and closeness to incidents and cases already fed as information. Hence it is difficult to say how fair AI can be in delivering the outcome. In such a scenario we can say that AI is not neutral, it is actually more inclined towards the trends and just because it is the most versatile tool of IT the whole world tends to believe it and somewhere we have lost our way. It has established huge demarcations between strong and powerful . The world wants to become powerful and not strong. The philosophy is that used to guide us to the right way of living is dying out now and the people, political parties, businessmen, professionals etc are only looking for ways and means just to look good so that based upon the materialism and the hoard to a more machine based lifestyle they feel safe as long as they live. But the old philosophy that managed the things a more human way have guided us to lead a life that is more noble and a person can live even after the physical existence is no more.

There is a lot of surveillance and checks on the IT based tools that even if we depend upon the limited of it we will only tend to resort to a stereotype approach or shortcuts in other words. This trend will make us copycats, innovation will stop and the minds will get conditioned to the controls of AI. Philosophies will exhaust and the world will cry out for justice, justice that is by the humans and for the humans. We often hear about robots so does that really mean that a

day will come when robot can cry ,feel, taste etc. This is not the advancement of technology. Actually by this we are pushing ourselves into a deep horizon where this technology will master us and those who are fully dependent on it will first become the victims of it as one robot may take away the jobs of many IT engineers and we already see this happening in most of the parts of the world. AI is pushing us into the world of a very low human involvement. The scenario is full of challenges especially when the population of the world is increasing day by day. The world is full of ethical dilemma. When a human being works to make decisions over sensitive situations, he does think about the right and wrong. Humans will be replaced by the algorithms and manipulations of AI based upon the programmed gadgets and machines. Imagine what will be the plight of creatures. Somewhere in the making of AI and its development , a very crucial element of ethics is being ignored and no matter how intelligent the world has become, the algorithms and the already programmed gadgets still seem to be ruling the world and making people believe what is actually misguiding them. Not only this, AI also seems to be mastering the original artworks done centuries ago as it can give a new shape, color, background form and much more to the original works so finally who is the actual artist? Was it centuries back or is it today's algorithm that has added its own value features to let the original be accepted the way our new generations want it to be ?

Artificial intelligence has end number of other issues that are a matter of concern for the world. The biggest one that we face is job reduction. Low human involvement in AI is dangerous for the job market. For example cyber trucks, these are the commercial vehicles that are self driven. Recently Tesla has forayed battery electric full size pickup trucks into the market. It has three models cyberbeast ,AWD and RWD giving a lot of economy in terms of fund and the speed of 250 340 miles, of course depending upon the model. The purpose here is to think about the job cuts it may cause to drivers in the coming times and especially when more and more companies start manufacturing it looking at the success of Tesla . Another issue can

be in the form of income inequalities it is but obvious that the factories and offices that rely on human capital shall not be able to make the kind of money the artificial intelligence companies will make. There is something new coming up every day in AI and certainly our college pass outs with traditional degrees will face a tough time in the lack of technical education, hence most of the money will go to those who are market ready for AI jobs. AI is also going to affect the behavioral aspects of people as the whole world seems to have become a gaming zone. The bots of AI interact with real humans as if there is an actual human to human interaction. Somewhere it also plays with the emotions of people, it seems to be befooling people and we have already started to live in an illusionary world . These chat bots store the voice of the dead ones and simply playing with the emotions of the innocent dependence who fail to understand the reality and continue to live in an illusion that their passed away beloveds are actually talking to them. It can also harm somewhere the development of a child's mind especially when he starts growing up with these kind of chat bots. Certainly he will not value the real human existence and will live in extreme world of chat bots for all his needs. His world will only revolve around the algorithms. The technology will not allow him to ignite a desire for an actual human interface and we are actually seeing this happening in most of the known cases. The actual problem arises when somebody goes deep into the involvement with AI bots and the expectations come up the way we have from real humans here the problem starts. The already fed data and algorithms can only keep you involved and entertain but nowhere they can reflect the realities of life to you. They cannot do your orientation and understand the difference between good and bad, right and wrong, ethical and unethical, sensitive and insensitive, emotional and unemotional, valuable and useless. Somewhere the human connections will be affected as data and information is different and much secondary to facts and realities . So in a way to one extreme we see development in technology and the other extreme has a far reaching impact of the people living in a fake world.

References

1. *Borenstein, J., & Howard, A. (2021). Emerging challenges in AI and the need for AI ethics education. AI and Ethics, 1, 61-65.*
2. *Kalyanakrishnan, S., Panicker, R. A., Natarajan, S., & Rao, S. (2018, December). Opportunities and challenges for artificial intelligence in India. In Proceedings of the 2018 AAAI/ACM conference on AI, Ethics, and Society (pp. 164-170).*
3. *Davenport, T. H., Brynjolfsson, E., McAfee, A., & Wilson, H. J. (2019). Artificial intelligence: The insights you need from Harvard Business Review. Harvard Business Press.*
4. *Jain, R. (2023). The Impact of Artificial Intelligence on Business: Opportunities and Challenges. Available at SSRN 4407114.*
5. *Whittaker, M., Crawford, K., Dobbe, R., Fried, G., Kaziunas, E., Mathur, V., ... & Schwartz, O. (2018). AI now report 2018 (pp. 1-62). New York: AI Now Institute at New York University.*
6. *Heyder, T., Passlack, N., &Posegga, O. (2023). Ethical management of human-AI interaction: Theory development review. The Journal of Strategic Information Systems, 32(3), 101772.*
7. *https://www.wired.com*
8. *https://www.weforum.org*
9. *https://www.chathamhouse.org*
10. *https://dataconomy.com*
11. *https://www.forbes.com*
12. *https://www.nytimes.com*

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 58-65

Effectiveness of Play Therapy in Management of Pre-School Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Ankita Tripathi*
Dr. Shailendra Prasad Pandey**

Abstract

The researcher's objectives in this research is to observe what changes occur in the behavior of ADHD children through play therapy. Now a days ADHD is a serious problem among children due to which they are not able to concentrate on their studies and other activities and their daily lives get affected. The researcher took a pre-school in Lucknow for her sample where there were 550 children. Through a pretest study, the researcher administered the ADHD scale on the children. After that, she selected 30 ADHD children for sample. The researcher wanted to observe through play therapy how the ADHD symptoms are reduced. The researcher made five groups of 6 children each out of 30. Each group was given play therapy for half an hour daily for a month. After a month, she again conducted a posttest study on those children and found that there was significant improvement in the behavior of the children and they showed reduction in ADHD symptoms due to which their class performance improved and they also did much better in other activities. Through this research, the researcher found that play therapy is an effective therapy that can cure ADHD children to some extent. The researcher used dependent sample 't' test for hypothesis testing. The researcher found that her hypothesis was accepted. This means that significant difference was observed between the pretest and posttest study.

Introduction

In children attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most prevalent mental illnesses. ADHD symptoms include impulsivity (hurried, thoughtless actions that happen in the present), hyperactivity (excessive movement that is inappropriate for the

* ***Research Scholar, Dr. Ram Manohar Lohia University, Ayodhya***
** ***Professor, STDPG College, Sultanpur***

situation), and inattention (inability to maintain focus). According to Harpin (2005), ADHD is seen as a chronic and crippling condition that affects a person's ability to operate on a daily basis, build interpersonal relationships, and attain academic and professional goals. When left untreated, ADHD can cause youngsters to have low self-esteem and difficulty interacting with others (Harpin et al., 2016). Adults diagnosed with ADHD may have low self-esteem, heightened sensitivity to criticism, and more self-criticism, which may be a result of experiencing higher amountof criticism in all their lives.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms

Three primary symptoms are associated with ADHD:

1. **Inattention:** Children with ADHD have trouble focusing, adhering to directions, and managing their thoughts and possessions.
2. **Hyperactivity:** They frequently exhibit excessive energy, find it difficult to remain motionless, and behave impulsively.
3. **Impulsivity:** Kids with ADHD may behave impulsively, cut other people off in conversation, or find it difficult to wait their time.

If these symptoms are not properly treated, they may result in low self-esteem, social issues, and scholastic difficulties.

Play Therapy

One type of treatment that's commonly applied with kids is play therapy. This is due to the prohibility that young people are unable to express their own feelings or issues to their parents or other adults. Play therapy is considerably more than just regular playtime, despite the appearance of it being so. Playtime provides an opportunity for a licensed therapist to watch and learn about a child's issues. The youngster can then work with the therapist to address underlying trauma and explore emotions. Children can learn new coping skills and how to redirect unwanted behavior through play.A wide range of certified mental health practitioners, including psychologists and psychiatrists, use play therapy. Social workers,

physical therapists, and occupational and behavioral therapists also practice it. Furthermore, the Association for Play Therapy provides advanced qualifications and specialized training programs for school psychologists, counselors, and licensed mental health practitioners.

Play therapy is useful for people of all ages, but it is most commonly applied to children 3 to 12 year old. Play therapy could be beneficial in a number of situations, including:

- Dealing with palliative care, chronic disease, or medical procedures.
- Learning impairments or developmental delays.
- Problematic actions in the classroom: hostile or irate conduct.
- Family problems, such as separation, divorce, or the passing of a close relative.
- Natural catastrophes or distressing incidents.
- Abuse, neglect, or violence inside the home.
- Eating, sleeping, grieving, anxiety, and depression.
- ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder.
- ASD, or autism spectrum disorder.

Role of Play Therapy

A type of psychotherapy created especially for kids is called play therapy. It uses play as a vehicle for expression and communication, giving kids a secure space to explore their ideas, emotions, and experiences. Play therapy has several unique advantages for kids with ADHD:

Play therapy offers youngsters a way to discharge their feelings without using words. They can express their emotions through play, which aids the child's therapists in understanding their challenges and anxieties.

- **Enhanced Self-Esteem:** Because of their conduct, many kids with ADHD receive unfavorable comments and criticism. They can achieve success in play therapy, which will increase their confidence and sense of self.
- **Enhanced Self-Control:** By teaching kids with ADHD to make decisions, set limits, and exercise impulse control while playing, play therapy aids in the development of self-regulation skills in the kids.
- **Development of Social Skills:** Children with ADHD frequently have difficulty interacting with others. Through cooperative play and interactions with the child's therapist, play therapy helps children develop their social skills.
- **Stress Reduction:** Play therapy is a calming and stress-relieving exercise that can assist kids in managing the annoyance and anxiety that are frequently linked to ADHD.
- **Cognitive Development:** A lot of play therapy exercises aim to improve cognitive skills like creativity, problem-solving, and decision-making, which are hard for kids with ADHD.
- **Family Involvement:** Play therapy frequently includes the child's family, giving parents a chance to learn how to manage their child's ADHD in a better way and build stronger bonds within the family.
- **Tailored Interventions:** Play therapists are able to adapt activities to meet the unique requirements and difficulties that each kid with ADHD faces, which results in a highly personalized approach to therapy.

A plethora of research and clinical observations have substantiated the efficaciousness of Play Therapy as an adjunctive intervention for ADHD in pediatric patients. According to research, play therapy can result in:

Decreased symptoms of ADHD: Play therapy can help kids focus in a better way and exercise self-control by helping them control their impulsivity and attention.

Improved academic performance: Play therapy can help children with ADHD develop higher self-esteem and self-regulation abilities, which can improve their academic performance.

Better social interactions: Play therapy helps kids with ADHD build social skills and build stronger bonds with their family, friends, and classmates.

Decreased anxiety and tension: Play therapy can assist kids with ADHD in managing their stress and anxiety levels by offering a secure environment for emotional expression.

For kids with ADHD, play therapy is an effective treatment strategy that can greatly enhance their quality of life through a variety of advantages. Play therapy is an additional treatment modality that can help children manage the emotional, social, and cognitive elements of ADHD and better traverse the obstacles that come with the disease. If your child has ADHD then think about including play therapy in their all-encompassing treatment plan. Speak with a licensed Registered Play Therapist about the possible advantages and tactics catered to your child's particular requirement.

Following a comprehensive evaluation, the therapist will establish what boundaries might be required, identify some therapeutic goals, and create a plan of action.

Play therapists observe closely how a child plays alone, how they cope with being away from their parent, and how they respond .

How a child engages with various toys and how their behavior varies from session to session can indicate a lot. Play can be an outlet for their anxieties and fears, a calming technique, or a means of healing and problem-solving.

Play therapists utilize these findings to inform their next course of action. Since every child is unique, therapy will be customized to meet their specific needs. It is possible to re-evaluate goals and behaviors as therapy advances.

Parents, siblings, or other family members may eventually be included in play therapy sessions by the therapist. It's referred to as filial therapy. It can support healing, enhance family dynamics, and teach conflict resolution.

Problem of the Study

To assess the effectiveness of play therapy in management of Pre-School children with ADHD.

Objectives of the Study

The researcher's objective is to study whether play therapy can improve the behavior of ADHD pre-school children .

Hypothesis

There would be significant changes after administering play therapy on ADHD pre-school children .

Methodology

Variables -Independent Variable - Play Therapy

Dependent Variable - ADHD Pre- School Children

Sample

The researcher selected a Pre primary school in lucknow where there were a total of 550 children and used the purposive /judgmental sampling method to select the sample. She selected 30 ADHD children for her sample who were between 3 to 6 year old.

Tools of Data Collection

To find out ADHD children in school researcher used to ADHD rating scale developed by G.J.DuPaul 1990 and as well as observation method. Its 4 point rating scale consisting of 14items which is arranged as ADHD symptoms .

Statistical Analysis

In the present research , Researcher to fulfill their objectives, used Dependent sample 't' test for statistical analysis of the obtained data.

Result and Discussion

The researcher selected 30 ADHD children by using the pretest method for her sample from the population. Divided those children into 5 groups and play therapy was administered to each group for half an hour a day whole month. after that researcher did a posttest study on them using ADHD rating scale. In the research, on the basis of pretest and posttest study, raw score was obtained and determined the mean and SD score. After that researcher using 't'-test formula and calculated SE_d and 't' test score which is shown in table no.1

Table No.1

Showing the value of Mean ,SD , Standard error of difference(SE_d) and' t' test of play therapy in management of pre-school children with ADHD.

	N	Mean Score	SD Score	SE_d Score	t-Test Score	Significance Level
Pre Test Study	30	36.23	10.94	.995	18.23	0.05
Post Test Study	30	18	1.93			

Score obtained by 't' test were checked at 29 degree of freedom (df) which is significant at 0.05 level . the table value was 2.04 at the level of 0.05 while the obtained value is 18.23. this means that hypothesis is being accepted. In other word there is significant difference between pre test and post test score.

Conclusion

These findings support above hypothesis, there is a visible change in the behavior of ADHD children after administering play therapy such as improving the power of decision and executive functioning, reducing impulsivity and helping the child process

distracting emotion. Along with this it was also observed that the excessive hyperactivity in ADHD children gradually started reducing. Stability in the behavior of the children was observed after this therapy. Along with change in the behavior of the children academic performance also got improved .Play therapy (colouring activity, outdoor games and puzzles solving etc.) provides a way for children to communicate their experience and feeling through play therapy which is an innovative and successful strategy for assisting kids with ADHD in overcoming obstacles and fostering normal growth.

Reference

- https://www.changingtidescounseling.com
- https://www.dynseo.com
- https://www.learningthroughplaytherapy.com
- Garrett, E.H.(1961) Statistics in Psychology and Education. Bombay : Allied.
- Shrivastva, D.N.; Statistics And Evaluation : Testing Experimental Hypothesis (208-242).
- Singh, Arun Kumar; Research Methods In Psychology Sociology And Education (some important statistical concepts : A theoretical review 396-442)

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 66-75

Educational Rights of Transgender Persons in India: Navigating the Path to Inclusion and Equality

Dr. Padma Aparajita Parija*

Anjalika**

Abstract

Transgender education in India faces several challenges. This article provides an overview of the study that delves into the educational rights of transgender persons in India, exploring the challenges they face and the strides made towards fostering inclusion and equality within the educational system. The article also examines the legal framework and policy landscape concerning transgender rights in education, shedding light on the gaps and ambiguities that persist. This study aims to provide insights into the current state of educational rights for transgender persons in India, offering recommendations for policy enhancements, institutional reforms, and societal awareness initiatives.

Keywords: *Education, Rights, Transgender*

Introduction

In recent years, there has been a growing recognition of the rights and dignity of transgender individuals in various spheres of life. One of the crucial areas where progress is being made is in the field of education. In India, where transgender persons have historically faced discrimination, exclusion, and social stigmatization, efforts are being made to ensure that they have equal access to quality education and are treated with the respect they deserve. This article delves into the educational rights of transgender persons in India, highlighting the challenges they still face, the legal framework in place, and the steps

* ***Assistant Professor, Department of Law, C.M.P. Degree College, University of Allahabad, Prayagraj***

** ***Assistant Professor, Department of Law, C.M.P. Degree College, University of Allahabad, Prayagraj***

that can be taken to ensure their full inclusion in the educational system.

Who is Transgender?

A transgender person is an individual whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. In other words, someone who is transgender identifies with a gender that doesn't align with the societal expectations or physical characteristics associated with the sex they were labeled as when they were born.

For example, a person who was assigned male at birth but identifies and lives as a woman is a transgender woman. Similarly, a person who was assigned female at birth but identifies and lives as a man is a transgender man.

According to Section 2(k) of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 “transgender person” means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans-man or trans-woman (whether or not such person has undergone Sex Reassignment Surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy), person with intersex variations, genderqueer and person having such socio-cultural identities as kinner, hijra, aravani and jogta.

It's important to note that being transgender is about one's internal sense of self and identity, which may or may not involve medical procedures or hormone treatments. The experience of being transgender can vary widely among individuals, and it's crucial to respect their self-identified gender and use their chosen name and pronouns to show support and understanding.

Issues Related to Transgender Education in India:

Historically, transgender individuals in India have faced significant barriers when it comes to accessing education. Discrimination, bullying, and harassment have been rampant in educational institutions, leading to dropouts and a lack of educational opportunities. These experiences have not only hindered their personal development but have also perpetuated societal biases against the transgender community.

Transgender education in India faces several significant challenges and issues. While there have been some positive developments in recent years, such as legal recognition and policy changes, many obstacles remain. Here are some of the key issues related to transgender education in India:

1) **Lack of Inclusivity:** Transgender students often face exclusion and discrimination in educational institutions. Schools and colleges are not always equipped to address their unique needs, leading to an unwelcoming environment that can adversely affect their academic performance and mental well-being.

2) **Bullying and Harassment:** Transgender students are at a higher risk of being bullied, harassed, and ridiculed by their peers due to their gender identity. This hostile atmosphere can lead to low self-esteem, depression, anxiety, and even dropping out of school.

3) **Gender-Segregated Facilities:** Educational institutions in India often have gender-segregated facilities, such as hostels, bathrooms, and changing rooms. This poses a challenge for transgender students who don't fit within traditional binary gender categories and can result in feelings of isolation and discomfort.

4) **Lack of Awareness and Sensitization:** Many educators, administrators, and students lack proper awareness and understanding of transgender issues. This lack of knowledge contributes to the perpetuation of harmful stereotypes and discriminatory behavior.

5) **Curriculum Inclusivity:** The curriculum in India rarely includes content that is inclusive of transgender experiences and contributions. This omission erases the history and struggles of transgender individuals and reinforces the idea that their stories are not important.

6) **Barriers to Higher Education:** Transgender individuals often face barriers to pursuing higher education due to societal discrimination and a lack of support systems. Financial constraints, lack of appropriate documentation, and a hostile campus environment can all prevent transgender individuals from accessing higher education.

7) Legal and Policy Gaps: While India has taken some steps to recognize transgender rights, implementation of these policies is often lacking. For instance, the Transgender Persons (Protection of Rights) Act of 2019 aims to protect transgender rights, but it has faced criticism for not adequately addressing the community's needs and for potentially perpetuating stigma.

8) Employment Prospects: Education is a key factor in gaining employment opportunities, and the difficulties transgender individuals face in accessing education can affect their future career prospects as well.

Efforts are being made by various organizations, activists, and educators to address these issues. Sensitization programs, training for teachers and administrators, and awareness campaigns can help create a more inclusive environment. Incorporating transgender-inclusive content in the curriculum and providing access to gender-neutral facilities are steps towards making educational institutions more welcoming for transgender students. However, a comprehensive approach involving changes in policy, societal attitudes, and infrastructure is needed to truly address the challenges faced by transgender individuals in the realm of education in India.

Constitutional Safeguards Related to Educational Rights of Transgender Persons

In India, the Constitution guarantees certain fundamental rights to all citizens, regardless of their gender identity. The rights that are particularly relevant to the educational rights of transgender individuals include:

1. **Right to Equality (Article 14):** This article ensures that all individuals are equal before the law and are entitled to equal protection of the law. This means that transgender individuals should not face discrimination in educational institutions based on their gender identity.

2. **Right Against Discrimination (Article 15):** Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or

place of birth. This includes discrimination against transgender individuals in admission to educational institutions.

3. Right to Freedom (Article 19): Article 19 guarantees the right to freedom of speech and expression, which includes the right to express one's gender identity without fear of discrimination or persecution. This could be particularly relevant to transgender individuals who wish to express their gender identity in an educational setting.

4. Right to Education (Article 21A): Article 21A guarantees the right to education for all children between the ages of 6 and 14. This right extends to transgender children as well, ensuring that they have access to quality education.

While these constitutional provisions provide a framework for protecting the educational rights of transgender individuals, the actual implementation and protection of these rights may vary. India has taken some steps to address the rights of transgender individuals through legal and policy changes:

- In 2014, the Supreme Court of India recognized transgender individuals as the "third gender" and affirmed their rights to equality and non-discrimination in the landmark case of National Legal Services Authority v. Union of India.
- The Rights of Transgender Persons Bill, 2014 was introduced to address various aspects of transgender rights, including education. However, this bill faced criticism for not fully addressing the needs of the transgender community and has not been passed in its original form.
- Some state governments in India have taken steps to support transgender individuals' education, such as offering scholarships and reservations in educational institutions.
- Non-governmental organizations and advocacy groups have been actively working to raise awareness about the educational rights of transgender individuals and to push

for policy changes that promote inclusivity and non-discrimination.

It's important to note that the implementation of these rights can vary across different regions of India due to social attitudes, cultural factors, and administrative practices.

Legal Framework for Transgender Educational Rights

Some key points related to the legal framework for transgender educational rights in India are as follows:

1. Supreme Court Recognition of Transgender Rights: In the landmark case of **National Legal Services Authority (NALSA) v. Union of India** in 2014, the Supreme Court of India recognized transgender individuals as a third gender and affirmed their fundamental rights, including the right to education. The judgment directed the central and state governments to take measures to ensure transgender individuals' access to education and other social benefits without discrimination.

2. Right to Education Act (RTE): The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act) ensures the right to education for all children aged 6 to 14. While the act does not explicitly mention transgender children, its provisions apply to them as well. The act prohibits discrimination in admission and mandates that schools provide an inclusive and non-discriminatory environment.

3. State Initiatives: Some states in India have taken proactive steps to promote transgender rights in education. For instance, Kerala was one of the first states to introduce a transgender policy that includes educational measures such as scholarships and reservations for transgender students.

4. Policy Initiatives: The Ministry of Social Justice and Empowerment drafted the "Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019," which aims to provide legal recognition and protection to transgender individuals. On 10th January 2020 the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 came into force with the objective to provide for protection of rights of transgender people, their welfare, and other related matters.

5. Challenges and Gaps: Despite these legal developments and policy initiatives, there are challenges and gaps in ensuring transgender individuals' educational rights. These challenges include societal stigma, lack of awareness, discrimination, and inadequate infrastructure to support transgender student's needs.

6. Inclusive Curriculum and Safe Spaces: Ensuring transgender-friendly and inclusive curricula, as well as creating safe spaces within educational institutions, are important aspects of promoting transgender educational rights. These initiatives can help in building understanding, acceptance, and respect for gender diversity among students and faculty.

It's important to emphasize that while there have been positive steps toward recognizing and protecting transgender educational rights, there is still much work to be done. Comprehensive policies and guidelines addressing issues such as gender-sensitive admissions, appropriate facilities, anti-discrimination measures, and mental health support for transgender students are necessary to create an environment conducive to learning and personal development for all individuals, regardless of their gender identity.

Educational rights of transgender in the light of The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019-

The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, is an important legislation in India that aims to protect and empower transgender individuals by recognizing their rights in various domains, including education. Here's how the Act could impact transgender individuals' educational rights:

1. Non-Discrimination: The Act prohibits discrimination against transgender individuals in educational institutions. This means that transgender students have the right to access education without being subjected to any form of discrimination, harassment, or victimization.

2. Inclusive Education: The Act encourages the government and educational institutions to take measures to provide inclusive education. This involves creating an environment where transgender students can participate in educational activities without facing barriers based on their gender identity.

3. Gender Identity Recognition: The Act recognizes an individual's right to have their gender identity recognized. This is significant for transgender students who want their educational records, certificates, and documents to reflect their true gender identity. This recognition can play a role in creating a supportive and affirming educational environment.

4. Anti-Bullying Measures: The Act's provisions against bullying and harassment are relevant in an educational context. Educational institutions are expected to take steps to prevent and address bullying, which is crucial for ensuring the safety and well-being of transgender students.

5. Scholarships and Welfare: The Act acknowledges the need to provide transgender individuals with opportunities for socio-economic development, which could include scholarships and financial assistance for education. This is especially important given the social and economic challenges many transgender individuals face.

6. Skill Development: The Act highlights the importance of skill development and vocational training for transgender individuals. Educational institutions could collaborate with vocational training programs to ensure that transgender students have access to diverse educational pathways.

7. Affirmative Action: The Act recognizes that transgender individuals are often marginalized and disadvantaged due to historical discrimination. Educational institutions may need to take affirmative action to ensure that transgender students have equal access to opportunities.

However, it's important to note that the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, has faced criticism from various quarters for not adequately addressing the concerns of the transgender community. Critics argue that the Act lacks clarity on certain issues, and some provisions have been perceived as potentially violating transgender individuals' autonomy and privacy.

Thus, we can say that the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, is a step towards recognizing and safeguarding the rights of transgender individuals, including their educational rights.

However, the effective implementation of these rights requires a comprehensive understanding of the challenges faced by transgender students and the commitment of educational institutions and policymakers to create an inclusive and supportive environment for them.

Conclusion and Suggestions

Equal access to education is a fundamental right that every individual should enjoy, regardless of their gender identity. While progress has been made in recognizing the educational rights of transgender persons in India, there is still work to be done to ensure their full inclusion and equality within the educational system. By implementing awareness programs, anti-discrimination policies, and other inclusive measures, educational institutions can become safe spaces where transgender students can thrive academically and personally, contributing to a more equitable and tolerant society. Following are the suggestions/steps that can help transgender people to exercise their educational rights without any discrimination:

1. **Awareness and Sensitization Programs:** To foster an inclusive educational environment, there is a need for awareness and sensitization programs for teachers, students, and staff. These programs can help dispel stereotypes, raise awareness about the challenges faced by transgender individuals, and promote empathy and understanding.

2. **Anti-Discrimination Policies:** Educational institutions should adopt and enforce clear anti-discrimination policies that explicitly protect transgender students from bullying, harassment, and exclusion. This can create a safer space for learning and personal growth.

3. **Gender-Neutral Facilities:** Providing gender-neutral restrooms, changing rooms, and accommodation options can go a long way in ensuring the comfort and safety of transgender students.

4. **Counseling and Support Services:** Educational institutions should offer counseling services that are sensitive to the unique needs of transgender students. This can help them navigate the

challenges they face and provide emotional support.

5. Inclusive Curriculum: Integrating transgender issues and stories into the curriculum can promote understanding and acceptance among students. This can help break down stereotypes and promote a more inclusive society.

6. Affirmative Action and Scholarships: Affirmative action measures, such as scholarships specifically targeted at transgender students, can address economic disparities and encourage higher education among this marginalized group.

7. Representation: Encouraging transgender individuals to participate in various aspects of campus life, including student organizations and leadership roles, can help create a more inclusive and representative atmosphere.

In this way, we can say that improving transgender education in India requires a multi-faceted approach involving collaboration between educational institutions, government bodies, advocacy groups, parents, and students themselves. It's essential to create an environment that respects and supports the dignity and rights of all individuals, regardless of their gender identity.

References

1. *Anmol Rohilla, Transgender Act, 2019-An analysis, Volume 1, Issue 4, by Brillopedia*
2. *Dr. J.N. Pandey, Constitutional Law of India, Central Law Agency, 2017*
3. *The Transgender Person (Protection of Rights) Act 2019*
4. *AIR 2014 SC 1863*
5. https://indiankanoon.org/doc/193543132/
6. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/13091?sam_handle=123456789/1362

Manglam - Year 15(01) Vol. XXVIII Feb. 2024
ISSN-0976-8149, PP. 76-86

Elaborating Indian Navy's Strategies in the Indian Ocean: Cooperation with the U.S. and Regional Security Implications

*Prof. Arun Kumar Dixit**

*Akhilesh Dwivedi***

Abstract

This paper explores the evolution of India's maritime strategy in the Indian Ocean Region (IOR) and its collaboration with the United States. Examining the Indian Navy's multifaceted approach to enhance influence and secure maritime interests, the analysis delves into joint activities and challenges in the India-US partnership, including differences in interpreting international laws. The paper also investigates regional security implications, focusing on India's diplomatic endeavors with IOR island nations and the expanding influence of China. The complex rivalry between India and China, coupled with challenges in regional cooperation, underscores the dynamic and intricate nature of maritime security in the IOR.

Introduction

The Indian Ocean Region (IOR) is a pivotal region in geopolitics from a strategic point of view, for both regional and external international actors. There are a number of strategically important ports and waterways that are present in this region, with an estimated 100,000 commercial vessels moving annually, and nearly a third of all bulk cargo ships. These waterways are also responsible for the transport of the world's total oil shipments. The Indian Ocean choke points in particular become vital for these vessels and shipments. This further increases the military and strategic importance of the IOR.

India is one of the largest littoral states in the IOR. The objectives of India's maritime strategy have evolved greatly in the past decade. The Indian Navy, as the principal maritime force safeguarding India's interests in the region, has adopted a multifaceted

* ***Principal, D.A.V. College, Kanpur***

** ***Research Scholar (UGC-NET), D.A.V. College, Kanpur***

approach in order to meet two key goals: firstly, to boost its influence in the IOR and second, to secure its maritime interests and enhance regional stability. Both these goals are highly interdependent and require an actionable strategy from India's end.

A central theme in India's overall security strategy in the same period has also been cooperation with the United States (US). This reflects in India's maritime strategy as well. The strategic alignment between both nations stems from wanting a stable IOR in order to meet their own strategic goals and interests. This convergence of interests reflects in the several collaborative activities that both nations engage in, including but not limited to joint naval exercises, information sharing and attempts to test interoperability of forces.

This paper will explore these two key themes of India's overall maritime strategy and cooperation with the US; and the regional security implications of the same. Its objectives will involve: an in-depth analysis of Indian Navy's maritime strategy and how it has evolved; a timeline of India-US maritime cooperation in the IOR; and an analysis of how regional security has been impacted due to these developments.

India's Evolving Maritime Strategy

Within the Indian Ministry of External Affairs, there exists an Indian Ocean Region division, set up in 2016, which concerns itself with bilateral relations with the island nations in the IOR. Initially, the division looked at Sri Lanka, Maldives, Mauritius and Seychelles (MEA, 2016). On December 16, 2019, the island nations of Madagascar, Comoros and the French terriotory of Reunion were also made part of it. This development, when seen in the context of the Indo-Pacific construct shows a willingness from India to treat its maritime backyard as a separate theatre and not one clubbed with any other region.

These two instances of the Indo-Pacific division and the extension of the IOR division shows the apparent balancing of the two crucial foreign policy goals – one, to back the Indo-Pacific construct as it is crucial to counter China as well as serves India's power projection goals, and two, to engage with the IOR islands in a

meaningful manner to achieve secure footholds in the IOR. India's current Prime Minister, Mr. Narendra Modi (MEA, 2015) also delivered a speech in Mauritius, outlining India's vision for the Indian Ocean Region through the Security and Growth for All in the Region or SAGAR initiative. Since independence, India's security concerns and foreign policy have had a continental characteristic, owing to the challenges on the north-western, northern and north-eastern territorial borders (Basu, 2021). However, in recent decades, India's maritime interests have grown exponentially and several factors, including but not limited to India's economic growth. In the Shangri-La Dialogue (2009), American Secretary of State Robert Gates said, "In coming years, we look to India to be a partner and net provider of security in the Indian Ocean and beyond". The term 'net security provider' has often found space in policy documents and several speeches by India's policymakers (Anotny, 2011; Singh D. M., 2004-2014). However, that in itself is an ongoing debate in academia which needs to be addressed, which can be done by understanding how the former and present maritime strategies of the Indian Navy differ when it comes to India's self perception.

India's peninsular geography and central location in the Indian ocean give it the necessary access to the region required to reach and deploy military assets in the IOR to tackle collective security risks or in times of crisis (Singh A. K., 2018, p. 71). India's first maritime strategy, released in 2007 by the Indian Navy was titled "Freedom to use the Seas: India's Maritime Military Strategy". It focused on the increased significance of the maritime environment and the importance of maritime security for national development.

India's present maritime strategy was a revised version of the 2007 document, released in 2015, titled "Ensuring Secure Seas". The rationale for this is stated as the changes and development in the geo-strategic environment, and corresponding changes required in India's maritime strategic goals. Two key aspects are considered in this revision – one, the changing threat perception with increased sources, types and intensity of threats, along with the rise in threats that are both traditional and non-traditional. And two, to ensure the freedom

of the seas for India's national interests, security is a crucial component (MoD, 2015, p. 3).

It outlines several aspects of maritime security, one of which is the "Strategy for Shaping a Favourable and Positive Maritime Environment", in order to enhance net security in India's areas of maritime interest. A vital component of this is synergizing actions in the maritime domain with other stakeholders in the IOR, as India's relations with the maritime neighbourhood are based on mutual respect for international norms and laws, as well as a desire for cooperative and inclusive development (MoD, 2015, p. 5). This also aligns with the larger goal of maintaining a rules-based international order, and converges with the interests of the US. An increased focus on Maritime Domain Awareness (MDA) and maritime governance is also a factor that has made Indian decision makers focus on gaining a greater strategic advantage. The Indian Navy has constantly reaffirmed its role as the chief security provider in the IOR, as the first responder in case of Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations and Non-combatant Evacuation Operations (NEO) (MoD, 2015, p. 7).

The crucial China factor also comes into play as China has begun to exert its influence in the IOR, a region India sees as its own primary area of interest (MoD, 2015). Initially restricted to the north-eastern Indian Ocean, China has now shifted its interest also to the WIO. Since the 1980s, China built naval facilities, radars and SIGINT posts along the Myanmar coast, located at a mere 18 km away from India's Andaman chain. Apart from the military factor, the rivalry with China over exploration rights and resources remains a major cause of concern. Both the nations are engaged in what can be termed as 'shadow fighting' in the IOR. India looks to secure its strategic interests while China has expanded its naval operations into the IOR as a means of power projection. Both states are acutely aware of their dependence on the SLOCs and the importance of naval power in securing them, as their access to a secure, constant flow of energy resources depends heavily on them.

There also exists a diplomatic battle that could have repercussions on the strategic environment in the IOR. Recently, India has extensively invested effort in reaching or to the IOR island

nations. China has also made significant headway with the IOR island nations, establishing secure relations through infrastructural development such as the Chinese base in Djibouti. Another, more significant instance is Maldives being integrated as an integral part of China's Maritime Silk Road (MSR), threatening India's position and interests in the region. Maldives is strategically located, and has historical ties with India. Further, the present Maldivian government being pro-India has added to the good relations between the two countries. Following its independence in 1965, Maldives remained in India's sphere of influence till roughly the early 2000s. However, in 2013, a China-leaning government came to power in Maldives and since then China has managed to make headway in the island state with infrastructure development such as an airport runway, linking bridges, and several BRI infrastructure projects. By 2018, Maldives owed China nearly USD 1.5 bn, not a small figure if seen against the island's GDP of just about USD 9 bn (EFSAS, 2019).

Earlier in 2022, China also launched its third aircraft carrier, Fujian. China's naval presence in the IOR since 2008 with continuous patrols and strategically positioned vessels. India launched INS Vikrant in September 2022, its first indigenously built aircraft carrier (US DoD, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, 2023). These two instances show a classic case of two countries being engaged in defensive realism with the IOR as the theater.

India-US Maritime Cooperation

India-US strategic alignment in the IOR stems from various factors. Both countries have a common goal of securing the IOR to further their interests. The China factor further contributes to India-US maritime cooperation in the Indian Ocean Region. It fits within the larger goal of both the countries to ensure maritime security and freedom of navigation in the IOR. Defence has always been a major pillar of the India-US strategic partnership. The number of bilateral exercises that they have with each other is higher than that with any other country (MEA, 2017). Since the 2009 Shangri-La Dialogue, the US has been an active proponent of India's role as a net security

provider in the IOR: "In South Asia, the Department [of Defense] sees a strategic convergence between India's Act East policy and the US rebalance to the Asia-Pacific region and we are seeking to reinforce India's maritime capabilities as a net provider of security in the IOR and beyond" (US DoD, 2015). In the US worldview, India is an important deterrent force against China in the region. Instances of evidence include the Malabar naval exercise being opened to Japan and Australia; changing the name of the Pacific Command (PACOM) to INDOPACOM and an increased focus on the Quad (Bisen, 2022).

While these convergences in strategic goals exist, there is a lack of trust associated to them, since the statements and actions of the US do not align in several areas. The Freedom of Navigation (FON) Program is one such example, where the US has been consistently engaging in operational and diplomatic efforts since 1979 against the excessive maritime claims of other nations (Mittal, 2022). India also claims security jurisdiction on a 24 nautical mile area and has regulations that the US has objected against with FON operations (FONOPs), such as prior authorization for the entry of foreign warships in the territorial sea, and military exercises in the exclusive economic zone (EEZ). (US DoD, 2021). The 'international law', which is the basis of the FONOPs, treats open seas as global commons, i.e., open to use for all actors. It refers to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which the US itself has not ratified.

In the IOR, then the Indian Navy becomes the first point of contact between nations. Their interactions with other regional and extra-regional navies in the region becomes pivotal in deciding how regional security mechanisms will develop, and thus they stand at the forefront of any cooperation that could possibly happen with regard to regional security in the IOR. To quote a significant instance, the MILAN exercise, spearheaded by Indian Navy is an element of India 'soft' military power – where through an armed force's actions, the regional connections have been strengthened. This is critical to understand how the security environment impacted cooperative disaster relief mechanisms and vice versa.

Gurpreet Khurana states that by 1991, India's neighbours were wary of India's military presence in the Bay of Bengal. Military assets being concentrated in Andaman and Nicobar Islands, the IPKF had just landed in Sri Lanka a few years prior, and the Andaman base was being developed rapidly. This led to a security dilemma situation where the wariness was forging into hostile behaviour, specifically when the naval forces of India's eastern neighbours interacted with the Indian Navy officials. Milan was launched in 1995 with a two-fold purpose – first, to dilute this fear amongst the eastern neighbours that India was preparing to securitize the Bay of Bengal through some acts of stockpiling and weaponization; and second, to extend an opportunity for friendly, necessary and meaningful cooperation in HADR activities. This "soft military strategy", as he calls it, was immensely successful as the interactions between the navies softened. A noteworthy achievement of this initiative was that Myanmar, a country which had so far refused to let warships leave territorial waters, sent one to Port Blair to be part of the Milan exercise. Milan's regular biennial occurrence, without any significant interruptions is a sign of success.

Regional Security Dynamics and Challenges

This region has a unique challenge that comes specifically in the face of India-US maritime cooperation in the IOR. As former colonies, several of these statues have a wary approach to external assistance, whether it comes from a larger regional player such as India or an external player such as the US. These dynamics in the security architecture of the Bay of Bengal region make regional cooperation a complex discussion amongst the littorals. The very understanding of security differs, but has some common tangents with potential that is yet to be realised. All the countries aspire for both internal and regional stability but struggle with striking a balance between cooperation and maintaining the non-interference principle.

Despite the existence of common security concerns, the threat perceptions of these countries differs at a fundamental level which hinders their ability to work together. For instance, when it comes to disaster resilience in the region, a security concern that all the nations in IOR face, there is still a lack of streamlined effort that could harness

the capabilities of the regional navies for a more effective HADR response. The countries in this region are heavily dependent on external assistance in times of severe crisis. This makes regional disaster resilience even more critical to develop. Since the first responders in the event of calamity would be the regional partners, and not extra-regional states. India has one of the the largest HADR force amongst the littoral states and has time and again provided assistance to its neighbors when calamity strikes.

In a similar manner, the assistance that comes in terms of regional security is often interpreted as a threat to sovereignty by regional players, causing a lack of acceptance towards the India-US maritime cooperation.

Conclusion

The Indian Ocean Region (IOR) occupies a central position in global geopolitics, underscored by its vital sea lanes, trade routes, and strategic importance. The Indian Navy, as one of the major regional actors, has adopted a multifaceted approach to secure its maritime interests, enhance regional stability, and assert its influence within the IOR. Furthermore, cooperation with the United States, another key player in the region, has played a pivotal role in shaping the maritime dynamics of the IOR. This paper has examined the Indian Navy's evolving maritime strategy, India-US maritime cooperation, and their implications for regional security.

The Indian Navy's maritime strategy has witnessed a notable evolution over the past decade. India's strategic interests have increasingly shifted toward its maritime backyard, emphasizing the need to secure its interests in the IOR. As highlighted in the 2015 document "Ensuring Secure Seas," India has responded to changing threat perceptions, both traditional and non-traditional, and aims to ensure freedom of the seas for its national interests. India's maritime strategy seeks to shape a favorable and positive maritime environment while synergizing actions with other stakeholders in the IOR, based on mutual respect for international norms and laws. This strategy positions India as a net security provider and underscores the importance of maintaining a rules-based international order.

The increasing presence of China in the IOR, characterized by its naval facilities, infrastructure development, and resource exploration, has heightened security concerns for India. India and China find themselves in a complex rivalry. This rivalry is influenced by the competition for resources, security interests, and geopolitical positioning. The diplomatic competition between India and China in the IOR, particularly in the context of island nations like the Maldives, further adds complexity to the regional security dynamics.

The India-US maritime cooperation in the IOR is driven by the shared objective of ensuring maritime security, freedom of navigation, and stability. This partnership has manifested in various forms, including joint naval exercises, information-sharing agreements like COMCASA, capacity-building, and diplomatic engagement. The United States has been an active proponent of India's role as a net security provider in the IOR, recognizing its importance in maintaining regional stability. However, the partnership is not without challenges, as highlighted by differences in the interpretation of international laws, such as Freedom of Navigation (FON) operations.

Regional security implications of India-US cooperation in the IOR are complex. On one hand, joint exercises and information-sharing agreements enhance the ability to respond to common security challenges. On the other hand, the cooperation raises concerns among regional actors, who view it as an infringement of their maritime backyards.. The delicate balance between pursuing security interests and avoiding escalation remains a central challenge.

The paper also underscores the importance of regional cooperation among littoral states in the IOR, particularly in areas such as disaster resilience. While common security concerns exist, differing threat perceptions, historical legacies, and concerns about external interference hinder streamlined regional cooperation. Developing regional disaster resilience and a coordinated response is crucial to harness the capabilities of regional navies in times of crisis.

In conclusion, the evolving dynamics in the Indian Ocean Region reflect the growing significance of maritime security and cooperation. The Indian Navy's maritime strategy, India-US

collaboration, and regional security challenges illustrate the complexities and opportunities within this strategic theatre. As the IOR continues to be a focal point of global geopolitics, the need for comprehensive and cooperative strategies to address common security challenges and enhance regional stability remains paramount.

The multifaceted nature of the IOR and the diverse interests of regional and external actors make it imperative to continue examining and adapting strategies to ensure the stability, security, and prosperity of this critical maritime domain.

References

1. *Anotny. (2011). Indian Navy-Net Security Provider to Island Nations in IOR. PIB. Retrieved from https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=76590*
2. *Baruah, D. M. (2022, May 12). Maritime Competition in the Indian Ocean. Carnegie Endowment for International Peace.*
3. *Basu, P. (2021, November). Maritime India: The Quest for Steadfast Identity. Occassional Paper. Observer Research Foundation.*
4. *Bisen, A. (2022, April 08). India-United States Maritime Collaboration. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.*
5. *EFSAS. (2019). China's 'String of Pearls' exhibits The Dragon's Great Game of Loans and Debts. European Foundation for South Asian Studies.*
6. *Khurana, C. G. (2008). China-India Maritime Rivalry. India Defence Review, 23(4). Retrieved from http://www.indiandefencereview.com/spotlights/china-india-maritime-rivalry/*
7. *Marshall, T. (2022, September 22). India's ocean rivalry with China. Geographical. Retrieved 11 05, 2022, from https://geographical.co.uk/geopolitics/indias-ocean-rivalry-with-china*
8. *MEA. (2017, June). Brief on India-US Relations. Ministry of External Affairs, India.*
9. *Mittal, T. (2022, June 30). Troubled waters: FONOPS, UNCLOS, and global commons. Observer Research Foundation.*
10. *MoD. (2015). Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy. New Delhi: Naval Strategic Publication.*

11. *Mukherjee, T. (2020, June 19). Sino-Indian Maritime Competition: Shadow Fighting in The Indian Ocean. South Asain Voices Project. Retrieved 11 05, 2022, from https://www.stimson.org/2020/sino-indian-maritime-competition-shadow-fighting-in-the-indian-ocean/*
12. *Schottli, J. (2019). Security and Growth for All in the Indian Ocean - Maritime Governance and India's Foreign Policy. India Review, 18(5).*
13. *Shabbir, F. (2021). Sino-Indian Competition in the Maldives: Implications for Regional Security. Regional Studies, 39(2), 30-42.*
14. *Singh, A. K. (2018). India as a Net Security Provider in the Indian Ocean Region" The Strategic Approach of a Responsible Stakeholder. Maritime Governance and South Asia, 63-78.*
15. *Singh, D. M. (2004-2014). PM's Speech at the Foundation Stone Laying Ceremony for the Indian National Defence University at Gurgaon: Speeches: Prime Minister of India. PMO. Retrieved from https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=1316.*
16. *US DoD. (2015). Asia-Pacific Maritime Security Strategy. Washington DC: US Department of Defense.*
17. *US DoD. (2021). Annual Freedom of Navigation report. US Department of Defense.*
18. *US DoD. (2023). Military and Security Developments Involving the People's Republic of China. Retrieved November 06, 2023, from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ.87-94

यशपाल की कहानी 'करवा का व्रत' : स्त्री–स्वाभिमान की गाथा

*डॉ. नियति कल्प**

शोध सारांश

'करवा का व्रत' कहानी में यशपाल ने पति–पत्नी के पारस्परिक संबंधों का चित्रण करते हुए मनोविज्ञान की सूक्ष्म डोर की पकड़ के सहारे उनकी परिवर्तित मनःस्थितियों का अंकन किया है। कई दशक पूर्व लिखी गयी यह कहानी आज भी उतनी ही समसामयिक और प्रासंगिक है। जबतक नारी की आवाज बुलंद और सशक्त नहीं होगी, उसे आत्म–सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दबी–कुचली हुई स्थिति से उबरने के लिए साहस, धैर्य और शौर्य की आवश्यकता होती है । स्वाभिमान की रक्षा और अधिकार– प्राप्ति के लिए संघर्ष की अनिवार्यता तो स्वयंसिद्ध है। दाम्पत्य जीवन के सुखमय होने का मूलमंत्र ही है– पति–पत्नी का आपसी विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार। जब तक पति के मन में पुरुषवादी सोच विद्यमान रहेगी वह अपनी पत्नी को निजी संपत्ति ही मानता रहेगा। साथ ही उन्नत परिवार और समाज के लिए यह अत्यावश्यक है कि स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट और गंभीर रहें। जब तक वह अत्याचार सहेगी, उसपर अत्याचार होता रहेगा।

हिन्दी–साहित्य के यशस्वी रचनाकार यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के कथाकार हैं। इस वर्ग से संबद्ध उनकी कहानियाँ अत्यंत ही स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी बन पड़ी हैं। सामाजिक स्तर की बात हो या पारिवारिक स्तर की, यशपाल प्रत्येक विरोधी परिस्थितियों को यथार्थ जीवन के नवीन प्रसंगों की उद्भावना द्वारा अपनी कहानियों में उपस्थित करते हैं, जिस कारण उनकी कहानियाँ अत्यधिक धारदार और प्रभावी बन जाती हैं। ''वर्ग–संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य उनकी कहानियों की विशेषताएँ हैं। वर्ग–संघर्ष और मनोविश्लेषण कहानियों का रचनात्मक पक्ष है और व्यंग्य प्रतीयमान अर्थ। किसी सामाजिक अथवा नैतिक रूढ़ि पर प्रहार करते हुए वे पाठकों के रूढ़

---

* ***सहायक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।***

संस्कारों पर गहरा आघात करते हैं। 'शाक ट्रीटमेंट' का यह तरीका प्रायः उनकी प्रत्येक कहानी में मिलेगी।''[1]

'करवा का व्रत' कहानी 1955 ई० में प्रकाशित 'उत्तमी की माँ' नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इस संग्रह में कुल बारह कहानियाँ हैं। 'करवा का व्रत' कहानी में यशपाल ने पति–पत्नी के पारस्परिक संबंधों का चित्रण करते हुए मनोविज्ञान की सूक्ष्म डोर की पकड़ के सहारे उनकी परिवर्तित मनःस्थितियों का अंकन किया है। कई दशक पूर्व लिखी गयी यह कहानी आज भी उतनी ही समसामयिक और प्रासंगिक है। कहानी में करवा चौथ के व्रत को आधार बनाकर कहानीकार ने ऐसे पितृसत्तात्मक सोच वाले पुरुषों पर निशाना साधा है, जिनकी नज़रों में उनकी पत्नी की कीमत एक सेविका से अधिक नहीं होती है। वे भले ही दिन–रात अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हों, उसके स्वाभिमान को बारंबार चोटिल करते हों, परंतु इसके बावजूद पत्नी अगले जन्म में भी उसी पति की प्राप्ति की कामना लिए भूखे–प्यासे रहकर समय–समय पर अनेक व्रत रखती है। आधुनिक विकसित समाज में इस प्रकार की आस्था और अंधविश्वास मानव–जीवन में जड़ता उत्पन्न करते हैं। निःसंदेह, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होता है, वरन् हमारी सद्वृतियों और मानुष–भाव को जागरूक करना भी होता है। 'मेरी प्रिय कहानियाँ' की भूमिका में यशपाल ने लिखा है– ''मेरी रचनाएँ केवल मनोरंजक घटनाचक्र या विवरण नहीं बन पाई हैं। इन रचनाओं से पाठकों को प्रायः ही मनोरंजन की तह या पार्श्व में अपने संस्कारों या अभ्यस्त विश्वासों पर खरोंच या चुभन की असुविधा भी अनुभव हो जाती है। इसका कारण मेरी कहानियों के सूत्र परंपरागत मान्यताओं का समर्थन नहीं अपितु अधिकांश में इन मान्यताओं के प्रति विद्रूप या विरोध का होना रहा है।''[2]

दाम्पत्य जीवन के सुखमय होने का मूलमंत्र ही है– पति–पत्नी का आपसी विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार। जब तक पति के मन में पुरुषवादी सोच विद्यमान रहेगी वह अपनी पत्नी को निजी संपत्ति ही मानता रहेगा। साथ ही उन्नत परिवार और समाज के लिए यह अत्यावश्यक है कि स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट और गंभीर रहें। जब तक वह

अत्याचार सहेगी, उसपर अत्याचार होता रहेगा।

कहानी का मुख्य पात्र कन्हैयालाल विवाह के पश्चात् जब अपने दफ्तर लौटता है तो उसे हमजोलियों से वही परामर्श मिलते हैं, जो अनुभवी लोग अक्सर नवविवाहितों को दिया करते हैं। सहकर्मी हेमराज कन्हैयालाल की समझ में चतुर है, इस कारण वह उसकी सीख ध्यान से सुनता है। हेमराज उसे समझाते हुए कहता है– ''बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है।... मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। डर उसे जरूर रहना चाहिए.. मारे नहीं तो कम–से–कम गुर्रा तो जरूर दे। तीन बात उसकी मानो तो एक में न भी कर दो। यह न समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है।... मर्द को रुपया–पैसा तो अपने ही हाथ में रखना चाहिए। मालिक तो मर्द है।...तुम कहते हो पढ़ी–लिखी है तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी–लिखी यों भी मिजाज दिखाती है।''[3] उक्त स्थल पर कहानीकार ने हेमराज के कथन के माध्यम से पुरुषों की तानाशाही और पुरुषवादी मनोवृत्ति को अभिव्यंजित किया है।

हेमराज की दी हुई नेक सीख को कन्हैया अपने पल्ले बाँध लेता है। विदाई के बाद वह पत्नी लाजवंती को दिल्ली ले आता है। लाजवंती अलीगढ़ में आठवीं जमात तक पढ़ी है। उसके पिता और भाई पुराने ख्याल के हैं, इसलिए उसकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं । विवाह के बाद अपने अरमान पूरे होने की उसे आशा थी, किंतु हेमराज की सीख के अनुसार कन्हैया पत्नी की दो बातें मानता तो तीसरी इन्कार कर देता। इससे लाजो नाराज हो जाती और उसे आशा रहती कि पति उसे मनाने की चेष्टा करे। किंतु कन्हैया मनाने के स्थान पर उसे डाँट देता और कभी–कभी थप्पड़ भी चला देता। लाचार लाजो रोते हुए मन का बोझ हल्का कर लेती। किंतु लाजो की सहनशीलता का यह दुष्परिणाम होता है कि कन्हैया अपनी पत्नी पर अपना एकतरफा अधिकार समझ लेता है। अधिकार के इस नशे में वह जब तब पत्नी पर हाथ भी उठा देता है। कहानीकार ने लिखा है– ''अपनी शक्ति अनुभव

करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा? इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते थे, जमींदार गाँव पर गाँव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतिष्ठा किये बिना भी चल जाते।''[4] लाजो को शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक अपमान की पीड़ा होती है। किंतु कुछ समय तक दुरूखी रहने के बाद सरलहृदया लाजो फिर हँसने–बोलने लगती है। परिणामस्वरुप कन्हैया की बेपरवाही तथा स्वच्छंदता अनुदिन बढ़ने लगती है। क्वार के अंत में करवा चौथ के व्रत की चर्चा आस–पड़ोस की औरतों के बीच शुरू होती है। एक दूसरे से यह बात भी होती है कि उनके मायके से करवे में कौन–कौन सा सामान आया। पहले साल लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस वर्ष दफ्तर के पते पर करवे के रुपए आ गए। लाजो आग्रहपूर्वक पति को इस अवसर पर लाई जाने वाली चीजों की याद दिला देती है। कहानीकार के शब्दों में–''करवाचौथ का व्रत भला कौन हिन्दू स्त्री नहीं रखती? जनम–जनम यही पति मिले, इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करनेवाली पढ़ी–लिखी स्त्रियाँ भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकतीं।''[5] वैवाहिक संस्कार में समाज में चली आ रही सात जन्मों की पारंपरिक मान्यता ने कहीं–न –कहीं स्त्रियों को न चाहते हुए भी व्रत–उपवास करने को बाध्य किया है। भले ही स्त्री कितनी भी पढ़ी–लिखी और नौकरीपेशे वाली क्यों न हो!

परिस्थितिवश दफ्तर में कन्हैया द्वारा प्राप्त रुपए खर्च हो जाते हैं। फलतः वह सरघी का सामान नहीं ला पाता। उसे खाली हाथ घर लौटा देख लाजो का मन बुझ जाता है। किंतु उसे मौन देख कन्हैया अपनी भूल स्वीकार कर उसे मनाने या फिर कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के स्थान पर उसे डाँट देता है। जिस पति के दीर्घजीवी होने के लिए लाजो को व्रत रखना है, उसी का ऐसा रुखा व्यवहार उसे नागवार लगता है। संतप्त हृदय वह भूखी ही सो जाती है। खिन्नता के कारण वह सुबह सरघी में भी कुछ नहीं खाती। फिर भी, पति के नाम का व्रत अनिवार्य समझ वह पड़ोस की स्त्रियों के साथ करवे के व्रत की कथा सुनने के बाद व्रत की अन्य विधियों का पालन करती है। दफ्तर जाते समय खाना बनाकर पति को वह खिला

देती है, किंतु अभिमान से भरा कन्हैया उसे डाँट–डपटकर ही घर से निकलता है। लाजो अकेली बैठकर रोती हुई सोचती है– ''जनम–जनम ये ही मिलें, इसीलिए मैं भूखी मर रही हूँ।... ये ही जनम निबाहना मुश्किल हो रहा है।... इस जनम में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है। दूसरे जनम के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ।''[6] एक तो गहरी भूख और दूसरे पति के निर्दय और अमानुषिक व्यवहार से लाजो का मन डूबने लगता है। वह दीवार के सहारे फर्श पर ही लेट जाती है। सिरदर्द और उद्विग्नता के कारण वह पड़ोसिनों के बुलाने पर भी नहीं जा पाती। वह सोचती है मर भी गई तो पति तो दूसरा विवाह कर ही लेगा। भूख की तड़प और व्याकुलता तथा क्रोधवश वह एक रोटी खाकर, पानी पीकर पुनः लेट जाती है। उसके मन में विचार आता है कि ठीक ही तो किया, अपना अगला जनम क्यों बरबाद करुँ?

कन्हैया के दफ्तर से लौटने के बाद जब वह द्वार खोलती है तो पति की कटूक्ति सुनकर मन और भी दुःखी हो जाता है। कोई उत्तर न देकर वह दीवार के सहारे फर्श पर बैठ जाती है। अपनी अवज्ञा समझकर कन्हैया और भी क्रुद्ध हो जाता है। वह उसे थप्पड़ तो मारता ही है, प्रहार करने के लिए पैर भी उठाता है। अब तक सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी लाजो का क्रोध सीमा पार कर जाता है। मार खाने के लिए तैयार होकर वह चिल्लाकर कहती है–'' मार ले, मार ले! जान से मार डाल! पीछा छूटे! आज ही तो मारेगा ! मैंने कौन–सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जनम–जनम तेरी मार खाऊँगी। मार, मार डाल...!''[7]

लाजो की ऐसी प्रतिक्रिया सुन–देखकर कन्हैयालाल स्तब्ध रह जाता है। कहानीकार कहता है–'' अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था, उसकी गुर्राहट से जाना कि वह शेर था; या लाजो को डाँट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था।''[8] चिंता में डूबा हुआ वह बाहर चला जाता है।

लाजो घंटे भर रोने के बाद चूल्हा जलाकर बेमन से खाना बनाती है। वापस लौटने के बाद कन्हैया चुपचाप बैठ जाता है। यह एक बदलाव है। खाना परोस देने के बाद लाजो आवाज देती है, तब नल से हाथ धोकर कन्हैया

अंदर आता है। यह भी एक परिवर्तन है कि अब तक लाजो ही लोटे में पानी लेकर उसे हाथ धुलाने के लिए खड़ी रहती थी। लाजो स्वयं जब खाने बैठती है तो उसे महसूस होता है कि सब्जी में हल्दी और नमक की मात्रा बहुत अधिक है, तो वह लज्जित होकर सोचती है कि उसके पति ने उसे डाँटा भी नहीं और न ही कुछ कहा। थोड़ा–बहुत खाकर जब वह अपने कमरे में जाती है तो कन्हैयालाल को बिस्तर बिछाते देख वह शर्मिन्दा हो जाती है। क्योंकि वह जिस दिन से इस घर में आई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह बिस्तर ठीक करने लगती है तो कन्हैया उसकी मदद करता है। लाजो के ठीक से खाना नहीं खाने पर वह दूध लाकर उसे देता है। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया ने कभी नहीं की थी। लाजो उसके इस परिवर्तित व्यवहार से अंदर ही अंदर शर्मिन्दा तो हो रही थी, किंतु उसके पति का यह सद्व्यवहार उसे शुभत्व का संकेत भी दे रहा था। उसी रात से कन्हैयालाल के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसके कड़वे बोल के स्थान पर उसकी वाणी में माधुर्य के संचार ने लाजो को चमत्कृत कर दिया। अब वह घर के काम में भी लाजो की सहायता करने लगा। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने घर के सभी काम संभाल लिये। कई दिनों तक तो लाजो को बहुत संकोच की अनुभूति हुई, लेकिन बाद में पति की सहृदयता से उसका हृदय स्नेहसिक्त हो गया। अब दोनों के जीवन की दशा बिल्कुल ही बदल गई। वैषम्य और कटुता के स्थान पर जीवन में माधुर्य का भरपूर संचार हुआ। अब कन्हैया उसे साथ बैठकर खाने की जिद करने लगा। पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाने पर वह अकेला ही पढ़ता था, लेकिन अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता। इस स्नेहपूर्ण वातावरण में वर्ष बीतते देर न लगी। फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। संयोगवश लाजो के भाई का मनीआर्डर नहीं आया तो कन्हैया लाजो को आश्वासन देता हुआ कहता है– ''उन्होंने जरूर भेजा होगा। डाकखानेवालों का हाल आजकल बुरा है।... डाकखाने वाले आजकल मनीऑर्डर में पन्द्रह दिन लगा देते हैं। तुम व्रत–उपवास के झगड़े में मत पड़ना। तबीयत खराब हो जाती है। यों कुछ मँगाना है तो बता दो, लेते आयेंगे। व्रत–उपवास से होता क्या है? सब ढकोसले हैं।''[9] किंतु लाजो तैयार नहीं होती। उसके अनुसार बात करवे की नहीं, वरन् व्रत की है।

संध्या समय कन्हैयालाल सरघी के लिए फेनी ले आता है। किंतु व्रत के झगड़े में पड़ने को मना करता है। अगले दिन लाजो समय पर खाना परोसकर कन्हैया को आवाज देती है। कन्हैया जब देखता है कि एक ही आदमी का खाना परोसा गया है तो यह जानकर कि लाजो का व्रत है, वह कहता है कि वह भी लाजो के साथ व्रत रखेगा। लाजो उसे रोकते हुए कहती है कि मर्द करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। किंतु कन्हैया यह बात स्वीकार नहीं करता और लाजो से कहता है कि अगर तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पति के स्नेहपूर्ण हठ के सामने लाजो हार मान लेती है। व्रत के निमित्त उपवास रखकर उसके दफ्तर जाने पर वह बेहद खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो संसार की सारी खुशियाँ उसके आँचल में सिमट आयीं हैं। इससे बड़ा आनंद और सम्मान नारी जीवन के लिए और क्या हो सकता है?

बार–बार इस बात की चर्चा की जाती है कि मानव–जीवन के दो पहिए– नारी और पुरुष हैं और दोनों के समरूप विकास से ही पारिवारिक और दाम्पत्य– जीवन सुखमय हो सकता है। नारी को भी घर–परिवार में पुरुष की तरह ही अधिकार चाहिए। उसकी बुद्धि और विवेकशीलता की प्रशंसा होनी चाहिए, पारिवारिक जीवन में उसकी सहभागिता से ही जीवन में आनंद और सुख की सृष्टि संभव है। नारी का अनादर पूरी सृष्टि का अनादर है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। वह संपूज्या है। हमें मंत्र सदृश उस वाक्य को स्मरण रखने की जरूरत है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। यशपाल नारी को समाज और परिवार में सम्मानीय और प्रतिष्ठित रूप में देखने के पक्षधर हैं। ''नारी के प्रति पुरानी मान्यताओं पर यशपाल जी ने जो तीखा व्यंग्य किया है, वह प्रगतिवादी विचारों से प्रेरित है। इसका उदाहरण उनकी 'करवा का व्रत' नामक कहानी में देखने को मिलता है।''[10]

कहानी के भीतर से एक और तथ्य उभरकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि जबतक नारी की आवाज बुलंद और सशक्त नहीं होगी, उसे आत्म–सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दबी–कुचली हुई स्थिति से उबरने के लिए साहस,

धैर्य और शौर्य तो चाहिए ही। स्वाभिमान की रक्षा और अधिकार– प्राप्ति के लिए संघर्ष की अनिवार्यता तो स्वयंसिद्ध है।

संदर्भ

1. *बच्चन सिंह, आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007 ई०,पृ० 359*
2. *यशपाल, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, दिल्ली, 1997 ई०,पृ० 6*
3. *यशपाल, उत्तमी की माँ, विप्लव प्रकाशन, लखनऊ, 1955 ई०, पृ० 87*
4. *वही, पृ० 89*
5. *वही, पृ० 90*
6. *वही, पृ० 91*
7. *वही, पृ० 93*
8. *वही, पृ० 93*
9. *वही, पृ० 95*
10. *डॉ ज्ञान चंद शर्मा, आधुनिक हिन्दी कहानी में वर्णित सामाजिक यथार्थ, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,1996 ई०, पृ० 41*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ.95-102

अंग्रेजी शासनकाल में जमींदारी प्रथा और इसका उन्मूलन

*डॉ० अरुण कुमार सिंह**

शोध सारांश

हिन्दुस्तान में जमींदारी प्रथा का आरम्भ मध्यकाल से विद्यमान रहा है और इसके माध्यम से किसानों के शोषणकारी प्रवृत्ति का आरम्भ मुगल काल में हुआ। इसे विस्तृत व स्पष्ट स्वरूव एवं प्रोत्साहन सामान्यतया अंग्रेजों ने किया। भारतीय परम्परागत सिद्धान्तों और विचारों के विरोध में इस प्रथा को उन्होंने प्रयुक्त किया।[1] ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आगमन भारत में 1600 ई0 में हुआ और वे यहाँ के सम्राट से व्यापार के साथ भू–राजस्व का अधिकार भी प्राप्त करने में सफलता अर्जित किये। इससे उन्हें यहाँ की कृषि–व्यवस्था तथा भू–राजस्व सम्बन्धी खामियों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे–जैसे कम्पनी की शक्तियों में बढ़ोत्तरी हुई, वैसे–वैसे उसका यहाँ के किसानों और कृषि– व्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ता गया, जो उनके हितों की तुष्टि में सहायक हो। इसी प्रवृत्ति से भारतीय विद्वानों एवं नेताओं ने सदैव अग्रेजी सत्ता की सदा आलोचना की। किन्तु, तमाम विरोधों, टिप्पणियों और संघर्षों के बाद अंग्रेजों द्वारा अपनी कूटनीति को अंजाम देते रहे और इस दौरान भारतीय किसानों की स्थिति बद–से–बदतर होती चली गयी।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियों का सर्वेक्षण किया जाय तो विदित होता है कि, इस युद्ध के पश्चात् भारत के किसानों में जागृति आयी और वे जमींदारी–प्रथा को दमन, अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में विश्लेषित करना आरम्भ कर दिये, जिससे उनमें विद्रोह की भावना का विकास होता गया, जिसकी परिणति किसान–आन्दोलन (एका–आन्दोलन) के रूप में सामने आया। किसान–आन्दोलनों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। यथा–सन् 1921 ई0 में अवध रेन्ट (संशोधन) अधिनियम का पारित होना तथा सन् 1926 ई0 में आगरा काश्तकारी अधिनियम का अस्तित्व में आना।[2] इन अधिनियमों ने किसानों के कष्टों का निवारण प्रस्तुत नहीं कर पाये, क्योंकि सरकार, जमींदार, साहूकार एवं जमींदारों के करिन्दो की चौकड़ी किसानों के विरूद्ध थी। इससे किसान अनुभव किये कि, जब

* एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डी०ए०वी०पी०जी० कालेज, आजमगढ़

तब जमींदारी–प्रथा की समाप्ति नहीं होगी, तब तक किसानों की परिस्थितियों में सुधार सम्भव नहीं है। अतः किसान विद्रोह, संघर्ष तथा आन्दोलनों का रूख एकदम बदल गया तथा वे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की ओर कदम बढ़ाने लगे। इसी का फल हुआ कि, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने सन् 1935 ई0 में लखनऊ अधिवेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में जमींदारी–उन्मूलन के सिद्धान्त को स्वीकृति प्रदान किया।[3]

इसी तारतम्यता में वर्ष 1937 ई0 में जब प्रथम काँग्रेस का मन्त्रिमण्डल बना तो वह भूमि–सुधार कार्य अपने हाथों में ले लिया और 'उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939' पारित किया और किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया।[4] कांग्रेसी पहल की एक सच्चाई यह भी है कि, वे जमींदारी–प्रथा को समाप्त करने का जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं की।[5] इसका कारण शायद अंग्रेजी सत्ता का दबाव एवं कांग्रेसियों में ही जमींदारों की भरमार का होना था। इस तरह सन् 1939 से 1945 का समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात् द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् 1946 ई0 के विधानमण्डल का चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन को अपने चुनाव–घोषणा–पत्र में स्थान दियझ[6] चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आयी, तो उसने अपने मन्त्रिमण्डल के माध्यम से जमींदारी–प्रथा के उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठाना आरम्भ किया।[7]

शब्द कुंजी : *जमींदारी प्रथा, उन्मूलन, अंग्रेज शासन काल, नीति, किसान, भारतीय परम्परा*

कांग्रेस के प्रयासों में *08 अगस्त, 1946 ई0 राज्य की भूमि– विधि में एक ऐतिहासिक स्मरणीय तिथि बना*, क्योंकि इसी दिन राज्य की विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी–उन्मूलन के सिद्धान्तों को सलाह के बाद यह प्रस्ताव पास किया कि, *"यह विधानसभा इस प्रान्त में जमींदारी–प्रथा, जो किसानों और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है, के उन्मूलन के सिद्धान्त को स्वीकार करती है तथा यह निश्चय करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देकर अर्जित कर लिए जाएँ और सरकार एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए योजना तैयार करे।"*

विधानसभा द्वारा पारित उक्त आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री *पं0 गोविन्द वल्लभ पन्त* की अध्यक्षता में *'यू0 पी0 जमींदारी–उन्मूलन समिति'* गठित की गयी, जिसके उपाध्यक्ष *श्री हुक्म सिंह* थे। समिति के मन्त्री पद पर *ए0 एन0 झा* और *श्री अमीर रजा*को नियुक्त

किया गया। समिति में इसके अलावा 13 अन्य सदस्यों को स्थान दिया गया, जिसमें जिसमें *पं0 कमलापति त्रिपाठी* और *चौधरी चरण सिंह*को शामिलकिया गया। विधानसभा की सम्मति से समिति को अग्रांकित तीन विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया–

1. जमींदारी–प्रथा उन्मूलन का सिद्धान्त सुनिश्चित करना और जमींदारों के अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा–निर्धारक सिद्धान्तों को निश्चित करना।
2. उत्तर प्रदेश में जमींदारी–उन्मूलन के पश्चात् जोतदारी–व्यवस्था के मूल सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना।
3. जमींदारी उन्मूलन के बाद नवीन भूमि व्यवस्था कीयोजना को लागू करने सम्बन्धी प्रशासकीय संगठन को बताना और सरकारी मालगुजारी एवं देयों की वसूली के साधनों (मशीनरी) का निर्धारण।

संक्षेप में, 10 जून, 1949 ई0 को सरकारी गजट में विधेयक के उद्देश्य एवं कारण प्रस्तुत किए गये थे–

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना।
2. मुआवजा का भुगतान कर जमींदारों के अधिकार, आगम एवं हित का अर्जन करना।
3. प्रचलन में साधारण एवं समरूप जोतदारी–व्यवस्था स्थापित करना एवं चालू, क्लिष्ट एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना।
4. शिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना।
5. ग्राम–स्वायत्त शासन का विकास करना।
6. अलाभकर जोतों की उत्पत्ति को रोकना एवं अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना।
7. सरकारी खेती को प्रोत्साहन प्रदान करना।
8. गाँव–सभा में सामान्य उपयोगिता की सभी भूमियों को निहित करना और भूमि–प्रबन्धन सम्बन्धी उन्हें वृहद् शक्तियों से युक्त करना।

घटनाक्रम में समिति परिस्थितियों के अध्ययनोपरान्त अगस्त, 1948 ई0 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके आलोक में सरकार द्वारा विधेयक (बिल) तैयार किया और *07 जुलाई, 1949 ई0* को राज्य विधानसभा में *'उत्तर प्रदेश जमींदारी–उन्मूलन एवं भूमि–व्यवस्था विधेयक (1949)'*को प्रस्तुत किया गया। विधेयक बहसों के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए *10 जनवरी, 1951* ई0 को विधानसभा द्वारा और 16 जनवरी, 1951 को विधानपरिषद् द्वारा पारित कर दिया गया। तत्पश्चात्*24 जनवरी, 1951 ई0 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर*द्वारा स्वीकृति देने के बाद *गणतंत्र दिवस– 26 जनवरी, 1951 ई0* को इसे *उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया और इसी दिन से यह अधिनियम भूमि–विधि का अंग बन गया*।[8]

जमींदारी उन्मूलन एवं भू–विधि के अस्तित्व में आने के बाद जमीदारों द्वारा अनेक याचिकाएँ न्यायालय में दायर किया गया, जिसके समाधान हेतु भारतीय संविधान में संशोधित किया गया और अधिनियम की वैधता सुनिश्चित कर दिया गया।इसी के साथ समस्त अपीलें05 मई, 1952 ई0 को खारिज कर दिया गया।[9] अधिनियम की *धारा 4* के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 01 जुलाई, 1952 ई0 को उ0 प्र0 गजट (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की जिसके साथ ही जमींदारों के सब आस्थान राज्य सरकार समाहित हो गए। इस दिन को *'निहित होने का दिनांक'* कहते हैं। 1360 फसली वर्ष का प्रारम्भ भी इसी दिन से होता है।

उत्तर–प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि–सुधार अधिनियम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त है– प्रथम, जमींदारी–उन्मूलन जिसमें अध्याय 1 से 6 तथा अध्याय 9–क को सम्मिलित किया गया है; और द्वितीय, भाग में भूमि सुधार को स्थान दिया गया है, जिसमें अध्याय 7–13 तक को शामिल किया गया है। इनमें से 11 वाँ अध्याय अब अलग कर दिया गया है। अधिनियम के अस्तित्व में आने के साथ ही इसके प्रावधानुरूप राज्य सरकार में जमींदारों के सब अधिकार, आगम एवं हित समाहित हो गए। इसके एवज में जमींदारों को मुआवजा का भुगतान राज्य द्वारा सुनिश्चित व्यवस्था के अनुरूप किया गया है। इसी के साथ जमींदारों को पुनर्वास अनुदान भी प्रदान किया गया (उन

जमींदारों के लिए जिनकी सालाना देय माल गुजारी दस हजार रूपये तक थी)। इस तरह–

1. जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती करता था, उस भूमि का स्वामित्व उसे प्रदान कर दिया गया;
2. सभी के खेती के अधिकार को सुरक्षित रखा गया;
3. जमींदारी प्रथा में प्रचलित 14 किस्म के क्लिष्ट एवं भ्रामक जोतदारी–व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र चार जोतदारियों को सुनिश्चित किया गया– भूमिधर, सीरदार, अधिवासी तथा आसामी[70];
4. अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किया गया कि अक्षम व्यक्तियों (अवयस्क, जड़, पागल, अन्धा, जेल या निरोधन) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भूमि को लगान पर नहीं दे सकेगा;
5. अधिनिय में व्यवस्था किया गया कि, 3.125 एकड़ (पक्का 5 बीघा) तक की जोतों का विभाजन नहीं हो सकता;[10]
6. भविष्य में कोई भी कुटुम्ब दान या विक्रय द्वारा ऐसी जोत न प्राप्त करेगा जो उसकी अपनी जोत मिलाकर उत्तर–प्रदेश में कुल 12.5 एकड़ से अधिक हो;[11]
7. किसी जोतदार की मृत्यु के बाद उसकी भूमि पर उसके उत्तराधिकरियों का अधिकार अंकित किया जायेगा;
8. जमींदारों से प्राप्त भूमि का अधिकार ग्रामसभा में निहित कर दिया गया, जिसका प्रबन्ध ग्राम सभाएँ करगी और हर एक व्यक्ति के निजी कुएँ, आबादी के वृक्ष एवं इमारतें तथा इमारतों से संलग्न भूमि उसी व्यक्ति के पास रहने दी गई; और
9. यह समझा गया कि राज्य सरकार ने उसके मालिकों के साथ कुओं, इमारतों आदि का बन्दोबस्त कर दिया, चाहे जमींदार हों या काश्तकार, सब लोग अपनी इमारतों, उससे संलग्न भूमियों, निजी कुओं एवं आबादी के वृक्षों के स्वामी हो गये।[12]

अधिनियम में भूमि प्रबन्ध समिति को भूमि बेदखल करने की शक्ति, भूमि आवंटन का अधिकार, भूमि पर कब्जा करने का अधिकार, ग्राम–पंचायत में निहित सम्पत्ति की क्षति, गबन या अतिक्रमण होने पर कार्यवाही का अधिकार, मालगुजारी वसूलने की शक्ति और गृह–निर्माण के लिए भूमि आबंटन की शक्ति से युक्त किया गया है।

इसी क्रम में, भूमि प्रबन्ध समिति के सदस्यों का कुछ उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया। उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत में निहित किसी भी सम्पित्ति के खोने, ह्रास अथवा दुरूपयोग के लिए भूमि–प्रबन्धक समिति का प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी होगा, यदि ऐसा खोना, ह्रास या दुरूपयोग उसके भू–प्रबन्धक समिति के सदस्य होते हुए उसकी उपेक्षा अथवा मिथ्याचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो। ऐसे सदस्य के खिलाफ राज्य सरकार स्वयमेव या भूमि प्रबन्धक समिति मुआवजा पाने के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। मुकदमा निर्धारित अधिकारी की पूर्व आज्ञा से राज्य सरकार या भूमि प्रबन्धक समिति के अलावा ग्राम क्षेत्र का निवासी कोई ग्राम सभा का सदस्य भी मुकदमा दायर कर सकता है।

अधिनियम में मालगुजारी प्रदान करने सम्बन्धी जिम्मेदारियोंकाभी उल्लेख किया है। *धारा 243* में प्राविधान किया गया है कि, ''किसी जोत में सभी भूमिधर संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से तत्समय निर्धारित मालगुजारी की अदायगी के लिए राज्य–सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे।'' ऐसी अदायगी की जिम्मेदारी न केवल भूमिधर पर होगी, वरन् उन सभी पर होगी, तो भूमिधर के स्वत्व का उत्तराधिकार, क्रय, दान आदि तरीके से प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति देय मालगुजारी के समस्त बकाये के लिए भी जिम्मेदार होंगे।[13]

मालगुजारी की वसूलीका दायित्व स्वयं राज्य–सरकार अपने हाथ में ले ली और इसके वसूली के तरीकों का प्रबन्धन भी राज्य–सरकार पर छोड़ दिया गया। इसके लिए वह राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है अथवा ठेका पर देकर वसूली करा सकती है अथवा ग्राम–पंचायत को यह कार्य सौंप सकती है। इसके अलावा इस कार्य को राज्य भूमि–प्रबन्धक समिति को भी सौंप सकती है। किन्तु इसके लिए आवश्यक होगा कि, राज्य इस आशय का गजट में सामान्य या विशेष आज्ञा प्रकाशित करे। राज्य–सरकार गजट में

अधिसूचना जारी कर मालगुजारी की वसूली का भार भूमि प्रबन्धक समिति को देने का कलेक्टर को प्रतिनिर्धारित कर दिया है।[14]

उत्तर–प्रदेश मालगुजारी सम्बधी न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी सत्ता *'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू'* (राजस्व बोर्ड) है, जो राजस्व सम्बन्धी वादों का निस्तारण करती है। रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय को उच्च न्यायालय के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, जो समस्त राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी रूप में प्रभावी होते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों की अपील उ0प्र0 जमींदारी–विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम[15] तथा उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901[16] द्वारा अधिनियमित होती है। उ0प्र0 रेवेन्यू बोर्ड अधिनियम, 1922, जो प्राविधानित करता है कि, बोर्ड का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उत्तर–प्रदेश होगा। रेवेन्यू बोर्ड समस्त उत्तर–प्रदेश के जनपदों के जिला–मुख्यालय पर न्यायालय लगा सकता है।[17]

अधिनियम को सन् 9101 के आलोक में देखा जाय तो अंग्रेजों द्वारा निष्पादित विधि जमींदारों के अत्याचारों पर कमोवेश अंकुश लगाया, जिसे स्वतंत्रता के बाद और अधिक परिष्कृत रूप देकर प्रभावी बनाया गया। अधिनियम के अस्तित्व में आने के साथ ही किसानों को जमींदारों के प्रकोप से छुटकारा मिल गया और अब भू–प्रबन्धन का कार्य राज्य की जिम्मेदारी हो गया, जिसके चलते किसानों के भूमि का राजस्व निर्धारण, भूमि–सुधार, क्षतिपूर्ति या अन्य भू–प्रबन्धन आदि कार्यों राज्य के ऊपर आ गये और जमींदारों के अस्तित्वविहीन होने से किसानों के शोषण पर विराम लग गया। इसी के साथ भूमि का प्रबन्ध एक व्यक्ति के हाथ से निकालकर सामुदायिक स्तर (ग्राम पंचायत) को हस्तांतरित कर दिया गया और भूमि–प्रबन्धन जनतांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रियान्वित होने लगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के अन्तर्गत भूमि–व्यवस्था एवं राजस्व अधिनियमों को निर्मित किया गया है, जिसमें विहित प्रविधान या संशोधन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जन–सामान्य (किसानों) के हितों को ध्यान में रखना उनका दायित्व है। साथ ही ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना राज्य का दायित्व है, जिससे कृषि को सम्मुन्नत कर किसानों की दशा में सुधार लाया जा सके। संक्षेप में, किसानों का राजस्व के नाम पर होने वाले शोषणों से पूर्ण मुक्ति अधिनियम में कर दिया गया है।

सन्दर्भ

1. *Bhargava, V.S. : Marwar and the Mughal Emperors, New Delhi, 1966.*
2. *Begley, W.E. : The Myth of the Tajmahal and a New Theory of its Symbolic Meaning, Art Bulletin, 1979.*
3. *McNeill, W.H. : The Pursuit of Power, Chicago, 1982.*
4. *Moreland, W.H. : Agrrian System of Moslem India, Cambridge, 1929.*
5. *Irvine, William : Army of the Indian Moughuls : Its Organization and Administration, New Delhi, 1962.*
6. *Cole, W. Owen : Sikhism and its Indian Context : 1469-1708, New Delhi, 1985.*
7. *उ0प्र0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा, 5 (1).*
8. *सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य, आ0 इ0 रि0 1952, सुप्रीम कोर्ट 252.*
9. *उत्तर–प्रदेश जमींदारी–विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम, सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ, 1952, धारा 9, 154, 178.*
10. *उत्तर–प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974, धारा 243.*
11. *अधिसूचना संख्या 271, रेवेन्यू 1 आर0 डी0 662–51; दिनांक 24 अप्रैल, 1954 ई0, जो 15 मई, 1954 ई0 को सरकारी गजट*
12. *उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ, 1901, धारा 331 और अनुसूची द्वितीय.*
13. *उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ, 1901, धारा 218 एवं 219.*
14. *बहार–उद्दीन बनाम रेवेन्यू बोर्ड, 1985 रे0 डि0 46, उच्च न्यायालय*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 103-110

स्थितप्रज्ञता की अतिमानसिक अवस्था का परामनोवैज्ञानिक विश्लेषण

*डॉ० अरविन्द शुक्ल**

शोध सारांश

जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्री अरविन्द द्वारा स्वीकृत मानसिक अवस्था के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास करते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अतिमानसिक अवस्था का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सम्भव नहीं है, क्योंकि श्री अरविन्द द्वारा स्वीकृत अतिमानसिक चेतना मनोवैज्ञानिक ज्ञान की परिधि से बाहर है। मनोविज्ञान केवल मनस तक ही सम्बन्धित है। अपनी विकासवादी प्रक्रिया में श्री अरविन्द मनस से अतिमानस तक चेतना के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करते हैं, जिसका क्रम है मनस, उच्चतर मनस, प्रदीप्त मनस, स्वानुभूति, अधिमानस और फिर अतिमानस, जहां तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रश्न है मनोविज्ञान की परिधि प्रदीप्त मनस तक ही सम्भव है। स्वानुभूति तथा अधिमानस की व्याख्या मनोविज्ञान के द्वारा सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वानुभूति जन्य ज्ञान पूर्णतया रहस्यात्मक होता है मनोवैज्ञानिक नहीं अपितु रहस्यतत्ववेत्ता ही इस अवस्था की व्याख्या कर सकता है। वस्तुतः इस अवस्था का सीधा सम्बन्ध परामनोवैज्ञानिक ज्ञान हो जाता है। वस्तुतः परामनोविज्ञान प्रदीप्तमनस की मानसिक अवस्थाओं के अध्ययन का प्रयास करता है।

श्री अरविन्द द्वारा स्वीकृत अधिमानसिक एवं अतिमानसिक अवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, यह परामनोवैज्ञानिक ज्ञान से पृथक है, यद्यपि परामनोवैज्ञानिक अतिमानसिक ज्ञान के विश्लेषण का प्रयास करते हैं किन्तु यह प्रयास यथार्थतः सफल नहीं है, चूँकि मनस से अतिमानस तक चेतना के क्रमिक स्तर परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, क्योंकि मनस से अतिमानस तक पहुँचने की एक प्रक्रिया है। इसलिए परामनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए चेतना के इन विभिन्न स्तरों की विवेचना आवश्यक है क्योंकि चेतना के स्तरों के विश्लेषण से ही आध्यात्मिक विकासवाद की व्याख्या सम्भव है।

जहाँ तक मनस का सम्बन्ध है मनस के सम्बन्ध में तो हमें यह ज्ञात है कि यह एक ऐसी चेतन शक्ति है जो अपने प्रदत्त विषयों का मूल्यांकन

* *एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र एवं योग विभाग, नेहरु ग्राम भारतीय (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज*

करती है तथा उनका अनेक अंशों में विश्लेषण करती है इसके अतिरिक्त मनस अपने प्रदत्त विषयों की सीमा का निर्धारण भी करता है। वस्तुतः मनस का मूल कार्य इकाईयों का उनके अवयवों को विश्लेषण करते हुए उनके स्वरूप को समझने का सार्थक प्रयत्न है। यह एक मनोविश्लेषणात्मक पद्धति है किन्तु इस विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा किसी पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं मिल पाता। अतः मानस फिर विश्लेषित अंशों को संगठित करने का प्रयत्न करता है किन्तु यह मनस के स्वाभाविक विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति से कुछ भिन्न कार्य है क्योंकि एकात्म की ओर होना तथा चेतना में संगठन की प्रवृत्ति एक उच्चत्तर क्रिया है जिसकी विवेचना एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हुए श्री अरविन्द ने अपने विकासवाद में किया है।

श्री अरविन्द यह भी स्वीकार करते हैं कि विचार के माध्यम से जो सत्य प्राप्त होता है वह वस्तुतः सत्य नहीं अपितु सत्य की प्रतिनिधि प्रतिमा मात्र है जो प्रकाश रूप दृष्टि से मात्र सत्य है। श्री अरविन्द विकासवाद की विवेचना में अपनी पुस्तक 'दिव्य जीवन' में यह कहते हैं कि उच्चतर मनस की चेतना मानसिक चेतना से अधिक स्पष्ट है, क्योंकि इस प्रकार की चेतना में आध्यात्मिक एक रूपता को समझने का प्रयत्न होता है। प्रतीत्य मनस की चेतना और भी अधिक स्पष्टस्तर की होती है क्योंकि प्रदीप्त मनस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है।

आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में श्री अरविन्द यह स्वीकार करते हैं कि उक्त दोनों ही स्तरों में व्यक्त मानसिक क्षमता की परिणति जिस स्तर में होती है वही ''स्वानुभूति'' है जिसे कि 'अन्तरदृष्टि' भी कहते हैं। चेतना के इस स्तर पर चेतना में एक ऐसी शक्ति आती है जो कि एकात्म के ज्ञान से अधिक निकट होती है, चूँकि यह ज्ञान का ऐसा प्रकाश है, जिसे मानव को यह चेतना अपने अन्दर विकसित करती है तथा जिससे वह चेतना की सम्पूर्णता की ओर बढ़ता है सम्पूर्णता की ओर अग्रसर होना ही यथार्थ विकास है। श्री अरविन्द इस क्रम में इस स्तर के आगे की चेतना के जिस स्तर को स्वीकार करते हैं उसे अधिमानस कहते हैं, यह अधिमानस ही अतिमानसिक चेतना का प्रतिनिधि है, क्योंकि इसी चैतन्य के पश्चात् ही अति चेतना की प्राप्ति सम्भव है। इसलिए

श्री अरविन्द अधिमानस को अधिचेतना के अत्यन्त नजदीक मानते हैं तथा मानवीय ज्ञान की यह अन्तिम अवस्था है जिसके आगे के स्तर को ही श्री अरविन्द ने अतिमानस का स्तर कहा है।

इस सन्दर्भ में यह भी प्रश्न स्वाभाविक है कि इस प्रकार की अवस्था में चूँकि ज्ञान दृष्टि प्रदीप्त नहीं हुई होती अतः बौद्धिक दबावों से मनस पूर्णतया मुक्त कैसे होगा? श्री अरविन्द यहाँ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उच्चतर विचार मनस की आवश्यकता नहीं है बल्कि उच्चतर विचार हेतु आध्यात्मिक प्रकाश की आवश्यकता है। वैचारिक प्रक्रिया में मनस अपने विषयों को अंशों के माध्यम से व्यक्त करता है फिर उसे आवश्यकता पड़ती है विषयों को प्रकाशित करने की। इसीलिए श्री अरविन्द विकास की विवेचना में उच्चतर मनस के बाद के स्तर को प्रदीप्त मनस कहते हैं। श्री अरविन्द कहते हैं कि प्रदीप्त मनस की क्रियाएँ विचार मूलक नहीं होती अपितु दृष्टि मूलक होती है।

श्री अरविन्द ने अतिमानस को मन के परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है जब मन लौकिकता से परे है, शुद्ध ज्ञान तथा एकता के स्तर में पहुँचता है तो वही अतिमनस है। मनस और अतिमानस के मध्य सभी स्तरों में अज्ञान का कुछ न कुछ अंश अवश्य रहता है यह अज्ञान सर्वाधिक मनस की ही अवस्था में होता है, क्योंकि मनस अतिमानस का अधो–पतन है। यह अज्ञान उत्तरोत्तर न्यून होता चला जाता है, तथा अतिमानसिक चेतना ही अज्ञान रहित चेतना है क्योंकि वह ज्ञान पूर्ण प्रकाश है इस लिए वहाँ अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। अतिमनस का आत्मा में अवतरण ही अतिमानसिक रूपान्तरण कहलाता है तथा रूपान्तरण की इस अवस्था में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश स्वाभाविक है इसलिए इस अवस्था में लौकिक अज्ञान पूर्णरूपेण विलुप्त होकर पूर्ण प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

अतिमानसिक ज्ञान श्री अरविन्द की दृष्टि से पूर्ण प्रकाश का ज्ञान है। इसलिए इस प्रकार की अवस्था का ज्ञान हमारे सामान्य ज्ञान की सीमा से बाहर है इसे ही कान्ट ने 'अज्ञेय' कहा है, अर्थात् इस अवस्था का ज्ञान प्रज्ञा के ज्ञान से परे है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक तथा परामनोवैज्ञानिक इस प्रकार के ज्ञान की व्याख्या कर सकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के

ज्ञान में प्रकाश का जो स्वरूप श्री अरविन्द के दर्शन में स्वीकृत है वह स्वरूप सामान्य मनस द्वारा ग्राह्य नहीं है। उस प्रकाश की व्याख्या परामनोविज्ञान द्वारा भी सम्भव नहीं है। इसीलिए अतिमानस की विवेचना पूर्णरूपेण दुर्लभ है।

आचार्य शंकर की दृष्टि में इसे ही 'अनिर्वचनीय' कहा गया है अर्थात् परम् ज्ञान विवेचन के परे है। गीता में स्थित प्रज्ञ के विवेचन में श्री कृष्ण ने कहा कि एषाब्राह्मी स्थितिःपार्थ'' अर्थात यह ब्राह्मी स्थिति ब्राह्म ज्ञान की अवस्था है। इसे प्राप्त करने के पश्चात मोह का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। श्री अरविन्द ने इसी कारण इसको अतिमानस कहा है। अतिमानस भी सम्पूर्ण मानसिक सीमाओं से परे है। इसलिए परामनोविज्ञानजन्य ज्ञान के द्वारा इसकी व्याख्या सम्भव नहीं हो पाती।

श्री अरविन्द ने सम्पूर्ण सृष्टि को उच्चतर एवं निम्नतर नामक दो गोलार्द्धों में विभक्त किया है निम्नतर गोलार्द्ध में भौतिक, जैविक एवं मानसिक स्तर को स्वीकार किया गया है जबकि उच्चतर गोलार्द्ध में सत्, चित्, आनन्द को स्वीकार किया गया है। अतिमानस सत्ता की दृष्टि से सच्चिदानन्द का चूँकि गौण अवस्थान है इसलिए अवस्था की दृष्टि से यह सच्चिदानन्द के नीचे तथा मानस के ऊपर है। इस व्याख्या से यह प्रमाणित होता है कि अतिमानस एक मध्यवर्ती तत्व है। मध्यवर्ती होते हुए भी इस अवस्था में सच्चिदानन्द की अविभाज्य एकता प्रतिबिम्बित होती रहती है। इस प्रतिबिम्ब के ही कारण श्री अरविन्द ने अतिमानस को सच्चिदानन्द का आत्म विस्तार कहा है। यह विशाल आत्म विस्तार इतना विस्तृत है कि इसे सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता और न तो सीमित बौद्धिकता के द्वारा इसकी विवेचना ही सम्भव है। यही कारण है कि अतिमानसिक ज्ञान परामनोवैज्ञानिक विवेचना से परे है।

श्री अरविन्द के अनुसार सच्चिदानन्द सृजनात्मक पक्ष है, सच्चिदानन्द यद्यपि स्वयं विश्वितीत है किन्तु अतिमानस के माध्यम से वह विश्व के सम्पर्क में आकर विश्वव्यापी बन जाता है अपने विश्वव्यापी स्वरूप में अतिमानस परामनोवैज्ञानिक का विषय बन सकता है किन्तु जब श्री अरविन्द अतिमानस को सच्चिदानन्द का गौण अवस्था कहते है तो इस अवस्था में यह गौण अवस्था स्वरूप परामनोविज्ञान की सीमाओं में आबद्ध नहीं होता। अतिमानस के ही स्तर

पर एकत्व का अनेकत्व में विस्तार हो जाता है, किन्तु इस विशाल आत्मविस्तार की अवस्था में सच्चिदानन्द का एकत्व अथवा अद्वैत रूप समाप्त नहीं होता है। विशाल आत्म विस्तार में भी वह एक ही बना रहता है, अनेक नहीं हो पाता। यही सच्चिदानन्द का विश्वातीत रूप है। सच्चिदानन्द के इस विश्वातीत रूप का हमें मानसिक रूप से ज्ञान नहीं हो पाता इसलिए आचार्य शंकर ने इसे अनिर्वचनीयता के रूप में प्रमाणित किया, क्योंकि यह रूप हमारी बौद्धिक सीमा के परे है। यही कारण है कि इस रूप का मनोवैज्ञानिक अथवा परामनोवैज्ञानिक विवेचन नहीं हो पाता है।

जिसे गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है उसे ही श्री अरविन्द मानवीय आदर्श के रूप में प्रज्ञान पुरूष कहते हैं। प्रज्ञान पुरूष का सम्बन्ध सामान्य जीवन से नहीं अपितु दिव्य जीवन से है। भारतीय दर्शन में जीवनमुक्त बोधिसत्व की धारणा भी स्थित प्रज्ञ अथवा प्रज्ञान पुरूष की धारणा से साम्य रखती है। यह धारणा ही यह प्रमाणित करती है कि वर्तमान मानव की उच्चतर अवस्था भी सम्भव है जिसे श्री अरविन्द ने 'अवश्यम्भावी' कहा है। असीमित एवं असाधारण ज्ञान से युक्त पुरूष को ही श्री अरविन्द ने प्रज्ञान पुरूष कहा है। यह प्रज्ञान पुरूष जीवनमुक्त से समानता रखते हुए भी उससे कई अर्थों में भिन्न है जीवनमुक्त जहाँ एक मुक्ति की धारणा पर आधारित है वही प्रज्ञान पुरूष की धारणा सर्वमुक्ति के सिद्धान्त पर आधारित है। चूँकि श्री अरविन्द मानसिक ज्ञान के अतिमानसिक रूपान्तरण के परिणाम को ही प्रज्ञान पुरूष की उत्पत्ति मानते हैं तथा सैद्धांतिक दृष्टि से यह स्वीकार करते हैं कि अतिमानसिक चेतना के अवतरण से ही प्रज्ञान पुरूष का निर्माण होता है। यदि प्रज्ञान पुरूष अतिमानस के अवतरण का परिणाम है तो प्रज्ञान पुरूष की यह अवस्था परामनोवैज्ञानिक ज्ञान से परे है।

स्थित प्रज्ञ के आचरण की भी विवेचना गीता में की गई है। "वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता अर्थात जिसकी इन्द्रियाँ उसके पूर्ण वश में हो वही स्थितप्रज्ञ होता है।, जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को अन्तर्मुखी कर लेते हुए पूर्णतया बाह्य प्रभाव रहित हो जाता है उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ की बाह्य प्रभाव रहित होता है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि यह स्थितप्रज्ञ बाह्य आसक्ति रहित

हैं तो उसके आचरण की विवेचना परामनोविज्ञान द्वारा सम्भव नहीं है? श्री अरविन्द प्रज्ञान पुरूषों के आचरण और व्यक्तित्व की भी चर्चा करते हैं इनके अनुसार ''प्रज्ञानपुरुष' व्यक्तित्व पूर्ण होगें परन्तु उनका व्यक्तित्व निजी सीमा का अतिक्रमण कर व्यापक होगा। व्यक्तित्व तो अन्य लोगों के समान होगा परन्तु उसकी सीमाएं व्यापक होगी, प्रज्ञान पुरूष पूर्णतया अहंकार रहित होगें तथा उनके आचरण में 'मैं' और 'मेरा' का भाव नहीं होगा। वस्तुतः व्यक्ति का अहंकार ही व्यक्ति को व्यक्तिगत बना देता है। इसलिए जब व्यक्ति अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका आचरण सर्वहित या लोकहित में होगा। इस प्रकार के लोग शरीर के लिए नहीं वरन आत्मोसर्ग के लिए कार्य करेंगे। इसलिए श्री अरविन्द ने यह स्वीकार किया है कि प्रज्ञान पुरूष का शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक नियमों से परिचालित होता है।

स्थितप्रज्ञ का दृष्टिकोण समष्टिगत होता है जिसकी दृष्टि में शरीर नहीं आत्मा है यह आत्मोन्नति के लिए ही आचरण करता है। आत्मोन्नति के लिए किया गया आचरण समष्टिगत आचरण होता है यही कारण है कि स्थितप्रज्ञ के आचरण में पूर्ण आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति होगी। आत्मज्ञान की इस अवस्था में वह सम्पूर्ण में अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का दर्शन करता है। इसे श्री अरविन्द ने प्रज्ञान पुरूषों का सार्वभौम आचरण कहा है।

श्री अरविन्द ने जिस अतिमानसिक मानव को प्रज्ञान पुरूष की संज्ञा दी है, उस प्रज्ञान पुरूष के स्वभाव का जब हम परामनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास करते हैं अथवा परामनोवैज्ञानिक अनुभूतियों के अनुरूप प्रज्ञान पुरुष के स्वभाव की व्याख्या का प्रयास करते हैं तो प्रज्ञान पुरूषों के रहस्य ग्रन्थि को हम खोल पाते।

श्री अरविन्द की व्याख्या के अनुसार प्रज्ञान पुरूष की दिव्यचेतना ही अनन्त है, ऐसी चेतना का प्रकाश वस्तुतः पूर्णता का प्रकाश है। यह प्रकाश इतना पूर्ण है कि मानसिक प्रकाश उसी में विलीन हो जाता है, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण के द्वारा इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि नमक का पुतला सागर की गहराई नापने का जब प्रयास करता है तो बीच में ही गलकर समुद्र के नमकीन पानी में मिल जाता

है गहराई न जान पाता है और न बता पाता है।'' इससे अतिमानसिक चेतना के पूर्णत्व स्वरूप का बोध हो जाता है। उसकी विशालता एवं असीमता भी प्रमाणित हो जाती है। चेतना के इस अनन्त स्वरूप की बौद्धिक विवेचना किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो पाती, इस अवस्था में मानव में न तो अज्ञान होगा और न तो अपूर्णता। इसी अपूर्णता के अभाव में ही वहां जीवन होते हुए भी दिव्य होगा चूँकि प्रज्ञान पुरूष सर्वभूतों से एकात्मकता का बोध करता है। इसी एकात्मकता बोध के कारण प्रज्ञान पुरूष की चेतना सामान्य चेतना से भिन्न एवं व्यापक है। इतना व्यापक है कि सामान्य बुद्धि की सीमा से बाहर है। श्री अरविन्द इसीलिए प्रज्ञान पुरूष को 'सदेह देव' कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का ज्ञान वस्तुतः प्रज्ञा जन्य ज्ञान है, क्योंकि काण्ट ने प्रज्ञाजन्य ज्ञान को अनुभवात्मक एवं बौद्धिक विकल्प का समन्वय ही कहा है उसके प्रज्ञा के बाद के ज्ञान को अज्ञेय कहा है। यद्यपि गीता में स्थित प्रज्ञ के स्वरूप की पूर्ण विवेचना गीता के अध्याय दो में की है किन्तु यह विवेचना युगावतार श्री कृष्ण द्वारा ही सम्भव है, सामान्य वैज्ञानिक द्वारा नहीं। यदि अतिमानसिक ज्ञान का अर्थ वह ज्ञान है जो मानसिक ज्ञान से भिन्न हो तथा उससे उच्चकोटि का हो तो ऐसी दशा में मानस से ऊर्ध्व समस्त ज्ञान व्यापक रूप से अतिमानसिक कहे जा सकते हैं, तथा उच्चतरमनस, प्रदीप्त मनस, स्वानुभूति तथा अधिमानस ये सभी उसी अर्थ में अतिमानसिक ज्ञान के न्यूनाधिक विकसित रूप है। उच्चतर ज्ञान के इन समस्त सोपानों में मानस का प्रभाव अवश्य रहता है। मानस का नाश केवल अतिमानस के ही स्तर पर होता है क्योंकि अतिमानसिक स्तर ही चेतना का पूर्ण प्रकाश है।

स्थितप्रज्ञ के जिस स्वरूप को श्री कृष्ण ने प्रमाणित किया है वह स्वरूप पूर्णतया अतिचेतना का स्वरूप है, जिसे कि पूर्णतया रहस्यात्मक कहा जा सकता है। श्री अरविन्द का अतिमानसिक ज्ञान का सिद्धान्त भी पूर्णतया रहस्यात्मक है। अतिमानसिक ज्ञान वस्तुतः अतिचेतना है इसलिए इस अतिचेतना की व्याख्या को रहस्यवादी व्याख्या ही कहा जा सकता है, इतना ही नहीं अपितु यह रहस्य भी अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जिसकी व्याख्या श्री कृष्ण या श्री अरविन्द ही कर सकते हैं। इस अर्थ में यह प्रमाणित होता है कि

अतिमानसिक ज्ञान वैज्ञानिक विधिक ज्ञान से भिन्न है तथा मनोविज्ञान या परामनोविज्ञान के अनुसंधान से परे है। स्थितप्रज्ञ की चेतना दिव्य चेतना है। यह दिव्य चेतना निर्विकल्प अनुभूति का परिणाम है। जिस अनुभूति में समस्त अनेकत्व एकत्व के रूप में प्रतीत होता है, यह एकत्व परामनोविज्ञान की सीमा से परे है।

श्री अरविन्द भी जिस अतिचेतना को प्रज्ञान पुरूष के लिए आवश्यक मानते हैं वह अतिचेतना अपने आप में एक अविभाज्य एकता है तथा मानस के द्वारा उस अविभाज्य एकता की व्याख्या सम्भव नहीं है, चूँकि परामनोविज्ञान का सम्बन्ध बौद्धिकता से है अतः परामनोविज्ञान के द्वारा उस अविभाज्य एकता की व्याख्या सम्भव नहीं है।

सन्दर्भ

1. *बसन्त कुमार लाल, समकालीन भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, पृ0 246, 240*
2. *Sri Aurobindo, The Life Divine, Sri Aurobindo Ashram Press, Puduchery*
3. *अनिलवरण राय, दि अरविन्द एण्ड न्यूजएज*
4. *गीता अध्याय 2– श्लोक – 50, 56*
5. *हृदयनारायण मिश्र, भारतीय दर्शन की समस्यायें, पृ0 212*
6. *श्री अरविन्द, दी लाइफ डिवाइन पृ0 864*
7. *डा0 भट्टाचार्य, श्री अरविन्द दर्शन, पृ0 192*
8. *श्रीमद् भगवद्गीता, अध्याय 2, श्लोक 70 (शांकरभाष्य)*
9. *वी0के0 लाल, सम0 भारतीय दर्शन, पृ0 260*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 111-116

दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता

*डॉ० बृजेश स्वरूप सोनकर**

शोध सारांश

पं० दीनदयाल उपाध्याय ने आर्थिक विषयो के सन्दर्भ में बहुत ही गहन, क्रमबद्ध एवं गवेषणात्मक साहित्य का सृजन किया, परन्तु उनके 'एकात्मक मानववाद' व 'अन्त्योदय' पर जितनी चर्चा होती है उतनी उनके आर्थिक चिंतन पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने 'पूंजीवाद', 'समाजवाद', 'आर्थिक लोकतंत्र', 'कृषि' तथा 'औद्योगीकरण' पर विस्तार से चर्चा की है।

पं० दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन की धारा विशुद्ध भारतीय थी। राष्ट्र भक्ति उनकी रग–रग में व्याप्त थी, इसलिए भारत राष्ट्र के उत्थान के लिए उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बल दिया गया। दीनदयाल का आर्थिक चिंतन विश्व में प्रचलित पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराओं से भिन्न दिखाई पड़ता है। उनका मत था कि पूंजीवादी एवं समाजवादी पद्धतियां भारतीय परिप्रेक्ष्य में सफल नहीं हो सकतीं। भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान भारतीय पद्धति से ही संभव है। इसके लिए पश्चिमी अर्थव्यवस्था की नकल उचित नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था को ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए कि उसमें मूल्यों को कोई स्थान न मिले। वास्तव में, वे भारत के आर्थिक विकास के साथ ही साथ उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित देखना चाहते थे।

अर्थव्यवस्था के लोकतंत्रीकरण का प्रतिपादन करने के कारण ही उन्होंने पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार यह दोनों अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत हैं, इसलिए ये लोकतंत्र विरोधी हैं। आर्थिक प्रजातंत्र का समर्थन करते हुए उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार कार्य करने के अवसर दिये जाने का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि "प्रत्येक को वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है

* *असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कर्मक्षेत्र महाविद्यालय, इटावा (उ०प्र०)*

वैसे ही प्रत्येक को काम यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है।''[1]

दीनदयाल जी चाहते थे कि आर्थिक कार्यक्रम सदैव प्रजातंत्र का संरक्षक एवं पोषक हो। दीनदयाल उस अर्थव्यवस्था को लोकतंत्र का विरोधी मानते थे जो व्यक्ति के उत्पादन की स्वतंत्रता एवं सृजनशीलता पर आघात करती है। इसलिये यह आवश्यक है कि उत्पादन करने वाला मजदूर या कर्मचारी स्वयं भी उत्पादन व्यवस्था का समर्थक एवं स्वामी बने। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह अपनी ही स्वतंत्रता को बेचता है जो आर्थिक लोकतंत्र की धारणा के विपरीत होगा। दीनदयाल ने आर्थिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को परस्पर अन्योन्याश्रित माना है। ''प्रतिनिधियों का निर्वाचन जितना निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता से हो सकेगा उतना ही अधिक वे प्रजातंत्र को सार्थक कर सकेंगें। चूंकि मनुष्य का कोई भी निर्णय एकांगी नहीं होता, इसलिए इस स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि वह आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा। (अर्थस्य पुरुषो दासः)। अतः अर्थ की स्वतंत्रता आवश्यक है।''[2]

दीनदयाल ने उत्पादन एवं उपभोग की स्वतंत्रता में उत्पादन की स्वतंत्रता को ही सबसे प्रमुख माना है क्योंकि उत्पादन करके ही मनुष्य उपभोग की पात्रता प्राप्त करता है। सामूहिक उत्पादन में सहभागी बनकर ही व्यक्ति अपने उपभोग की क्षमता सिद्ध करता है और राष्ट्र को अपना योगदान देता है किंतु यह स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं है। उनका कहना था कि यदि एक व्यक्ति अपने उत्पादन की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और उससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है तो वह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है।

मनुष्य की उत्पादन की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रहार पूंजीवादी औद्योगीकरण ने किया है। इस पूंजीवादी औद्योगीकरण के प्रहार से मानव की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दीनदयाल ने औद्योगीकरण के नियमन की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे लघु एवं कुटीर उद्योगों को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। दीनदयाल ने लिखा है – ''आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं तो संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करके चलते हैं।

यह संरक्षण देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से तथा देश के छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से देना होगा।''[3] दीनदयाल ने भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे एवं लघु उद्योगों की स्थापना तथा उनमें लगे कारीगरों के विकास की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि देश के सामान्य शिल्पी एवं कारीगर की उपेक्षा करने वाला औद्योगीकरण अलोकतांत्रिक है। उनका विचार था कि पश्चिमी ढंग की उत्पादन प्रणाली कुछ लोगों को काम अवश्य दे सकती है किंतु वह देश को गतिशीलता प्रदान नहीं कर सकती जिससे संपूर्ण समाज एवं अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके।

दीनदयाल ने अर्थव्यवस्था के नाम पर मानवीय मूल्यों की उपेक्षा एवं सामाजिक जीवन में विषमता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भारत के उद्योगपतियों द्वारा पश्चिम की नकल पर उद्योगों की स्थापना को अनुचित बताते हुए ग्रामोन्मुख लघु एवं कुटीर उद्योगों वाली विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का उन्होंने समर्थन किया।

दीनदयाल ने केवल उद्योगों में ही विकेंद्रीकरण का समर्थन नहीं किया बल्कि कृषि क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण लाने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि भारत में कृषि कार्य वर्ष भर नहीं होता। अतः गांव–गांव में उद्योग धंधे खोलकर कृषकों को पूरे समय काम दिलाया जाना चाहिए। वे पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों तथा उनके समर्थक भारतीय विद्वानों के इस मत से सहमत नहीं थे कि देश की आर्थिक प्रगति एवं औद्योगिक विकास के लिए किसानों से उनकी उपज अधिक दामों पर नहीं खरीदना चाहिए। वास्तव में, दीनदयाल किसानों के जीवन स्तर की कीमत पर औद्योगिक विकास के पक्षधर नहीं थे। उनके अनुसार कृषि मूल्य कृषकों के हित में लागत मूल्य तथा कृषकों द्वारा किए गये श्रम के आधार पर निर्धारित होना चाहिए जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके। कृषि सुधार हेतु वे आधुनिक मशीनों के बजाय परंपरागत विधियों को ही उन्नत करने के पक्ष में थे। दीनदयाल जी पुरातन प्रविधि और नई तकनीक के बीच एक सहज सेतु के समर्थक थे। उनका मत था कि भारत को अन्य देशों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। दीनदयाल जी का विचार था

"इन बातों पर विचार करते समय हमारे देश की स्थिति तथा पश्चिमी देशों को इन उन्नत तकनीकों के बारे में प्राप्त मूल अनुभव का भी हमें ठीक ढंग से विचार करना चाहिए। विज्ञान के लाभ भारतीय किसान तक अवश्य पहुंचने चाहिए, किंतु साथ ही उन प्रयोगों के क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसका भी अध्ययन करना चाहिए।"[4] उनका मत था कि कृषि पदार्थों की बिक्री तथा भण्डारण के लिए गांव–गांव व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान को अतिरिक्त व्यय न करना पड़े। कृषि क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सरकार को कृषि पैदावार की खरीद एक निश्चित समय पर ही नहीं, अपितु प्रत्येक समय करने को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीनदयाल केवल उद्योगों का ही नहीं बल्कि कृषि को लाभकारी एवं विकेंद्रित करने का समर्थन करते थे।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारी खेती के विरोधी थे। सहकारी खेती की कल्पना खेतिहर किसानों को भूमि से वंचित करने वाली है। कृषि स्वामित्व के आधार पर बनी व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा आर्थिक दृ ष्टि से फलदायी रही है। सहकारी खेती से किसान केवल खेतिहर मजदूर बनकर रह जायेगा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेरणा नष्ट हो जायेगी और अधिनायक वादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा।[5] इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय निजी स्वामित्व पर आधारित भूमि व्यवस्था के पक्षधर हैं, परन्तु अधिकतम जोत की सीमा के निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। वे यह मानते हैं कि किसान के स्वामित्व के आधार पर खेती का पुनर्नियोजन विचार ही व्यवहारिक और हमारे मानसिक रचना के अनुकूल है। जापान और अन्य देशों में इससे सर्वाधिक अच्छा परिणाम निकला है।

1953 में अपनी अर्थनीति की घोषणा करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने अधिकतम व न्यूनतम का अनुपात 20:1 होना चाहिये तथा यह सुझाव दिया था कि अर्थनीति इस प्रकार संचालित की जाय कि धीरे–धीरे यह अनुपात 10:1 हो जाय। वे विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा। उनके शब्दों में "योजना बनाने के पहले हमें प्रत्येक व्यक्ति को काम के सिद्धान्त को मान्यता देनी पड़ेगी। यदि इसे मान लिया जाये तो

योजनाओं की दिशा एवं स्वरूप बदल जायेंगे, भले ही बेकारी धीरे–धीरे दूर हो। इस विचार से हम उत्पादन व साधनों का निश्चय करें। यदि ज्यादा आदमियों का उपयोग करने वाले छोटे बड़े कुटीर उद्योग अपनाए गये तो कम पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरशाही का बोझ कम होगा तथा विदेशी ऋण नहीं लेना पड़ेगा। देश की सच्ची प्रगति होगी तथा प्रजातंत्र की नींव पक्की हो जायेगी।''[6]

दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक आयाम नहीं है। प्रत्येक को वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है वैसे ही प्रत्येक को काम आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। आर्थिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे पर निर्भर है। राजनीतिक प्रजातंत्र आर्थिक प्रजातंत्र के बिना नहीं चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा।

इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन से यह प्रतीत होता है कि उनका संपूर्ण आर्थिक विचार समग्र मानवता के हित साधन के सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनका आर्थिक विचार पूंजीवाद से दूर मानव–प्रधान एवं समाजपरक है। वर्तमान समय में पूंजीवादी नीतियों का ही परिणाम है कि बड़े एवं भारी उद्योगों की स्थापना देश में तीव्र गति से हो रही है, जिससे रोजगार कुछ निश्चित स्थानों पर ही केंद्रित होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा पश्चिम की उदारवादी अर्थव्यवस्था की नकल के कारण ही भारत में बेकारी, भुखमरी तथा आर्थिक मंदी की समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यदि हम दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीतियों का अनुसरण करें तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि वर्तमान उदारीकरण के युग में भी हम भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक ढांचा खड़ा करके संपूर्ण राष्ट्र को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। परंतु विडम्बना यह है कि देश में जिस तेजी से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा देश तेजी से उसी दिशा में जा रहा है, उससे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन को उदारीकरण के दौर मे

व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली सरकारें भी उनके आर्थिक विचारो पर अमल करने के लिये तैयार नही है। परंतु हमे यह याद रखना चाहिए कि इस देश की आर्थिक समस्यायों, गरीबी तथा बेरोजगारी का समाधान दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर ही चलकर किया सकता है।

सन्दर्भ

1. *दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 1998, पृष्ठ–29*
2. *दीनदयाल उपाध्याय, उक्त पुस्तक, पृष्ठ–28*
3. *दीनदयाल उपाध्याय, उक्त पुस्तक, पृष्ठ–71*
4. *शरद अनंत कुलकर्णी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, खंड–4, खेती और स्वावलंबन, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ–55*
5. *दीनदयाल उपाध्याय, सहकारी खेती और जनसंघ, पांचजन्य (साप्ताहिक) 26 जनवरी 1959, पृष्ठ–27*
6. *दीनदयाल उपाध्याय, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, पांचजन्य (साप्ताहिक) 30 मार्च 1960, पृष्ठ–08–14*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ.117-121

महिला सशक्तिकरण में डिजिटल सशक्तिकरण की भूमिका

*डॉ० मोनिका सहाय**

शोध सारांश

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करना उनकी क्षमताओं के अनुसार उनका विकास होना शिक्षा जागरूकता साक्षरता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना सम्मिलित है। खाद और कृषि संगठन के अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना महिलाओं की भलाई के लिए आवश्यक है और इसका कृषि उत्पादन खाद्य सुरक्षा आहार और बाल पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है महिला सशक्तिकरण आज के युग में बहुत आवश्यक है यदि हम चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी भी विकसित हो महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में सचेत हो पाती है जिससे वह किसी भी समस्या का डटकर मुकाबला कर पाती है।

आज का युग डिजिटल युग है जो समय के साथ अपने को परिवर्तित कर लेता है वही आगे बढ़ता है डिजिटलीकरण के द्वारा महिलाएं अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती हैं आजकल स्मार्टफोन की उपलब्धता अति सरल हो गई है एवं हर वर्ग का व्यक्ति इससे लाभान्वित है महिलाएं भी इसका प्रयोग कर रही है पर जो नही जागरूक है उन्हें भी जागरूक करना आवश्यक है।

सोशल मीडिया पर के निर्माण प्रसार और उपयोग के माध्यम से इंटरनेट अक्सर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक स्रोत है महिलाओं ने ऑनलाइन सक्रियता के लिए फेसबुक ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है वह ऑनलाइन सक्रियता के माध्यम से वे किसी भी प्रकार की राय लोगों से ले सकती हैं किसी भी परेशानी में उससे संबंधित सुझाव प्रशिक्षण से ले सकती हैं कानून से संबंधित जानकारी ले सकती हैं साथ ही उन्हें नौकरी चाहिए या उससे जुड़े सुझाव चाहिए तो भी वे बिना अपनी पहचान दिए पूरी जानकारी हासिल कर सकती है।

---

* *सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, एस.एन. सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर*

ई–लर्निंग के द्वारा महिलाएं घर बैठे पढ़ाई कर सकती हैं वे या फिर ऐसे कौशल सीख सकती हैं जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है ब्लॉगिंग एक अच्छा माध्यम है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का विवाह के बाद अक्सर महिलाओं की जिंदगी में मक में कई बड़े बदलाव आते हैं कुछ को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्हें बच्चे और घर की जिम्मेदारी लेनी होती है लेकिन आज के डिजिटल युग के दौर में वे अपने कौशल से संबंधित ऑनलाइन अपने ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंच सकती हैं एवं 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर घर बैठे पैसे भी कमा सकती हैं आजकल सिर्फ शहर की ही नहीं गांव की महिलाएं भी ब्लॉग बनाकर या यूट्यूब में वीडियो डालकर आत्मनिर्भर हो रही है इससे उनकी बोरियत भी दूर होती है साथ ही आत्म संतुष्टि भी मिलती है कई महिलाओं का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आ जाता है।

भारत में कई प्रयास महिलाओं के डिजिटल ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जा रहे हैं भारत में विश्व बैंक के वित्त पोषण से स्वनियोजित महिला स्वनियोजित महिला संघ सेवा से ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित किया यह महिलाएं गुजरात के आ आ आनंद जिले में रहतीद जिले में रहती थी।

कोविड–19 महामारी के दौरान इसी परियोजना ने महिला कारीगरों के जीवन में वयेधान नहीं उत्पन्न होने दिया प्रशिक्षण से महिला कार्यक्रम को जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने ग्राहक बढ़ाने में मदद मिली वहीं अधिकतर महिलाओं ने माहमारी के दौरान ऑनलाइन लेनदेन भी सीख लिया वे अब पेटीएम भीम अप और गूगल पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी कर लेती है गुजरात के कच्छ जिले की जयश्री ने अपने मोबाइल फोन के जरिए घर के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना सीख लिया इससे न ही उनका समय की बचत होती है साथी वह घरेलू सजावट के समान बनाने के लिए मैं विचारों को सिखाती हैं जिससे उनकी आमदनी भी बड़ी है महिला सुरक्षा एवं डिजिटाइजेशन सरकार के द्वारा कुछ अप बनाए गए हैं जिनको डाउनलोड करने से महिलाएं सुरक्षित रह सकती है सेफ्टी पिन अप के द्वारा

यदि किसी तरह की सुरक्षा महसूस होती है तो उनमें एक पैनिक अटैक का बटन है जिसे दबाना होता है व्यक्ति को एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर की लिस्ट पहले से बनानी होती है जिसे मुश्किल समय में कॉल किया जा सके पैनिक अटैक का बटन दबाते ही महिला की लोकेशन साछा की जाती है उसके इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट से एक साथ ही उनके पास मैसेज भी चला जाता है कि वह खतरे में है रक्षा वूमेन सेफ्टी अप है वॉल्यूम बटन दबाने से लोकेशन शेयर हो जाती है। इसी प्रकार वूमेन सेफ्टी ऐप, स्मार्ट 247, सेक टू सेफ्टी ऐप ऐसे आप हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं इनकी खासियत है कि यह बिना नेटवर्क के भी चलते हैं बी सेफ ऐप, आई वॉच`वे फॉर वूमेन के द्वारा परिस्थिति का वीडियो बन जाता है और शेर हो जाता है साथ ही एक चिल्ला ऐप है जिसमें यदि महिला चिल्लाती है तो उसका लोकेशन तुरंत शेयर हो जाता है इसी तरह से बहुत सारे नंबर है वेबसाइट है जिनकी जानकारी होने से हम मोबाइल के द्वारा भी पुलिस की मदद ले सकते हैं जैसे 100 नंबर एवं 112 नंबर।

साइबर सुरक्षा एवं महिलाएं कई फोन कॉल या वेबसाइट के द्वारा हम फ्रॉड में भी फंस सकते हैं जिससे आर्थिक रूप से महिलाओं का काफी नुकसान हो जाता है इसीलिए महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी कोई मैसेज यदि आए जिसमें लिखा होता है कि उन्हें किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है किसी प्रकार के पैसे का फायदा हुआ है है तो जो लिंक दी जाती है उसे बिल्कुल भी न छुए क्योंकि इससे इनका मोबाइल हैक हो सकता है कई बार जो वेबसाइट झूठे होते हैं उन्हें जाने पर हमारे मोबाइल में वायरस आ जाता है और हमारा डाटा भी हैक हो जाता है यहां तक की हमारी फोटोग्राफ भी हैक हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख कारक दो मुख्य कारक हैं जो महिला सशक्तिकरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। वे हैं महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। एक महिला को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए ये दोनों कारक आवश्यक हैं। जहां शिक्षा महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने, हासिल

करने और आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और आवश्यक कौशल प्रदान करती है, वहीं कमाई उन्हें अपने निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्रता देती है।

शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना–लिखना जानना नहीं है। इसमें बदलते समय के संबंध में ज्ञान अर्जन और जागरूकता निर्माण के व्यापक पहलू को शामिल किया गया है। वर्तमान युग तकनीकी प्रगति और व्यापक डिजिटलीकरण का है। इसलिए वर्तमान समय में प्राप्त किया जाने वाला सबसे प्रासंगिक ज्ञान डिजिटल ज्ञान है। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति सामाजिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में भारत में महिलाओं की स्थिति शेष विश्व से अधिक दयनीय है। ग्रामीण परिदृश्य में, पुरुष समकक्षों के अनौपचारिक नौकरी के लिए शहरों की ओर प्रवास के कारण श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिलाएँ अपने क्षेत्र में एक प्रकार से अवैतनिक कृषि मजदूर हैं। सामाजिक समर्थकों में, बच्चों के निर्णयों और उनकी गतिशीलता पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। उन्हें प्रारंभिक गर्भावस्था, प्रसव का बोझ उठाना पड़ता है जिससे उनके भविष्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। शहरी आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ अभी भी कम अनुकूल स्थिति में हैं। उच्च शिक्षा में कम लिंग प्रतिशत शहरी निगमों में उच्च नौकरियों में प्रकट होता है। विभिन्न श्रम कानून पुरानी समय सीमा और दुकान के फर्श की शर्तों को लागू करके विनिर्माण उद्यमों में उनकी भागीदारी को सीमित करते हैं। बढ़ती शहरी हिंसा शहरों में महिलाओं की गतिशीलता को और सीमित कर देती है जिससे महिलाओं की भागीदारी में कमी आती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्रों जैसे सभी प्रमुख बंदोबस्तों में लिंग अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। इस अंतर को पाटने के लिए आईसीटी उपकरणों का लाभ उठाने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका है।

अतः डिजिटल युग में महिलाओं को यह भी देखना आवश्यक है कि कैसे इसके दुष्प्रभाव से अपने को बचाएं तभी वह सुरक्षित रह सकती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि यदि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच कर उन्हें जागरूक किया जाता है तो हम निश्चित रूप से लैंगिक असमानता को दूर कर महिलाओं को डिजिटाइजेशन के द्वारा सशक्त कर सकते हैं। आशा है

सरकार को हर राज्य की महिलाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए या फिर जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन है उन्हें भी इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए किसी देश का विकास आधी आबादी के विकास को देखकर ही पता चलता है ऐसे में यदि महिलाओं का विकास होता है तो ना ही सिर्फ महिलाओं का बल्कि पूरे परिवार पूरे देश का विकास होगा।

सन्दर्भ

1. *Women and empowerment: Approaches and strategies by Sushma Sahai.*
2. *डॉ० दयानन्द उपाध्याय : महिला सशक्तीकरण में जनमाध्यमों की भूमिका, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2020*
3. *डॉ० अमित मलिक, महिला सशक्तीकरण : भारत की नई तस्वीर*
4. *Women's empowerment issues challenges and strategies - Hazira Kumar Jaimon Varghese.*
5. *Women and empowerment strategies for increasing autonomy -Taylor and Francis.*
6. *Indian approach to women's empowerment- Bharat Jhunjhunwala and Madhu Jhunjhunwala.*
7. *Gender divide and women empowerment in the digital age- Kapou Malakar, Atlantic publishers and distributors.*
8. *Digital empowerment for cornerstone for e-governance ;K S Vijay Shekhar, G P Sahu.*
9. *www.ijfmr.com*
10. *Digital empowerment: digital transformation- empowering people for success;- Ajay Dutta and ER Omika.*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 122-139

उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी तथा गैर सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्धों का अध्ययन

*डॉ० शुभ्रा पी० काण्डपाल**
*अर्जुन सिंह जगेड़ा***

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तर्सम्बन्धों पर अध्ययन किया गया है। वर्तमान शोध कार्य को उत्तराखण्ड प्रदेश के गढ़वाल मण्डल के सातों जनपद जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, पौढ़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून एवं हरिद्वार जिले सम्मिलित हैं जिसमें गढ़वाल मण्डल के सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा–12 के किशोर–किशोरियों को शामिल किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति को देखते हुये अनुसंधानकर्त्ता द्वारा शोधविधि के रूप में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्ष यह निकला कि उत्तराण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तर्सम्बन्ध नहीं होता है।

शब्दकुंजी : *किशोर, किशोरियाँ, सरकारी, गैर–सरकारी, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, शैक्षिक निष्पति, अभिभावकों की शिक्षा, अन्तःसम्बन्ध।*

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे उचित मापदण्ड यह है कि उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उस राष्ट्र के भावी कर्णधारों अर्थात जिन

* *एसोसिएट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, राजकीय एम0बी0रा0स्ना0 महाविद्यालय, हलद्वानी*
** *असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, राजकीय एम0बी0रा0स्ना0 महाविद्यालय, हलद्वानी*

पर राष्ट्र के भविष्य की दशा और दिशा निर्भर है को कैसे संस्कार एवं शिक्षा प्रदान की जा रही है। देश के आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका प्रमुख है। विद्यालय शिक्षण के द्वारा ही नहीं अपितु किशोर–किशोरियों के अभिभावकों की शिक्षा का भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह चाहे कम ही क्यों न पड़े अपितु प्रभाव पड़ता जरूर है। अतः संस्कार एवं सकारात्मकता प्रदान करने में अभिभावकों की शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा लिखने और पढ़ने का ज्ञान देने के साथ ही साथ व्यक्ति के आचरण, दृष्टिकोण एवं विचार में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के लिए फलदायक होती है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा को अलग–अलग विकास के क्रमों के रूप में जोड़ा है। प्लेटो ने शिक्षा को प्रशिक्षण के रूप में देखा है, जिससे स्वस्थ आदतों और सद्वृत्तियों का निर्माण होता है। थॉमसन महोदय ने उन प्रभावों को शिक्षा माना है जिससे किसी व्यक्ति की आदतों, व्यवहारों एवं विचारों तथा आचरणों में परिवर्तन आता है।

अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी सोद्देश्य प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है। जो व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। सम्पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति जीवन जीने में है और यह जीवन कई पक्षों में बंटा है तथा अनेक कर्तव्यों एवं दायित्वों में गुंथा हुआ है। इन सभी को योग्यतापूर्वक एवं सामन्जस्यपूर्वक निभाने की दक्षता, प्रवीणता तथा क्षमता देना शिक्षा का कार्य है और यही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है।

किशोर–किशोरियों के अभिभावकों की शिक्षा से आशय उनके माता–पिता द्वारा अर्जित उच्चतम शिक्षा से है। किसी भी बच्चे की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार ही होता है। अतः परिवार के हर एक सदस्य का शिक्षित होना बच्चे की शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की माता ही बच्चे की पहली अध्यापिका एवं उसका घर पहली पाठशाला होती है। जिस घर के सदस्यों ने जितने उच्च शिक्षित अथवा जितनी उच्च एवं उपयोगी शिक्षा प्राप्त की होगी, उस परिवार में जन्में बच्चे की शिक्षा–दीक्षा, लालन–पालन एवं सामाजिक भावना के विकास में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे पायेंगे। शिक्षा

के अनोपचारिक साधनों में परिवार का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि औपचारिक साधनों में विद्यालय का। परिवार माता–पिता, भाई–बहिन, चाचा–ताऊ एवं दादा–दादी से मिलकर बनता है जो बच्चे के अभिभावकों के रूप में कार्य करते हैं। परिवार मानव समाज की सबसे प्राचीनतम एवं महानतम सामाजिक संस्था है। परिवार वह सामाजिक संस्था है जहाँ नवजात शिशु मनुष्य के रूप में जन्म लेता है एवं परिवार का हर एक सदस्य उसके सर्वांगीण विकास में एक अद्वितीय एवं अग्रणी भूमिका निभाते हैं। परिवार में ही नवजात एवं पशु समान शिशु विभिन्न प्रकार के आश्रय, प्रश्रय, संरक्षण एवं सहयोग द्वारा अपनी असहाय अवस्था को गुजारता है।

जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वह एक कोरे कागज की तरह होता है। धीरे–धीरे जैसे–जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह कुछ समझने लगता है उस समय उस बालक को जैसा सामाजिक वातावरण एवं उच्च शिक्षित परिवार एवं पर्यावरण मिलता है बच्चा उसी के अनुरूप अपने को ढ़ालने का प्रयत्न करता है या यूँ कहें कि जन्म के समय से बाल्यावस्था तक आने के समय तक बालक को जैसा परिवेश प्राप्त होता है वैसा ही वह बनने की चेष्ठा करता है। इस पक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवार अथवा अभिभावकों का शिक्षित होना कितना अत्यावश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में अभिभावकों की शिक्षा से आशय उनके द्वारा अर्जित सामान्य अथवा व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा में अर्जित उच्चतम शिक्षा से है।

समस्या कथन

"उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी तथा गैर सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्धों का अध्ययन।

अध्ययन के उद्येश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्येश्य उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी तथा गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन करना है। विशिष्ट रुप से इस अध्ययन के निम्नलिखित

उद्येश्य हैं–

1. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।
4. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन के उद्येश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा उद्येश्यों से सम्बन्धि निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।
2. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।
3. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।
4. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।

शोध अभिकल्प

अध्ययन में अध्ययन बिन्दु एवं उद्येश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्ता ने "यादृच्छिकृत प्रतिचयन अभिकल्प" का चुनाव किया है। शोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य की प्राप्ति से पहले लिए गये निर्णय को शोध प्रारूप कहा जाता है। शोध प्रारूप अथवा शोध अभिकल्प शोध कार्यों की तैयारी के लिए योजना बनाती है। शोध पद्धत्ति शोध प्रक्रिया की सीमाओं को निर्धारित करती है और संभावित समस्याओं के समाधान की भविष्यवाणी करके शोध को और आसान बना देता है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की गृह वातावरण को लिया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्त्ता द्वारा जनसंख्या के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के सात जिलों यथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं हरिद्वार जिलों के उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परीषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों तथा गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 में कक्षा–12वीं में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों को लिया गया है।

सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 हेतु कक्षा–12वीं में लगभग 36559 छात्र–छात्राएं पंजीकृत एवं अध्ययनरत हैं जबकि गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 हेतु कक्षा–12वीं में लगभग 18774 छात्र–छात्राएं पंजीकृत एवं अध्ययनरत हैं। इस प्रकार के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 हेतु कुल जनसंख्या (उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के सात जिलों के उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परीषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर–सरकारी

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों सत्र– 2022–23 हेतु पंजीकृत एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की कुल संख्या) लगभग– 55,373 है।

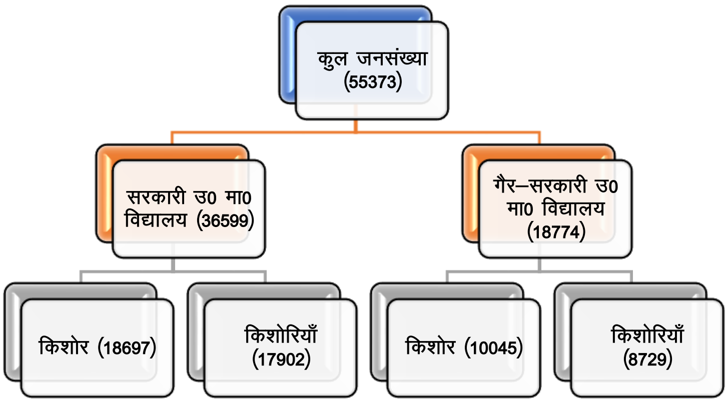

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु न्यादर्श के रूप में शोधकर्ता द्वारा गढ़वाल मण्डल के सातों जिलों को स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि द्वारा चयनित किया गया। तत्पश्चात सातों जिलों के सभी विकास खण्डों में से सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की लॉटरी विधि द्वारा एक–एक विकास खण्ड का चयन किया गया। प्रतिदर्श हेतु चयनित विकास खण्डों में अवस्थित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परीषद रामनगर, नैनीताल से मान्यता प्राप्त समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में से पुनः सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की लॉटरी विधि द्वारा एक–एक सरकारी तथा गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया।

न्यादर्श के रूप में कुल जनसंख्या– 55,373 में से लगभग 400 छात्र–छात्राओं (किशोर–किशोरियों) को सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की लॉटरी विधि द्वारा चयनित किया गया (जिन चयनित विद्यालयों में सभी संकायों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी उनमें क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि द्वारा किशोर–किशोरियों का चयन किया गया है।) जिनमें सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के 200 छात्र–छात्राओं को सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि द्वारा शोधकार्य हेतु चयनित किया गया जबकि गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के 200 छात्र –छात्राओं को सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि द्वारा शोधकार्य हेतु चयनित किया गया।

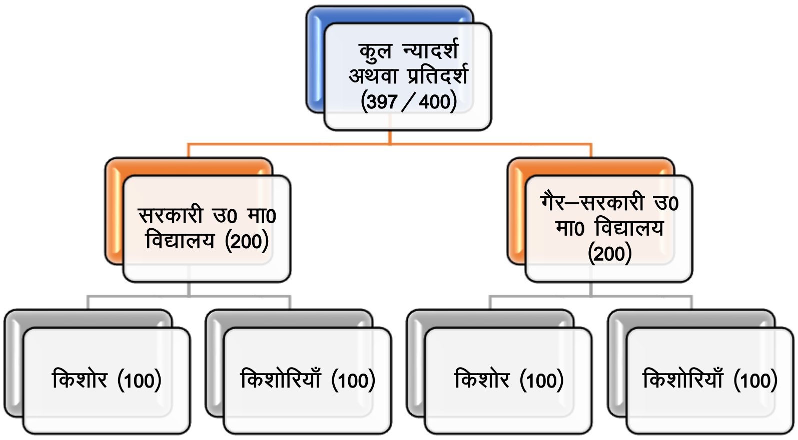

$$Sample = \frac{n}{1+n(e)^2} = \frac{55373}{1+55373(0.05)^2} = \frac{55373}{1+138.4325} = \frac{55373}{139.4325}$$
$$= 397.1312 = 400\ approximately$$

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु शैक्षिक निष्पति से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के लिए किशोर–किशोरी के कक्षा–11 के प्रगत्ति पत्र का प्रयोग किया गया है एवं अभिभावकों की शिक्षा से आशय जनसंख्या के रूप में शामिल सभी किशोर–किशोरियों के परिवार में उनसे बड़े सभी पारिवारिक जीवित सदस्य जैसे दादा जी, दादी जी, माता जी, पिताजी, बड़ी बहिन एवं बड़े भाई आदि की शैक्षिक उपलब्धि को लिया गया है जिससे सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन हेतु डॉ0 अभय आर. जोगलकर तथा डॉ0 सल्होत्रा रूपा सामाजिक–आर्थिक स्तर स्केल प्रमापीकृत उपकरण के शैक्षिक सूचनाएँ विमा का प्रयोग किया गया एवं उसी प्रमापीकृत उपकरण में दिये गये फलांकन स्कोर का ही प्रयोग किया गया है।

प्रदत्त संकलन की विधि

विभिन्न अनुसंधान विधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन व विश्लेषण करने के पश्चात शोधकर्त्ता के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह शोध, वर्णनात्मक अनुसंधान से सम्बन्धित है। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य किसी घटना, अवसर, स्थिति, समूह या समुदाय का वर्णन करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान

का मुख्य उद्देश्य विषय अथवा समस्या से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक अनुसंधान की सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रभावी विधि वर्णनात्मक अनुसंधान विधि है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति को देखते हुये अनुसंधानकर्त्ता द्वारा शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. उद्देश्य

सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना

सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।

तालिका : 1.1

Descriptive Statistics[a]

	Mean	Std. Deviation	N
ACHIEVEMENT	63.5559	8.02228	102
HES	225.34	36.973	102

a. gender = MALE

तालिका : 1.2

Correlations[a]

		ACHIEVEMENT	PE
ACHIEVEMENT	Pearson Correlation	1	.040
	Sig. (2-tailed)		.689
	N	102	102
PE	Pearson Correlation	.061	1
	Sig. (2-tailed)	.544	
	N	102	102

a. gender = MALE

शैक्षिक निष्पत्ति तथा गृह वातावरण के मध्य सम्बन्ध

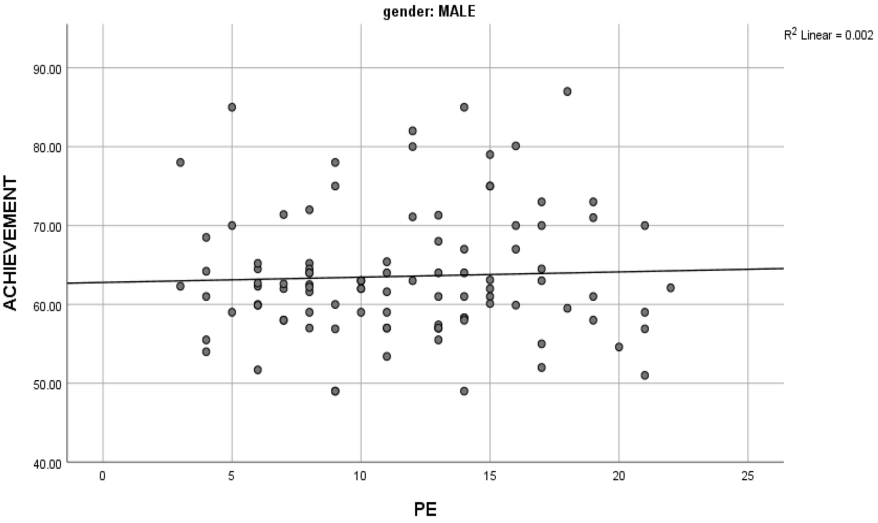

उपरोक्त तालिका संख्या– 1.2 एवं एसपीएसएस की गणना तथा उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परीषद रामनगर से स्थायी सम्बद्वता प्राप्त सरकारी (राजकीय) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कार्ल पीयरसन विधि द्वारा गणना करने पर सहसम्बन्ध का मान –0.061 प्राप्त हुआ जिसे सहसम्बन्ध तालिका में देखने पर किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य धनात्मक एवं नगण्य सहसम्बन्ध प्राप्त हो रहा है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उक्त क्षेत्र में अवस्थित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं होता है। ग्राफ का अवलोकन करने से भी यही प्रतीत हो रहा है कि किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति के बढ़ने एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के स्तर के बढ़ने पर एक समान लगभग सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो इस बात की द्योतक है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में अवस्थित सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2022–2023 में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक

अन्तःसम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त सार्थकता स्तर की गणना सार्थकता स्तर **0.05** पर आंकलित की गई है। अतः सार्थकता स्तर **0.05** पर उपरोक्त परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

2. उद्देश्य

सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना

सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।

तालिका : 2.1

Descriptive Statistics[a]

	Mean	Std. Deviation	N
ACHIEVEMENT	64.2456	7.52183	103
PE	11.70	4.434	103

a. gender = FEMALE

तलिका : 2.2

Correlations[a]

		ACHIEVEMENT	PE
ACHIEVEMENT	Pearson Correlation	1	.110
	Sig. (2-tailed)		.270
	N	103	103
PE	Pearson Correlation	.119	1
	Sig. (2-tailed)	.161	
	N	103	103

a. gender = FEMALE

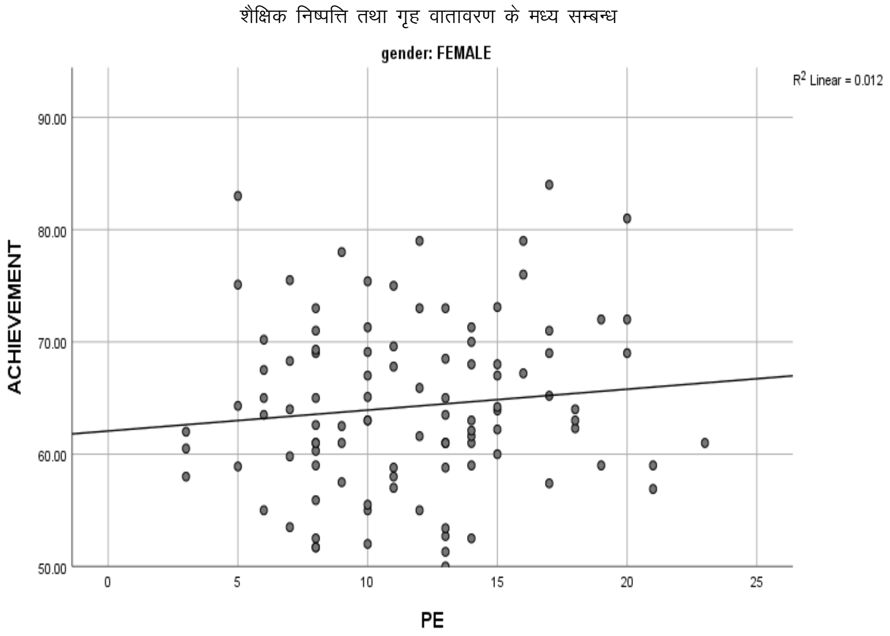

उपरोक्त तालिका संख्या– 2.2 एवं एसपीएसएस की गणना तथा उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परीषद रामनगर से स्थायी सम्बद्वता प्राप्त सरकारी (राजकीय) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कार्ल पीयरसन विधि द्वारा गणना करने पर सहसम्बन्ध का मान 0.110 प्राप्त हुआ जिसे सहसम्बन्ध तालिका में देखने पर किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य धनात्मक एवं नगण्य सहसम्बन्ध प्राप्त हो रहा है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उक्त क्षेत्र में अवस्थित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं होता है। ग्राफ का अवलोकन करने से भी यही प्रतीत हो रहा है कि किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति के बढ़ने एवं उनके गृह वातावरण के स्तर के बढ़ने पर एक समान लगभग सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो इस बात की द्योतक है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में अवस्थित सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2022–2023 में अध्ययनरत किशोरियों की

शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त सार्थकता स्तर की गणना सार्थकता स्तर 0.05 पर आंकलित की गई है। अतः सार्थकता स्तर 0.05 पर उपरोक्त परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

3. उद्देश्य

गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना

गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।

तालिका : 3.1

Descriptive Statistics[a]			
	Mean	Std. Deviation	N
PE	13.65	4.992	100
ACHIEVEMENT	71.9080	12.25932	100

a. gender = MALE

तलिका : 3.2

Correlations[a]			
		PE	ACHIEVEMENT
PE	Pearson Correlation	1	**-.029**
	Sig. (2-tailed)		.771
	N	100	100
ACHIEVEMENT	Pearson Correlation	**-.029**	1
	Sig. (2-tailed)	.771	
	N	100	100

a. gender = MALE

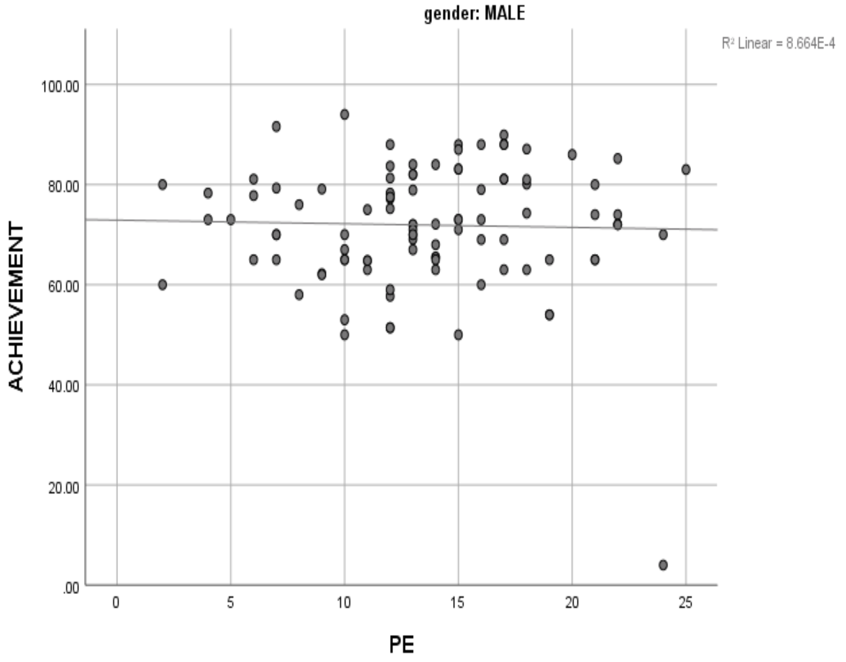

उपरोक्त तालिका संख्या– 3.2 एवं एसपीएसएस की गणना तथा उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परीषद रामनगर से स्थायी सम्बद्वता प्राप्त गैर–सरकारी (अशासकीय) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कार्ल पीयरसन विधि द्वारा गणना करने पर सहसम्बन्ध का मान –0.118 प्राप्त हुआ जिसे सहसम्बन्ध तालिका में देखने पर किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य ऋणात्मक एवं नगण्य सहसम्बन्ध प्राप्त हो रहा है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उक्त क्षेत्र में अवस्थित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं होता है। ग्राफ का अवलोकन करने से भी यही प्रतीत हो रहा है कि किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति के बढ़ने एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के स्तर के बढ़ने पर एक समान लगभग सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो इस बात की द्योतक है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में अवस्थित सरकारी उच्चत्तर

माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2022–2023 में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त सार्थकता स्तर की गणना सार्थकता स्तर 0.05 पर आंकलित की गई है। अतः सार्थकता स्तर 0.05 पर उपरोक्त परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

4. उद्देश्य

गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य अन्तःसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना

गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है।

तालिका : 4.1

Descriptive Statistics[a]

	Mean	Std. Deviation	N
HES	216.73	33.293	104
ACHIEVEMENT	74.8952	10.90472	104

a. gender = FEMALE

तालिका : 4.2

Correlations[a]

		PE	ACHIEVEMENT
PE	Pearson Correlation	1	**-.120**
	Sig. (2-tailed)		.225
	N	104	104
ACHIEVEMENT	Pearson Correlation	**.008**	1
	Sig. (2-tailed)	.934	
	N	104	104

a. gender = FEMALE

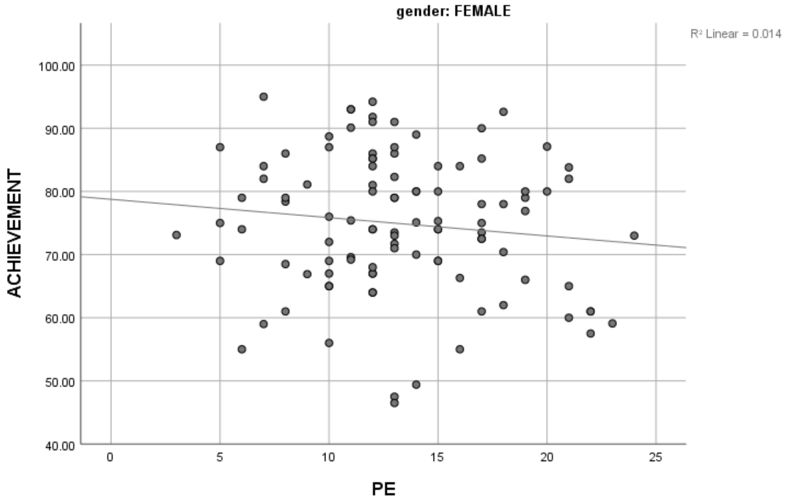

उपरोक्त तालिका संख्या– 4.2 एवं एसपीएसएस की गणना तथा उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परीषद रामनगर से स्थायी सम्बद्वता प्राप्त गैर–सरकारी (अशासकीय) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र– 2022–23 में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कार्ल पीयरसन विधि द्वारा गणना करने पर सहसम्बन्ध का मान –0.008 प्राप्त हुआ जिसे सहसम्बन्ध तालिका में देखने पर किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य ऋणात्मक एवं नगण्य सहसम्बन्ध प्राप्त हो रहा है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उक्त क्षेत्र में अवस्थित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं होता है। ग्राफ का अवलोकन करने से भी यही प्रतीत हो रहा है कि किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति के बढ़ने एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के स्तर के बढ़ने पर एक समान लगभग सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो इस बात की द्योतक है कि उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में अवस्थित सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2022–2023 में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके अभिभावकों की शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त सार्थकता स्तर की गणना

सार्थकता स्तर 0.05 पर आंकलित की गई है। अतः सार्थकता स्तर 0.05 पर उपरोक्त परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

प्रदत्तों के विश्लेषण के सन्दर्भ में अध्ययन के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये –

1. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं पाया गया है।
2. सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं पाया गया है।
3. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं पाया गया है।
4. गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति तथा उनके गृह वातावरण के मध्य कोई सार्थक अन्तःसम्बन्ध नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी किशोर–किशोरियों के अभिभावक कितने भी उच्च शिक्षित हों इस भागमभाग भरी जीवन शैली अथवा यूँ कहें कि वर्तमान के व्यस्ततम समय में वे अपने पाल्यों को बहुत कम समय दे पाते हैं चाहे उनका पाल्य सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हों अथवा गैर–सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हों। आज के अभिभावक रोजी रोटी कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने पाल्यों को उचित समय नहीं दे पा रहें है अर्थात उनकी शिक्षा व्यवस्था में कम ही समय दे पा रहे हैं जिससे उनके पाल्यों की शैक्षिक निष्पत्ति पर उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है।

शैक्षिक फलितार्थ

अनुसंधान कार्य के परिणाम भावी नीति निर्धारण की आधारशीला रहते हैं। व्यक्ति विगत अनुभवों से ही सीखता है, उसके अनुरूप कार्य करता है

अर्थात विगत तथा वर्तमान अनुभव ही भावी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में अवस्थित उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल से स्थायी सम्बद्वता प्राप्त सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के अन्तःसम्बन्ध के अध्ययन पर आधारित है। अतः इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं उनके गृह वातावरण के मध्य अन्तःसम्बन्धों के बारे में दिशा–निर्देश देंगें एवं उनका अनुकरण कर भावी जीवन में किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति में मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। किशोर–किशोरियों की शैक्षिक निष्पत्ति में उनके अभिभावकों की शिक्षा का बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है परन्तु अभिभावकों के शैक्षिक स्तर को नक्कारा भी नहीं जा सकता है। उच्च शिक्षित अभिभावक प्रत्यक्ष रूप से नही ंतो परोक्ष रूप से ही सही परन्तु अपने पाल्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य अवश्य करते हैं।

सन्दर्भ

1. *जॉन डब्ल्यू वैस्टः रिसर्च इन एजूकेशन,(1963), नई दिल्ली प्रेन्टिस हाल ऑफ इण्डिया, पृ.स. 26–28.*
2. *थॉम्पसन, एम. ई., (1976) : "ब्रिटिश अध्ययन आदत सूचि के द्वारा शैक्षिक निष्पति के प्रति पूर्वकथन अथवा भविष्यवाणी।", रिसर्च इन हायर एजुकेशन, 5(4), पेज 365–372, लिंक– स्प्रिंजर.कॉम/ आर्टिकल/ 10.1007/बीएफ00993435.*
3. *हसन (1978) : इफेक्ट ऑफ फेमिली इनवायरमेंट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेण्टस्, डॉ प्रीति शर्मा लेक्चरर, होम साइंस एम.वी.पी.जी. कॉलेज हरिद्वार।*
4. *चोपड़ा, एस0 एल0 (1982) : ए स्टडी ऑफ समनान इन्टेलेक्चुअल कोरिलेट्स ऑफ एकेडेमिक एचीवमेंट.*
5. *सक्सेना, वन्दना (1988) : "हाई स्कूल के विद्यार्थियों के समायोजन उत्सुकता, शैक्षिक अभिप्रेरणा, स्वसम्प्रत्यय एवं शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक सम्बन्धों के प्रभाव का अध्ययन।" पीएच0डी0, एजुकेशन, आगरा विश्वविद्यालय, एम. बी. बुच, पांचवां सर्वे.*

6. कीथ, पी. बी., एण्ड लीचमैन, एम., (1994): "क्या अमेरिका के मैक्सिको के कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पत्ति को उनके अभिभावकों का हस्तक्षेप प्रभावित अथवा बढा देता है।" स्कूल साइकोलॉजी क्वार्टरली, 9, पेज 256–273.
7. रेजिजवेष्का,बी., रिचर्डसन, जे. एल., डेन्ट, सी. डब्ल्यू एवं फलाई, बी. आर., (1996): "अफ्रीका, अमेरिका एवं एशिया के 15 वर्षीय किशोर–किशोरियों के पारिवारिक शैली और किशोरों की तनाव के संकेतों, धूम्रपान तथा शैक्षिक उपलब्धि– नैतिक मूल्य, लिंग एवं सामाजिक–आर्थिक स्तर का अन्तर का अध्ययन।" जर्नल ऑफ बिहैवियर मेडिसीन, 19(3), पेज 289–305.
8. *Bagum & Phukan (2000) : "A study of some socio economic factors on Academic Achievement of class IX student". Asian journal of psychology and education; Vol. 33, No. 34, P age 23- 26.*
9. बसन्त, एलिजाबेथ (2000) : "शिक्षा एवं बच्चे के विकास और इनका विद्यालयी प्रगति से सम्बन्ध के प्रति अभिभावकों के विश्वास के अध्ययन : एक विविध संस्कृतिक अध्ययन।" पीएच0डी0 थेसिस, युनिवर्सीटी ऑफ कलकत्ता.
10. सुनीथा, बी. और मयूरी, के., (2001) : "उच्च शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में आयु एवं लिंग असमानता पर एक अध्ययन।" जर्नल ऑफ कम्यूनीटि गाइडेन्स एण्ड रिसर्च, 18(2), पेज 197–208.
11. मिग्लानी, डी0 (2001) : "किशोरों की शैक्षिक निष्पत्ति के सन्दर्भ में संवेगात्मक बुद्धिमता का अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, डी0 ए0 वी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अबोहर.
12. नायक, चित्तरंजन (2002). : "माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति का उनकी बुद्धि तथा विद्यालय के प्रति उनकी अभिवृत्ति के सन्दर्भ में अध्ययन।" पीएच0डी0 थेसिस, उत्कल युनिवर्सिटी, भूवनेश्वर, उड़ीसा.
13. गोयल,स्वामी.प्यारी., (2002) : "किशोर बालिकाओं के सुरक्षात्मक अनुभव, पारिवारिक लगाव एवं मूल्यों के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन।" इण्डियन जर्नल ऑफ साइकोमेट्री एण्ड एजुकेशन, 33(1), पेज 25–28.
14. शर्मा, एस. निधि., (2002) : "कक्षा–बारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति एवं कुछ अन्य कारक (जैसे– आर्थिक स्तर, शैक्षिक योग्यता एवं आत्म–रक्षा आदि) का उनके अभिभावक सहभागिता के साथ सम्बन्ध, अभिभावकीय महत्वकाँक्षा (शैक्षिक एवं व्यावसायित) पर उनके अभिभावक सहभागिता एवं महत्वकाँक्षा के प्रभाव का अध्ययन।" डिपार्टमेण्ट ऑफ एजुकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब.
15. अग्रवाल. ए., (2002) : शैक्षिक निष्पत्ति के कुछ सहसम्बन्ध। इण्डियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 21(2), पेज 75–76.

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 140-145

धर्म सूत्रों में तप एवं व्रत की सामाजिक अवधारण

*आराधना द्विवेदी**
*डॉ० सन्तेश्वर कुमार मिश्र***

शोध सारांश

सर्वविदित है कि प्राच्य भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता रही है। सामाजिक, धार्मिक, वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन को शान्तिमय तथा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बनाने हेतु प्राच्य समाज चिंतक आचार्यों ने धर्म सूत्रों में अनेक प्रकार की व्यवस्थायें प्रदान किया है। धर्म सूत्रों में धार्मिक नियम विधानों को नैतिकता के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। समाज की कल्याणकारी तथा अहितकर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति के लिए अनुपालनीय विधि, निषेध परक नियमों के निर्देशन विहित हैं। व्यक्ति के शुभाशुभ कर्मों की बहुविध समीक्षा कर धर्मसूत्रकारों ने बड़ी पैनी दृष्टि से पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त, व्रत तथा तप आदि से सम्बन्धित अवश्य करणीय कर्मानुष्ठानों की व्यवस्थायें विहित किया है। सामाजिक जीवन की उत्तमता हेतु पाप कर्म न करने के नियम निर्देशनों के साथ ही हमारे समाज चिंतकों ने प्रायश्चित्त विधानों को अनेक उपबन्धों और अनुष्ठानों से समृद्ध कर दिया है। सम्पूर्ण धर्मसूत्रों में पाप कर्मों का विस्तार से विवेचन किया गया है। पाप कर्मों के परिणामों से मनुष्य का सांसारिक जीवन तिरस्कारमय एवं पतन देने वाला होता है। इतना ही नहीं अपितु लोक में भी पाप कर्मी व्यक्ति को घोर नरक और निकृष्ट योनि में जन्म लेने जैसे भयावह फल प्राप्त करने का व्यापक वर्णन हुआ है। इन विधानों का लक्ष्य सामाजिक जीवन में नैतिकता पूर्ण सदाचार तथा शान्तिमय वातावरण की स्थापना कराना प्रतीत होता है। पापाचार में संलिप्त व्यक्ति में सुधार हेतु अवसर तथा उपायों की भी व्यवस्था धर्मसूत्रीय समाज चिंतक आचार्यों ने निर्दिष्ट किया है।

ज्ञातव्य है कि पाप सम्बन्धी धारणा का मुख्य आधार कर्मफल का सिद्धान्त रहा है। कृतकर्मों का फल अवश्यम्भावी रहा है। इसीलिये कतिपय आचार्यों ने इस

* *शोध छात्रा, समाज शास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०*
** *असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०*

तथ्य का निरूपण करते हुए श्रेष्ठ कर्मों को शुभंकर तथा निन्दनीय कर्मों को दुःखदायी और अमंगलकारी घोषित किया है।[1] विष्णु धर्म सूत्रकार के विचार में हम पाते हैं कि – ''कर्मफल का भोग व्यक्ति को अनिवार्य रूप में प्राप्त होता है। चाहे कितना भी व्यक्ति छिप कर पाप कर्म करे। उनके अनुसार–

यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्।
तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारं विन्दते ध्रुवम्।।[2]

अर्थात् जैसे सहस्रों गायों के मध्य पड़ा हुआ बछड़ा अपनी माता गाय को ढूँढ ही लेता है, उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म अपने कर्ता को भारी भीड़ में भी ढूँढ लेता है। पाप कर्मों का बहुत व्यापक वर्णन धर्म सूत्रकारों ने करते हुए उनका वर्गीकर और उनके फलों का भी निरूपण किया है। जिससे समाज में अनाचार अशान्ति और हिंसा आदि न हो सके। मानव जीवन पतित न हो सके।[3] पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति निम्नतर तथा तिरस्कार पूर्ण हो जाने के भय से पातक कृत्यों में व्यक्ति प्रवृत्त होने का साहस नहीं कर सकता था। अन्यथा मृतवत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ प्रसंगतः उल्लेखनीय है कि धर्मसूत्रों में मानव जीवन को सुधारने के भी अवसर और उपाय सुझाए गए हैं। पाप कार्यों से मुक्त प्रदान करने के लिए ही प्रायश्चित विधानों की व्यवस्था दी गई है। प्रायश्चित्तों की अनेक विधियाँ विहित की गई हैं। जिसमें तप और व्रत नामक उपानुष्ठानों का सम्पादन किया जाना निर्दिष्ट है। जिनका संक्षिप्त गवेषणात्मक विवेचन अग्रलिखित है–

तपश्चर्या को प्रायश्चित्त के अन्तर्गत धर्मसूत्रकारों ने सामान्य रूप में निर्धारित किया है। इसमें कठोर जीवन यापन; संयम आचरण, शारीरिक शुद्धि के साथ ही निर्देश है कि भोग विलास तथा इन्द्रिय सुख से निरन्तर विमुख रहना होता है। देवाराधन, दान, दया और त्याग का जीवन व्यतीत करना आवश्यक किया गया है। पुण्यकर तिथियों एवं परमपूत स्थलों पर तप का आचरण करना श्रेष्ठ फलदायी निश्चित किया गया है। ऐसे पवित्र स्थलों में पर्वतों, नदियों, सरोवरों, तीर्थस्थलों, आश्रमों, देवालयों और गोस्थानों को निश्चित किया गया है।[4] आचार्य गौतम ने ब्रह्मचर्य, सत्यवचन पालन और तीनों सन्ध्याकाल में स्नान, आर्द्रवस्त्र धारण, बिछौना रहित भूमि पर शयन तथा भोजन

को त्याग करने के लिए तपस्वी को निर्देश दिया है।[5] जबकि आचार्य बौधायन ने उक्त के अतिरिक्त हिंसा और चोरी न करना, गुरू सेवा करना तथा एक वस्त्रधारी रहने का भी विधान किया है।[6] तप के साथ मंत्रजप करना भी अनेक कालावधि के निमित्त निर्देशित है, जिसमें एक वर्ष, छः माह, चार माह, तीन माह, दो माह तथा एक माह के अतिरिक्त विकल्पों के साथ 24, 12, 6, 3 और एक दिन तथा रात की अवधि आवश्यक की गई है।[7] इसी उपानुष्ठान के अन्तर्गत प्रायश्चित्त स्वरूप विविध व्रतों का विधान किया गया है। उदार दृष्टि अपनाते हुए आचार्य बौधायन ने अत्यन्त सरल विधान विहित करते हुए कहा है कि– विवेकवान व्यक्ति उक्त के स्थान पर उतना ही कठोर व्रत और तप करे, जितना उसकी काया को शुद्धि बोधन और सहन करने की क्षमता हो।[8] ज्ञातव्य है कि आचार्य गौतम ने तो अन्य आचार्यों के निर्देशों से बढ़कर अति उदारभाव से कहा है कि तप एवं व्रत को करने वाले व्यक्ति पर यह निश्चितव्य होगा कि वह कौन व्रत एवं तप का आचारण करेगा।[9] साथ ही गौतम एवं बौधायन दोनों चिंतकों ने यह तथ्य स्पष्ट कर तप एवं व्रत के लघु एवं दीर्घ होने का निश्चयन किया है कि तप और व्रत का निर्धारण व्यक्ति के पाप कर्म के कम और अधिक बड़े होने की स्थिति पर आधारित होगा।[10] लघु एवं गुरुतर अपराधों के शमन हेतु करणीय प्रायश्चित्त के अन्तर्गत यथापराध व्रत करने के लिए धर्मसूत्रकारों ने तीन प्रकार के प्रधान व्रतों का भेद सहित विधान किया है।[11] विस्तार से बचने के लिए उनके भेदों और प्रभेदों का नामोल्लेख करते हुए प्रधान व्रताचरण एवं तपस्या का समाज शास्त्रीय विवेचन अग्रलिखित है–

1. कृच्छ्र व्रत

सभी व्रतों में यह न्यूनतम कठोर तपवाला एवं सबसे सरल व्रत है। इस व्रत की संज्ञा करते हुए इसे आचार्य बौधायन ने ''प्राजापत्य व्रत'' नाम प्रदान किया है।[12] जो प्रजापति (ब्रह्मा) के द्वारा उपदिष्ट होने से अभिधानित है। इसके अनुपालन में तपपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए कुल 12 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। भोजन पर नियंत्रण प्रत्येक व्रत में किए जाने की प्रकृति होने से इसके प्रारम्भिक तीन दिवसों में मात्र प्रातः काल ही एक बार हविष्यान्त को भोजन के रूप में ग्रहण करने का नियम है। आगे के तीन दिवसों में एक मात्र

सायं बेला में ही हविष्यान्न भक्षण करना तथा अगले तीन दिनों में अयाचित भोज्य का केवल एक बार भक्षण करना और अन्तिम तीन दिवसों (9 से 12) के अन्तर्गत कुछ भी न ग्रहण करना निश्चित किया गया है।[13] कृच्छ्रव्रत के अनेक प्रकार बतलाये गए हैं। जिनका कारण अनेक प्रकार के अपराध अथवा पाप कर्म का शमन शोधन अथवा समापन करने का उद्देश्य होता है। इन सभी व्रतों का आनुष्ठानिक विवेचन व्यापकता में वर्णित है। अतएव संक्षिप्त रूप में इसके प्रकारों के नामों का उल्लेख अग्रलिखित है–

1. बाल कृच्छ्र व्रत
2. तप्त कृच्छ्र व्रत
3. शीत कृच्छ्र व्रत
4. सान्तपन कृच्छ्र व्रत
5. महासान्तपन कृच्छ्र व्रत
6. पराक कृच्छ्र व्रत
7. उदक कृच्छ्र व्रत
8. मूल कृच्छ्र व्रत
9. श्रीफल कृच्छ्र व्रत
10. पर्ण कृच्छ्र व्रत
11. तुलापुरूष कृच्छ्र व्रत[14]

ध्यातव्य तथ्य है कि उक्त सभी व्रतों की अपनी–अपनी निज अनुष्ठान विधियाँ और उनके विविध मतान्तरों के निर्देशन धर्म सूत्रों में वर्णित हैं। जिनका विस्तार से विवेचन यहाँ किया जाना सम्भव नहीं है।

2. अतिकृच्छ्र व्रत

पूर्व लिखित कृच्छ्रव्रत के अनुपालनीय विधानों को और अधिक कठोर स्वरूप प्रदान करके अतिकृच्छ्र व्रत को पूर्ण किया जाता है। किन्तु विशिष्टता यह है कि भोज्य हविष्य अन्न का भक्षण मात्र एक कवल अथवा हाथ में एक बार ग्राह्य मात्रा में निश्चित किया गया है।[15]

3. कृच्छ्रतिकृच्छ्र व्रत

इस व्रत के सम्बन्ध में आचार्यों ने मतभिन्नता से विचार स्थापित किया है। आचार्य गौतम एवं बौधायन के मत में एक मात्र जल को ही कुल 12 दिनों तक पीकर यह व्रत किया जाता है और कुछ भी नहीं।[16] इतना ही नहीं अपितु बौधायन के निर्देशन में तीन–तीन दिनों के क्रम में प्रातः मध्याह्न और सायं जल मात्र ग्रहण कर अन्तिम तीनों दिनों में केवल वायुपान ही करके व्रत करने

का नियम विहित है।[17] इसी सन्दर्भ में हम पाते हैं कि विष्णुधर्म सूत्रकार ने उदारता के साथ नियम निर्देश करते हुए लिखा है कि– कुल 21 दिनों तक केवल दूध पी करके भी इस व्रत का आचरण किया जाने के कारण यह कृच्छ्रतिकृच्छ्र नामक व्रत कहलाता है।[18]

उपर्युक्त इन तीनों व्रतों के अनुपालन की विधियाँ प्रायः सभी आचार्यों ने धर्मसूत्रों में उपन्यस्त किया है। जिनका विस्तार भय के कारण सांगोपांग विवेचन किया जाना यहाँ सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि तीनों व्रतों से क्रमशः सामाजिक रूप में पवित्रता प्राप्त कर व्यक्ति स्वधर्म पालन के योग्य बन जाता रहा। महापातक एवं अन्य पापकर्मों से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता रहा तथा सर्वपापों से पूर्ण मुक्त हो जाता रहा। उसे पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाती थी। अतएव धर्मसूत्र कालीन समाज में व्रतों का पालन प्रतिष्ठा एवं सम्मान से जीवन यापन कराने में साधन के रूप में व्यवहृत किया जाता रहा।[19] स्मरणीय है कि इन्हीं व्रतों के साथ ही आचार्यों ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण ''चान्द्रायण व्रत'' का भी विधान किया है। जो अनेकशः पापों से मुक्ति हेतु प्रायश्चित्त के रूप में निर्धारित किया गया है। जिसका आधार चन्द्रगति के अनुसार भोजन के ग्रास ग्रहण करने तथा अनश्नन रहने की स्थिति से युक्त है। इस व्रत के भी पिपीलिकामध्यचान्द्रायण; शिशुचान्द्रायण; यतिचान्द्रायण और सामान्य चान्द्रायण नामक 4 उपभेद भी निर्धारित किए गए हैं। इस व्रताचरण से प्राचीन ऋषियों को अपनी सभी कांक्षाएँ, पुत्र, पौत्र, धन, सम्पत्ति, सम्मान, यश तथा दीर्घायुष्य की प्राप्ति सम्भव हुई थी।[20] सामाजिक नियंत्रण तथा संचालन में इन सभी व्रतों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। तप एवं व्रत के अनुपालन के भय से समाज में अहिंसा, पापाचार, अन्याय, असत्य और दुराचार कर्मों पर प्रतिबन्ध लगता रहा।

पूर्वतन विवेचनों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि धर्मसूत्रीय सामाजिक व्यवस्था में तप और व्रत की अवधारणा ने व्यक्ति, परिवार और समाज को दिशा और दशा प्रदान कर उनका नियंत्रण तथा संचालन किया है। जिसका स्वरूप आज भी न्यूनाधिक्य रूप में भारतीय जन जीवन में

विद्यमान रहा है। इनकी उपयोगिता भावी समाज में भी स्वीकार्य रहेगी; ऐसा विश्वास है।

सन्दर्भ

1 *विशेष हेतु द्रष्टव्य है गौतम धर्मसूत्र– 3.1.2, बौधायन धर्मसूत्र– 3.10.2.3, वसिष्ठ धर्मसूत्र–22.1*

2 *विष्णु धर्मसूत्र– 20.4.7,*

3 *तदेव–34.1–2,43.24, 44.1–9, 45.2–31, वसिष्ठ धर्मसूत्र–19.44, 20.43–44 आपस्तम्ब धर्मसूत्र–1.29.2–3, 2–24, 9–10, 1.24.1–7, 3.9.11 बोधायन धर्मसूत्र– 2–1.2, 17.2.2.2, गौतम धर्मसूत्र*

4 *गौतम धर्मसूत्र– 3.1.4, बौधायन धर्मसूत्र– 3.10.13*

5 *तदेव– 3.1.15, ब्रह्मचर्यं सत्यवचनंसवनेषूदकोपस्पर्शनमार्द्रवस्त्राऽधः शायिताऽनाशक इति तपांसि।*

6 *बौधायन धर्मसूत्र– 3.10.14*

7 *तदेव 3.10.16.22.13, आपस्तम्बधर्मसूत्र–1.29.17, गौतमधर्मसूत्र– 3.1.17, संवत्सरः षाण्मासा चत्वारस्त्रयो वा द्वादशाहः षडहस्त्र्यहोऽहोरात्र इति कालाः।*

8 *तदेव 4.7.3, एवमेतानि यंत्राणि तावत्कार्याणि धीमता। कालेन यावतोपैति विग्रहं शुद्धिमात्मनः।।*

9 *गौतमधर्मसूत्र 3.1.18, एतान्येवानादेशे विकल्पेत् क्रियेरन्*

10 *तदेव 3.1.20, बौधायनधर्मसूत्र– 2.2.25, 3.10.18*

11 *तदेव 3.1.20, बौधायनधर्मसूत्र– 2.2.25, 3.10.18*

12 *बौधायनधर्मसूत्र– 4.5.6*

13 *तदेव 2.2.25, 4.5.6 वसिष्ठधर्मसूत्र 21.20, आपस्तम्बधर्मसूत्र 1.27.7*

14 *तदेव 4.5.7, 2.2.26, 3.7.6, विष्णुधर्मसूत्र 54.33, 46.12, 54.25.27, गौतमधर्मसूत्र 3.5.22, 3.8.21.24, आपस्तम्बधर्मसूत्र 1.28.20 वसिष्ठधर्मसूत्र 2.3.49, 20.7–16, 19–20, 21–22*

15 *गौतमधर्मसूत्र 3.8.19, यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्। बौधायनधर्मसूत्र 2.2.27 गोविन्दभाष्य।*

16 *तदेव 3.8.20 अब्भक्षस्तृतीय स कृच्छ्रातिकृच्छ्रः बौधायन धर्मसूत्र 2.2.28*

17 *बोधायन र्मसूत्र– 4.5.9*

18 *विष्णुधर्मसूत्र– 46.13, कृच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा दिनैक विंशतिक्षपणम्।*

19 *गौतमधर्मसूत्र 3.8.21–24*

20 *तदेव– 3.9.1–15 बौधायनधर्मसूत्र 3.8.9, 22–35, 3.8.37–40, 4.5.18–19, 5.5.19–20, विष्णुधर्मसूत्र– 47.7.8, 9, 51.2–6, 52.6, 54.21*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 146-154

भारतीय विदेश नीति में पंचशील नीति : एक अध्ययन

*डॉ० प्रमोद सिंह**
*प्रमोद कुमार***

शोध सारांश

पंचशील का साधारण अर्थ शील अथवा सदत्चार होता है। पंचशील शिष्टाचार से सम्बन्धित होता है। यह सदाचार मानव को संयमी में और आचारण पूर्ण जीवन जीने का संदेश होता है। पंचशील सिद्धान्त हमें जीवन जीने का उत्तम तरीका सिखाता है। जिस प्रकार सनातन धर्म में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् सर्वोच्च मूल होते हैं उसी प्रकार यह पंचशील है। पंचशील शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के पाँच सिद्धान्त हैं– हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना।

पंचशील के पालन से मनुष्य प्रज्ञाशील मैत्री करूणा आदि की भावना से पूर्ण होता है। पंचशील के माध्यम से मनुष्य समाज एवं राष्ट्र का मंगल कर सकता है। हिंसा, नैतिक, पतन, व्यभिचार और अनाचार को समाप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धान्त सभी धर्मों के लिए प्रसांगिक है। धर्म का मतलब सही दिशा, सही विचार का मार्ग दर्शन करना। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए नियम संसार सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रभावनी है। अपने इन्हीं नियमों की वजह से बुद्धिजन विश्वव्यापी धम्म और कुछ विश्व गुरू के रूप में जाने जाते हैं। पंचशील सिद्धान्त का पालन करके सभी व्यक्ति सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकते हैं।

सन् 1947 में भारत की आजादी के साथ एशिया और अफ्रीका क विभिन्न देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया समूचे एशिया व अफ्रीका में धीरे–धीरे फैलती जा रही थी यह शीतयुद्ध का दौर था और समूची दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ नेतृत्व में दो गुटों में बटी हुयी थी।

---

* *एसो. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, टी०एन०पी०जी० कॉलेज, अम्बेडकरनगर, (उ०प्र०)*
** *शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, टी०एन०पी०जी० कॉलेज, अम्बेडकरनगर, (उ०प्र०)*

भारत को विश्व में शान्ति को कायम करना अत्यन्त आवश्यक था। इसके अभाव में भारत की आर्थिक विकास असम्भव था इस स्थिति में विश्व शान्ति बनाये रखना भारत की विदेशनीति को बनाये रखना भारतीय विदेशनीति का एक मूलाधार हो गया। 25 अगस्त 1954 में के0एम0 पणिक्कर ने कहा था कि ''यदि समय मिले तो भारतीय के लिए स्वयं अपने ढंग से विश्व शक्ति बनाने का पूरा मौका है।'' फिर 12 जून 1952 को सम्भावित तृतीय विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में अपनी शान्तिवादी नीति की घोषणा करते हुए पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी पहली नीति यह होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाय तो हम इसे रोकने के समर्थन हो सके।

पं0 नेहरू की विदेशनीति के प्रमुख सिद्धान्त स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ही सुनिश्चित हो गया। व्यवहारिक रूप से इनको औपचारिक ढंग से 28 जून 1954 को नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की वार्ता के पश्चात् भारत और चीन द्वारा संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें प्रथम बार पंचशील सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया। इस विचार को भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 में पंचशील नामक समझौते के रूप में अभिव्यक्त किया गया। पंचशील में वर्णित पाँच सिद्धान्त निम्नलिखित है–

1. सभी राष्ट्र एक दूसरे सीमान्तीय अखण्डता एवं सम्प्रभुत्त को पारस्परिक सम्मान करे।
2. कोई राज्य एक दूसरे पर आक्रमण न करें, और दूसरों की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे।
3. आन्तरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करें।
4. प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता के व्यवहार को तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे।
5. सभी राष्ट्रों के शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धान्त के आधार पर एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहे और अपनी पृथक सत्ता स्वतंत्रता को बनाये रखे।

पंचशील के सिद्धान्तों को अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, पोलैण्ड, इण्डोनेशिया, मिश्र, पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाविया तथा सउदी अरब ने सन् 1956 में अनुमोदित किया। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पंचशील सिद्धान्तों को अनुमोदित करने का निर्णय किया था। अप्रैल 1955 में बांडुग में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पंचशील सिद्धान्तों का विस्तृत रूप प्रदान किया गया और पांच सिद्धान्तों के स्थान पर दस सिद्धान्तों की स्थापना की। इसके बाद विश्व के कई देशेां ने पंचशील सिद्धान्त की मान्यता को स्वीकार कर लिया। 11 दिसम्बर 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी भारत द्वारा पंचशील सिद्धान्तों को स्वीकार लिया। इस तरह पंचशील सिद्धान्तों को विश्व स्तर पर पंचशील सिद्धान्तों मी मान्यता प्राप्त हो गयी। परन्तु इनमें अमेरिका और ब्रिटेन और नाटों के सदस्य देशों में इसे पूर्णतः स्वीकार नही किया फिर भी उन्होंने इनका पूर्णतः विरोध नही किया।

पंचशील के पांच सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी भारत की शान्तिप्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति का पंचशील के सिद्धान्तों ने एक नयी दिशा प्रदान की। इसे पंचशील सिद्धान्त को भारतीय वैदेशिक नीति की आधार शिला कहा जाता है। वैसे पंचशील बौद्ध धर्म का एक परिभाषिक शब्द है। जिसका सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गौतम बुद्ध ने किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो व्यक्ति भिक्षु बनता है। उसे पांच व्रतों को धारण करना पड़ता था। जिसे पंचशील कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है– ''आचरण के पांच सिद्धान्त''। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते है। उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धान्त के द्वारा राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के साफ आचरण के सम्बन्ध निश्चित किये गये।

पंचशील समझौता और भारत–चीन युद्ध – सन् 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ–एन–लाई ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि पंचशील सिद्धान्त उपनिवेशवाद के अंत और एशिया व अफ्रीका के नये राष्ट्रों के उद्भव में सहायक सिद्ध होंगे। इस दौरे से ही भारत में हिन्दी चीनी भाई–भाई का नारा दिया और चीन पर अत्यधिक विश्वास किया। भारत ने वर्ष 1955 में चीन को इंडोनेशिया में अयोजित होने वाले एशियाई अफ्रीकी देशेां के बाडूग सम्मेलन

में भी आमंत्रित किया था। इसी बीच अक्साई चीन और अरूणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा था चीन इन दोनों ही भारतीय क्षेत्र का अपना हिस्सा बताते थे। इन विवादों के कारण भारत और चीन के सम्बन्ध धीरे–धीरे बिगड़ते जा रहे थे।

चीन सम्पूर्ण तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था और इसी बीच भारत ने तिब्बत के धर्म गुरू दलाई लामा को शरण दे दी। इससे चीन अत्यधिक रूष्ट हो गया। भारत और चीन के बीच सन् 1954 में हस्ताक्षरित हुए इस पंचशील समझौते की समयावधि 8 वर्षो की थी। लेकिन 8 वर्षो के बाद इसे पुनः आगे बढ़ाने पर विचार नही किया। पंचशील समझौते की समयावधि समाप्त होते ही सन् 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया इस युद्ध में भारत न पराजित हुआ बल्कि उसके विभिन्न हिस्सों पर चीन ने कब्जा भी कर लिया। भारत के वे हिस्से आज भी चीन के कब्जे में है।

पंचशील एक ऐसा समझौता था। जिसके द्वारा भारत ने अंग्रेजों से मिले उन सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, जो भारत को तिब्बत से प्राप्त थे। पंचशील सिद्धान्त भारतीय विदेशनीति का एक मूल सिद्धान्त है जो शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तक्षेप के विश्वास के आधार पर राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए इन सिद्धान्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इन पांच सिद्धान्तों द्वारा भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक कम कर दिया गया था और इसके बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल मिला था। इसी बीच हिन्दी चीनी भाई–भाई के नारे उद्भव हुआ। जिससे आपसी सम्मान की भावना पैदा हुई।

यह समझौता ज्यादा समय तक नही चल पाया इसमें विवाद तब पैदा हुआ जब चीन ने 1950–51 में ही अपने नक्शे में भारत एक बहुत बड़े भू–भाग को चीन का अंग दिखाया गया। फिर चीन ने जुलाई 1958 में एक विवादित नक्शे के दौरान लद्दाख से लेकर असम की सीमा को चीन के भू भाग के रूप में प्रदर्शित किया। इसमें बाद 1959 में तिब्बत ने चीन की नीतियों का विरोध किया। जिसके फलस्वरूप चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तिब्बती गुरू दलाई लामा और उनपके अनुयायी वहां से भागकर भारत

आ गये। भारत ने उन्हें शरण और यही से भारत आए चीन के सम्बन्ध खराब होते चले गए इस तरह चीन ने भारत को दोषी बताया। इसी के आधार पर चीन ने भारत के विरूद्ध सन् 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।

पंचशील सिद्धान्त ने भारत–चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर किया था तथा इसके बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल मिला था इसी बीच हिन्दी चीनी भाई–भाई के भी नारे लगाये गये थे। यद्यपि पंचशील समझौता भारत चीन आपसी समझौता भारत चीन ने आपसी सम्बन्धों को ठीक करने के लिए किया लेकिन चीन ने गलत फायदा उठाया था। कुछ आलोचको द्वारा पंचशील योजना को केवल आदर्शात्मक सूत्र कहा है। क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वार्ता वक्ताओ नही स्वीकार करता जबकि कुछ इसे मात्र अन्तर्राष्ट्रीयता, नैरिक्तवाद की संज्ञा दी।

शान्तिपूर्ण सह–जीवन – पंचशील के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गये। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही महाशक्तियों के शक्ति सम्बन्धों में एक परिवर्तन आया। शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त में ही और जीने का सिद्धान्त निहित है। यह सिद्धान्त आज की दुनिया में हो और भी लाभदायक है। जबकि विश्व कुछ शक्ति गुटों में बंटा है। इसका पहला सिद्धान्त कहता है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुत्वा का सम्मान करना चाहिए। इस तरह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की जड़ पर कुठाराघात करता है। इससे यह स्पष्ट होता था कि किसी भी राज्य को अपने से हम शक्तिशाली राज्यों पर राजनीतिक या सैनिक शक्ति नही लादनी चाहिए तथा प्रादेशिक, आर्थिक, साम्राज्य के सिद्धान्तों को त्याग कर देना चाहिए।

भारत की विदेश नीति मैत्री और सह–अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यही धारणा ही रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचार धाराओं में सह–अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि सह–अस्तित्व को स्वीकार नही किया जाता तो आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का ही विनाश हो जायेगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री सन्धियां, भारत–जापान शान्ति सन्धि, भारत, मिस्र, शान्ति सन्धि, भारत सोवियत मैत्री सन्धि, भारत,

बांग्लादेश मैत्री सन्धि उल्लेखनीय है। पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ''विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नही है। हम दूसरों से अलग जिन्दा नही रह सकते है हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शान्ति चाहते हैं अपना वश चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते।''

चीन ने भारत पर सन् 1962 में आक्रमण कर दिया जिसने भारत को हार का सामना करना पड़ा और इस आक्रमण ने पंचशील के सिद्धान्तों पर भी अघात किया। 1962 में युद्ध में भारत को मिली पराजय का जिम्मेदार पं0 नेहरू को माना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन को निरंतर पराजय प्राप्त हो रही थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने सैनिको को उत्साह वर्धन हेतु संदेश दिया था कि हम हर परिस्थितियों में अपने देश की रक्षा के लिए हम पहाड़ों, समुद्र तटों, सड़कों एवं जमीन पर लड़ेंगे पर हथियार नहीं डालेंगे। 1962 में प्रधानमंत्री चर्चिल की तुलना में पं0 नेहरू का सैनिकों का दिया गया संदेश निरूत्साही था जिसमें भारत के साथ–साथ आसाम के निवासियों की हिम्मत भी टूट सी गयी। उन्होंने अपने संदेश में आसाम के लोगों का उल्लेख सहानुभूति के इस अन्दाज में किया मानों वो अन्तिम विदाई दे रहे हैं। उन्होंने 20 अक्टूबर 1962 को लोगों को सम्बोधित किया और लगभग एक माह की संवादहीनता के उपरांत 20 नवम्बर 1962 पुनः निराशा जनक आवाज में सम्बोधित किया कि चीन भारत के साथ दोहरी नीति का अनुसरण कर कहा है। इसलिए उससे मिलने वाले धोखे के लिए हमे तैयार रहना चाहिए। बालौग सीला, वोमडील में भारतीय सेना की हुई पराजय के लिए आसाम के लोगों ने उन्हें क्षमा नही किया। 25 अक्टूबर 1962 के उसी समाचार पत्र 'प्रवादा' में समाचार प्रकाशित हुआ कि ''चीन हमारा भाई और भारतीय हमारे मित्र है।'' इस समाचार पत्र से निराशा का वातारण निर्मित हुआ।

पंचशील सिद्धान्तों का महत्व

1. जब शीत युद्ध के कारण सारा विश्व तनाव के स्थिति में था और विश्व भय के माध्यम से संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ऐसे समय में भारत द्वारा की गयी यह एक अनोखी पहल थी। इसके माध्यम से भारत ने सार्वभौमिकता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था, जो 'शक्ति संतुलन' पर आधारित अवधारणा के विपरीत था।

2. इन्हीं सिद्धान्तों के कारण बांडुग सम्मेलन के पश्चात् गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की नींव पड़ी। जिसके परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देश शीत पुर कालीन तनावपूर्ण महौल से अलग होकर अपने विकास पर ध्यान के लिए कर सके थे।

3. पंचशील सिद्धान्त वर्तमान में म्यांमार, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, विभिन्न अफ्रीका देशों और विश्व के अनेक देशों द्वारा अपनाए गये हैं। क्योंकि ये सिद्धान्त एक न्याय संगत और शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए संकल्पित है।

4. ये सिद्धान्त अपनी प्रवृत्ति में शाश्वत किस्म के हैं और विश्व का नैतिक मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धान्त विश्व के कमजोर और ताकतवर, दोनों तरह के देशों को एक समान मंच प्रदान करने तथा सभी के साथ समानता के व्यवहार से मेल खाते हैं और विभिन्न देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सहयोगात्मक रवैये को बढावा देने का प्रास करते हैं।

5. इन सम्बन्धों के महत्व को रेखांकित करते हुए पं0 जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश अपने आपसी सम्बन्धों में शामिल कर लेते है तो शायद ही कोई विवाद बचेगा जो कि विश्व के देशों के बीच शेष रह जाए।

पंचशील सिद्धान्तों की सीमाएं

1. भारत पंचशील सिद्धान्तों का प्रतिपादक रहा है इसलिए भारत इनका मजबूती से पालन करता रहा है। जबकि चीन इन सिद्धान्तों को भारत की कमजोरी मानता रहा है। इसलिए चीन ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण कर दिया था और अभी भी सीमा पर तनाव उत्पन्न करता रहता है।

2. इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत आदर्शवाद की पराकाष्ठा को अपनाया गया है। जबकि व्यवहारिकता पर कम ध्यान दिया गया है। यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष रूप से भारत चीन सम्बन्धों में अधिक कारगर साबित नही हो सकी।

3. वर्तमान में भी विश्व के अनेक देश अल्प विकसित या विकसित अवस्था में मौजूद है। ऐसे में पंचशील सिद्धान्त उन देशो की व्यावहारिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं और उन्हें पंचशील सिद्धान्तों के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते तलाश करने होते हैं।

प्रारम्भ में पंचशील को भारतीय विदेशनीति की एक मध्य उपलब्धि माना जाता है। परन्तु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रान्ति और भारतीय कूटनीति की एक महान पराजय थी। आलोचकों का कहना था कि भारत चीन सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यन्त असफल सिद्धान्त साबित हुआ। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्ता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर एक भयंकर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पंचशील की मोह निद्रा में सोया भारत इस प्रकार चौक कर उठ बैठा। उसने पाया कि पंचशील वास्तविकता नही भ्रान्ति थी। भारत की सफलता नही कूट नीतिक भूल थी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रों के बीच शान्ति, सुरक्षा तथा संबंधों के संचालन के पंचशील सिद्धान्त की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि यह राष्ट्रों के बीच अहस्तक्षेप आक्रमण न करना तथा आपस में शान्ति तथा सहयोग बल देता है। क्योकि यह स्वाभाविक रूप से आदर्शात्मक और नैतिकता का सिद्धान्त अधिक है और इसे राष्ट्रों के व्यवहार में पूर्ण रूप से व्यवहारिकता में लागू नही किया जा सकता। अतः हम कह सकते है कि राष्ट्रों के मध्य शान्ति सुरक्षा तथा सम्बन्धों के संचालन में पंचशील की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पंचशील आदर्शात्मक एवं नैतिक सिद्धान्त है इसलिए इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता या यथार्थ में लागू नही किया जा सकता है। फिर भी राष्ट्रों के व्यवहार उनके सम्बन्धों में शान्तिपूर्ण सम्बन्धों में संचालन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण हम कह सकते है कि पंचशील सिद्धान्त निरर्थक नही है। इसकी सार्थकता है और राष्ट्रों के बीच सहयोग, और पारस्परिक सहआस्ति तथा शान्तिपूर्ण सहअस्ति का संचालन उनके नियमन के लिए पंचशील सिद्धान्त महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ

1. *सी0वी0पी0 श्रीवास्तव, भारत और विश्व : बदलते परिदृश्य पब्लिकेशन्स, किताब महल इलाहाबाद, पृ0 153*
2. *डॉ0 पुष्पेश पंत, श्री पाल जैन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 2016–2017, पृ0 378–379*
3. *सी0वी0पी0 श्रीवास्तव, भारत और विश्व : बदलते परिदृश्य पब्लिकेशन्स किताब महल इलाहाबाद, 2002–2004, पृ0 153*
4. *डॉ0 दीनानाथ वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन 2002, नव प्रभात प्रिन्टिग प्रेस शहदरा, नई दिल्ली पृ0 255*
5. *डॉ0 दीनानाथ वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन 2002, नव प्रभात प्रिन्टिग प्रेस शहदरा, नई दिल्ली पृ0 327*
6. *यू0आर0घई, के0के0 घई, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, न्यू एडेडेमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, पृ0 422*
7. *डॉ0 वी0एल0 फाडिया, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2021 पृ0 302–303*
8. *वी0एल0 फाडिया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृ0 304*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 155-166

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक समस्याएं

(अम्बेडकर नगर जनपद के विकास खण्ड–भीटी के अध्ययन पर आधारित)

राजेश कुमार त्रिपाठी *

डॉ. अर्चना पाठक **

शोध सारांश

चीन के वुहान से निकली इस महामारी के चलते जो दिसम्बर 2019 में पहली बार भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर मानव सभ्यता के संज्ञान में आयी जिसने मानव समाज के समक्ष कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक समस्याएं खड़ी की। कोविड के दौरान कोविड प्रोटोकाल, लाकडाउन और कोविड की बढ़ती संक्रामकता ने पूरी दुनिया की समस्त सामाजिक, आर्थिक प्रणालियों को ठप कर दिया। जिसके चलते जहाँ बड़े–बड़े उद्योगों में तालाबंदी हो गयी, शैक्षणिक संस्थानों को भी इससे बचाया नहीं जा सका, इसने उनके वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित किया।[1] जिसके कारण जहाँ एक तरफ अप्रवासी जनसंख्या का पलायन वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखने को मिला। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि कोविड महामारी ने किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक समस्याएं पैदा की। यह शोध भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए कोविड–19 महामारी के सामाजिक, आर्थिक प्रभावों के अध्ययन के लिए महत्पूर्ण साबित होगा। शोधार्थी का अध्ययन अम्बेडकर नगर जनपद के विकास खंड भीटी के अध्ययन पर आधारित है। अम्बेडकर नगर जनपद उत्तर प्रदेश का वर्ष 1995 में निर्मित एक ऐसा जनपद है जो बहुलवादी संस्कृति वाला है, विकास खण्ड भीटी भी एक बहुलवादी संस्कृति वाला विकास खण्ड है जिसकी 100% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है।

मुख्य शब्द : *कोविड-19, महामारी, समग्र, निदर्श, महामंदी, लाकडाउन*

भूमिका

कोविड–19 एक ऐसा वाइरस है, जो अत्यन्त संक्रामक है। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था जिसके चलते मानव समाज, के समक्ष कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक समस्याएं

* *शोध छात्र, राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ.प्र.)*

** *पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, बी.एन.के.बी. पी.जी. कॉलेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर*

उठ खड़ी हुई। सामाजिक समस्या को प्रख्यात समाजशास्त्री हर्टन और लम्ले ने अपनी पुस्तक "सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्राब्लम्स" में परिभाषित करते हुए कहते है कि ''सामाजिक समस्याएं ऐसी स्थितियाँ हैं जो बहुत से लोगों हानिकारक रूप में प्रभावित करती हैं।[2]

प्रस्तुत अनुसंधान में शोधार्थी यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि कोविड 19 महामारी के चलते मानव सभ्यता के समक्ष किस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ उपस्थित हुई और उसका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इन पहलुओं की समाजशास्त्रीय पड़ताल भविष्य के शोधकर्ताओं को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं। पूर्व में इस प्रकार का कोविड–19 महामारी के सामाजिक, आर्थिक प्रभाव पर जो भी अध्ययन हुए है वे विशेषरूप से विश्व के प्रमुख शहरों पर ही आधारित रहे हैं, जबकि शोधार्थी का अध्ययन विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ा है जो ग्रामीण भारत में कोविड के दौरान की सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव व्यापक स्तर है लेकिन शायद ही यह लम्बे समय तक रहे। लाकडाउन के दौरान या कुछ समय पश्चात की समस्या षायद ही दीर्घ कालिक हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनरी एक रिपोर्ट में बहुत पहले ही कहा था कि भारत में मंदी की सम्भावना कम है।[3]

समस्या कथन

प्रस्तुत अनुसंधान की समस्या के अध्ययन हेतु इसे इस प्रकार शीर्षकबद्ध किया गया है– कोविड–19 महामारी से उत्पन्न ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण।

शोध समस्या

अनुसंधान समस्या वस्तुतः यह बताता है कि दो चरों के मध्य सम्बन्ध कैसा है।[4]

कोविड–19 महामारी सम्पूर्ण मानवता के लिए जिस प्रकार से एक चुनौती बनकर उभरा है इसीलिए शोधार्थी ने इससे उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को अपने शोध अध्ययन की विषयवस्तु के रूप में इसे चुना।

शोधार्थी ने कोविड–19 महामारी के संदर्भ में निम्न समस्याओं का अनुभव किया–

1. कोविड–19 महामारी के लाकडाउन ने सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित किया।
2. कोविड–19 महामारी में लाकडाउन ने रोजगार की स्थिति को प्रभावित किया।
3. कोविड महामारी ने शिक्षण संस्थानों को समस्याग्रस्त कर दिया।
4. देश में उद्योग, पर्यटन आदि को मंदी की तरफ ढकेल दिया।
5. कोविड–19 महामारी ने आत्मनिर्भर भारत की संभावना को प्रभावित किया।

साहित्य सर्वेक्षण

महामारी पर तो कई शोध अध्ययन किए गए हैं, परन्तु कोविड–19 महामारी एक समकालीन सामाजिक आर्थिक समस्या है जिस पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं, इसी कमी की पूर्ति हेतु शोधार्थी प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से ग्प्रमीण भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के अध्ययन हेतु एक विनम्र प्रयास करेगा। शोधार्थी ने अपने अध्ययन कार्य को व्यापकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का सहारा लेने का प्रयास किया है–

भारतीय सामाजिक समस्याएं : इस पुस्तक के लेखक प्रो0 ए0आर0एन0 श्रीवास्तव है जो वर्ष 2015 में शेखर पब्लिकेशन प्रयागराज के द्वारा प्रकाशित की गयी। यह पुस्तक भारतीय सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उनकी उत्पत्ति से जुड़े प्रमुख सिद्धांतों और सामाजिक समस्याओं के भिन्न स्वरूपों और भारत सरकार के द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए किये गये प्रयासों पर विस्त्रृत प्रकाश डालती है। इस प्रकार यह पुस्तक कोविड–19 महामारी को विशेष रूप से एक सामाजिक समस्या के रूप में समझने में मदद करती है, यद्यपि इस पुस्तक की सीमा यह है कि कोविड जैसी महामारी को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करती है।

कोरोना डायरी इंडिया फाइट्स अगेंस कोविड–19 : इस पुस्तक के लेखक डॉ0 अभिषेक हैं इस पुस्तक को इनफ्लूएंसर बुक ऑफ वर्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है।

इस पुस्तक में कोविड के दौरान जनजागरूकता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभावों का विस्त्रृत विश्लेषण किया गया है।

लॉकडाउन : इस पुस्तक के लेखक धन्य कुमार विराजदार हैं, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है। इस पुस्तक में कई कहानियों के माध्यम से मध्यमवर्ग में कोरोना से जुड़े मिथकों, विस्थापन एवं रोजगार की समस्याओं की विस्तृत चर्चा की गयी हैं।

":द करोना वायरस' : इस पुस्तक के लेखक डॉ0 स्वपनिल पारिख, माहिरा देषाई एवम् अन्य ने कोविड–19 महामारी के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला है, इस पुस्तक में यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि इस महामारी के दौरान हमें क्या सीखने की जरूरत है।

इंडियन इकोनामी ग्रेटेस्ट क्राइसेस : इस पुस्तक के लेखक प्रख्यात अर्थशास्त्री अरूण कुमार हैं। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड संकट और उसके बाद के प्रभावों की विस्तृत चर्चा की है। यह पुस्तक कोविड–19 के दौरान भारतीय त्रासदी के मानवीय चेहरे को उकेरने का प्रयास करती है, जो शोधार्थी को कोविड–19 के आर्थिक प्रभावों को समझने में मदद करती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. कोविड–19 महामारी के दौरान लाकडाउन के प्रभाव का पता लगाना।
2. कोविड–19 महामारी ने शिक्षण संस्थानों को किस प्रकार प्रभावित किया इसका पता लगाना।
3. कोविड–19 महामारी ने सामाजिक संस्थाओं को प्रकार प्रभावित किया उसका पता लगाना।
4. कोविड–19 महामारी ने आत्मनिर्भर भारत की सम्भावना को कितना प्रभावित किया?

प्राक्कल्पना

बोगार्डस नामक प्रख्यात समाजशास्त्री ने प्राक्कल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'प्राक्कल्पना एक ऐसी प्रस्तावना है, जो किसी समस्या का एक ऐसा समाधान है जिसका परीक्षण किया जाना बाकी है।[5]

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित प्राक्ल्पना प्रस्तावित की गयी है–

1. कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन ने सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।
2. कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक विकास के अवसर प्रभावित हुए हैं।

शोध प्रविधि

शोध प्रविधि वह साधन है जिसके द्वारा शोध की दशा एवं दिशा प्रभावित होती है। वस्तुतः सामाजिक शोध को सामान्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

1. मौलिक शोध
2. सैद्धान्तिक शोध
3. व्यावहारिक शोध

प्रस्तुत शोध एक व्यवहारिक शोध है, जिसमें शोधार्थी ग्रामीण भारत में कोविड–19 महामारी से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का पता लगाने का प्रयास करेगा। प्रस्तुत शोध की प्ररचना (डिजाइन) अन्वेषणात्मक एवं निदानात्मक प्रकृति की होगी।

अध्ययन क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा अध्ययन की सुविधा एवं शोधार्थी की सामाजिक, आर्थिक सीमाओं में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में अम्बेडकर नगर जनपद (उ0प्र0) के विकास खण्ड भीटी को शोध स्थल के रूप में चुना गया है। यद्यपि कोविड–19 महामारी के दौरान यह विकास खण्ड ग्रीन जोन वाला क्षेत्र था।

अम्बेडकर नगर जनपद परिचय : इस जनपद का अक्षांशीय विस्तार $26^{0}9'$ उ0 से $26^{0}40'$ उ0 है जबकि देशांतरीय विस्तार $82^{0}12'$ पू0 से $83^{0}5'$ पू0 है। उक्त जनपद को शोध स्थल के रूप में चुने जाने के निम्न कारण हैं–

1. उक्त जनपद शोधार्थी का गृह जनपद है जहाँ से अनुसंधान के लिए सूचना के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
2. यह एक ग्रामीण जनसंख्या की बहुलवादी संस्कृति वाला जिला है।
3. उक्त जनपद में समाज के पिछड़े एवं दलित वर्ग की जनसंख्या में ज्यादा भागीदारिता है।

भीटी विकास खण्ड का परिचय

यह विकास खण्ड अम्बेडकर नगर जनपद के अन्य विकास खण्डों के सापेक्ष अधिक विकसित है इस विकासखण्ड का निर्माण 31 अक्टूबर 2007 में हुआ। यह अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय से 20 किमी. की दूरी पर स्थित है जिसमें कुल 257 गाँव है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 2,05,019 (दो लाख पांच हजार उन्नीस) है।

समग्र निदर्श एवं निदर्शन

समग्र के अन्तर्गत अम्बेडकर नगर जनपद के विकास खण्ड भीटी की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के जनगणना के आधार पर 205019 है। प्रस्तुत शोध में निदर्श के रूप में 100 उत्तर दाताओं का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया है जो कि समग्र का लगभग 0.048% है।

प्रदत्तों का विश्लेषण

साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण :

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न : 1

कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन ने निम्न वर्गो के बीच सामाजिक सम्पर्क को क्या कमजोर किया–हाँ/नहीं

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की %
1.	हाँ	65	65%
2.	नहीं	35	35%

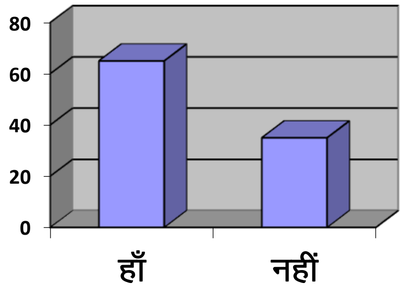

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि, 65 उत्तरदाताओं ने माना है कि, लाकडाउन से भिन्न वर्गो में सामाजिक सम्पर्क कमजोर हुआ जो कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 65% है जबकि वहीं 35 उत्तरदाताओं की संख्या का 65% है जबकि वहीं 35 उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि लाकडाउन से सामाजिक सम्पर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न–02

कोविड–19 महामारी के लाकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा क्या प्रभावित हुई– हाँ/नहीं

साक्षात्कार अनुसूची के उपरोक्त प्रश्न पर अम्बेडकर नगर जनपद (उ0प्र0) के भीटी विकासखण्ड के 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की–

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की %
1.	हाँ	90	90%
2.	नहीं	10	10%

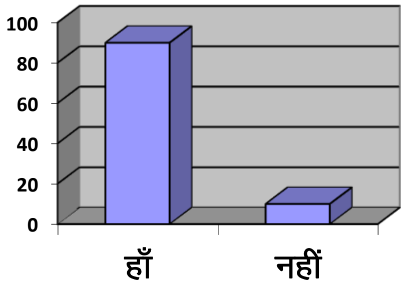

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 90% उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि कोविड–19 महामारी के लाकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई यद्यपि 10% उत्तरदाताओं ने माना कि लाकडाउन के बावजूद उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हुई।

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न–03

कोविड–19 महामारी के दौरान क्या पारिवारिक संघर्ष बढ़े– हाँ/नहीं

साक्षात्कार अनुसूची के उपरोक्त प्रश्न पर अम्बेडकर नगर जनपद (उ0प्र0) के भीटी विकासखण्ड के 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की–

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की %
1.	हाँ	63	63%
2.	नहीं	37	37%

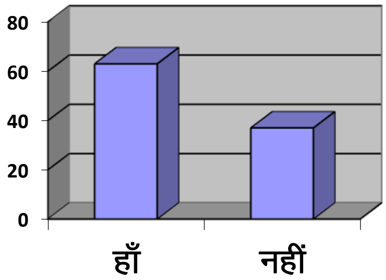

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में से 63 उत्तरदाता जो कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या 63% है ने माना कि कोविड–19 महामारी के दौरान पारिवारिक संघर्ष बढ़े हैं, जबकि वहीं 37% उत्तरदाताओं ने माना कि कोविड–19 महामारी के दौरान पारिवारिक संघर्ष नहीं बढ़ा अर्थात् परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न–04

लाकडाउन से क्या आपके रोजगार के अवसर प्रभावित हुए– हाँ/नहीं

उपरोक्त साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्न पर अम्बेडकर नगर जनपद के भीटी विकासखण्ड के 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप में प्रतिक्रिया दी–

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की %
1.	हाँ	55	55%
2.	नहीं	45	45%

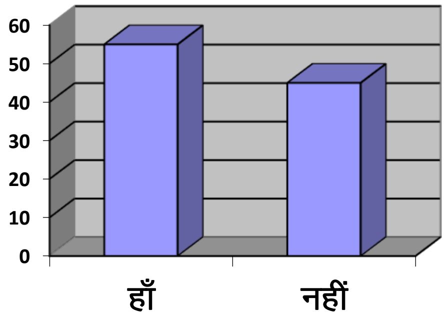

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में से 55 उत्तरदाता ने माना कि लाकडाउन से उनके रोजगार प्रभावित हुए जो कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या 55% है जबकि वहीं दूसरी तरफ 45 उत्तरदाता जो कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 45% उहै ने यह स्वीकार किया कि लॉकडाउन के बावजूद उनके रोजगार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न–05

कोविड–19 महामारी से भारत के गाँवों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा

1. कोई प्रभाव नहीं
2. व्यापक प्रभाव
3. आंशिक प्रभाव
4. मालूम नहीं

उपरोक्त साक्षात्कार अनुसूची पर अम्बेडकर नगर जनपद (उ0प्र0) के भीटी विकासखण्ड के 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त किया–

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की %
1.	कोई प्रभाव नहीं	10	10%
2.	व्यापक प्रभाव	30	30%
3.	आंशिक प्रभाव	50	50%
4.	मालूम नहीं	10	10%

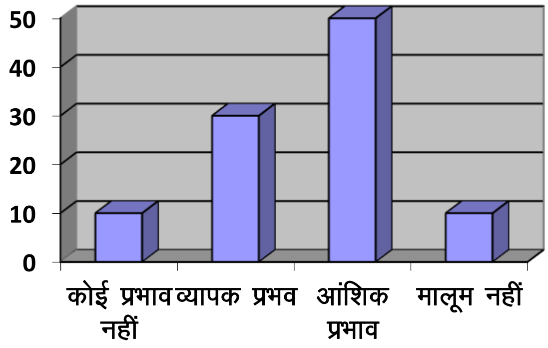

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 10% लोगों ने यह माना कि कोविड–19 महामारी का भारत के गाँवों की आर्थिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जबकि वहीं 30% लोगों ने व्यापक प्रभव को स्वीकार किया। जबकि 50% लोगों ने माना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से ही प्रभावित हुई, 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं।

निष्कर्ष

उपरोक्त प्रदत्तों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि–

1. अधिकांश लोगों ने यह माना कि कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन ने भिन्न वर्गो के बीच सामाजिक सम्पर्क को बाधित किया यद्यपि समाज का एक तबका ऐसा भी था जो यह नहीं मानता कि लॉकडाउन के कारण सामाजिक बंधन कमजोर हुए वस्तुतः यह वह तबका है, जो ग्रामीण भारत की अपनी एक परम्परागत दुनिया में ही रहता है।
2. समाज के अधिकांश लोग यह मानते है कि कोविड–19 के लाकडाउन ने बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया जिसका निहितार्थ यह है कि लाकडाउन ने शिक्षा के अवसर को समाप्त कर दिया यद्यपि 10% उत्तरदाता जो यह मानते है कि इसने कोई प्रभाव नहीं डाला। जिसका निहितार्थ यह है कि इसमें समाज का वह तपका शामिल है जो या

तो अशिक्षित है या यह वह तबका है जो डिजिटल इंडिया से अवगत है जो समाज के सम्पन्न तबके से सम्बन्धित है।

3. कोविड–19 महामारी ने हमारी पारम्परिक सामाजिक संरचनाओं को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया जहाँ सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो गयी यद्यपि समाज की एक चौथाई से अधिक आबादी अभी भी अपने पुराने सामाजिक ढांचे को एकता के सूत्र में बांधने को तत्पर दिखाई पड़ती है।

4. समाज के अधिकांश लोग यह मानते है कि लाकडाउन के कारण रोजगार के अवसर प्रभवित हुए है लेकिन आबादी का एक ऐसा समूह भी है जो 1/4 से अधिक, जो लाकडाउन को रोजगार के अवसर में बाधक नहीं मानता, यह वस्तुतः ग्रामीण भारत की वह जनसंख्या है जो अपने पारम्परिक कृषि के पेशे से जुड़ी है जिसका समाजशास्त्रीय निहितार्थ यह है कि महामारी के दौरान भी ग्रामीण समाज अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से निरन्तर जुड़ा रहा। जिसने भारत की आर्थिक मंदी के बड़े संकट से उबारने में मदद की।

5. अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि कोविड–19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को आंशिक रूप से प्रभावित किया जिसका अर्थ यह है कि अधिकांश उत्तरदाता जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे जिनकी जीविका का आधार मुख्यतया कृषि थी उन पर उक्त महामारी का आंशिक प्रभाव ही पड़ा। सारणी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 तथा निष्कर्ष संख्या 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि शोधार्थी द्वारा

प्राक्कल्पना परीक्षण

सारणी संख्या 1,2,3 एवम उससे प्राप्त निष्कर्ष संख्या 1,2,3 के आधर पर प्रथम प्राक्कल्पना कोविड–19 महामारी के दौरान लाकडाउन ने सामाजिक, आर्थिक, गतिविधियों को प्रभावित किया सत्य साबित हुई।

सारणी संख्या 5 एवं उससे प्राप्त निष्कर्ष संख्या 5 से स्पष्ट है कि शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय प्राक्कल्पना–''कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक विकास के अवसर प्रभावित हुए'' सत्य साबित हुई।

प्रस्तुत शोध की सीमाओं का विस्तार करके पूरे भारत एवं वैश्विक स्तर पर कोविड–19 महामारी के दौरान एवं पश्चात उसके विविध आयामों का अध्ययन भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

सुझाव

1. इस प्रकार की महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए हमें अपने देश के अन्दर कुछ स्थाई संसाधनों का विकास करना चाहिए।
2. इसके साथ ही हमें ब्रेनड्रेन जैसी चीजों को रोकने के लिए कुछ स्थाई उपाय करने होंगे विशेष रूप से आई.टी. के क्षेत्र में
3. हमें देश के अन्दर प्राकृतिक स्रोतों का विकास करने के साथ–साथ कृषि जैसे क्षेत्र को विशेष महत्व देने की जरूरत है जो कि आपदा/मंदी की स्थितियों में अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान कर सकती है।

संदर्भ

1. *Masroor Sheerin Dr. Rathore Sanjeev, Oni Vedi R.K Dr. impact of Covid-19 on present and future scenario of Education : Survey of INdia and World Wizard Rubil*
2. *श्रीवास्तव ए.आर.एन. भारतीय सामाजिक समस्याएं, शेखर प्रकाशन प्रयागराज, संस्करण 2015।*
3. *Rawat Kumar Dr. Ramesh Research paper - Covid-19 and its impact on Indian Economy in the Book communication crises & Role of ... During Covid-19 Page No. 10, DPS Publication Honse New Delhi.*
4. *हाट एवं गुडे 01 Cit 56*
5. *डॉ. शर्मा, डॉ. डी., प्रो. गुप्ता एम एल : समाजशास्र पेज नं0 999 साहित्य भवन प्रकाशन कोड–2611*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 167-172

"असीरगढ़ किला" एक ऐतिहासिक विरासत

पंकज शर्मा *

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

असीरगढ़ किला पन्द्रहवीं ईस्वी आशा अहीर द्वारा मध्य प्रदेश के बुहानपुर शहर में बनवाया गया था। जो कि सतपुड़ा रेंज से 20–21 किमी की दूरी पर है। यह किला समुद्र तल से 250 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। किले की अवस्थिति से मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियों नर्मदा एवं ताप्ती पर नियन्त्रण का अवसर मिला है इसीलिए उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हो जाता है। इसी कारण से इसे 'कलोद–ए–दक्कन' (दक्खन की चाभी) तथा 'बाब–ए–दक्कन' (दक्षिणी द्वार) के नाम से भी जाना जाता है तथा भारत का प्रवेश द्वार खुला जाता है और विजेता को सम्पूर्ण खानदेश पर अधिकार हो जाता था। मुगलों के समय में असीरगढ से ही दक्कन का प्रारम्भ माना जाता था जो कि दिल्ली तक था, को हिन्दुस्तान कहा जाता था।

यह किला अपने वैभवशाली इतिहास के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है इसकी गणना तत्कालीन अपराजयता स्वयं सिद्ध होती है क्योंकि इसकी गणना उन चुने हुए कुछ विशेष किलों में से होती है जो कि अभेद, अपराजय, अजय माने गये हैं। इस किले की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार इसका निर्माण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वथामा की अमृत्य की गाथा से सम्बन्धित करते हुए उसकी पूजा स्थली बताते हैं। बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर के समीप एक सुरंग है जो कि असीरगढ़ तक लम्बी है।[1] ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वथाना ताप्ती में स्नान कर गुप्तेश्वर महादेव की पूजा कर अपने स्थान लौट जाते हैं।[2]

किले का इतिहास

इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसका निर्माण यादव वंश के क्षत्रिय राजा आशा अहीर द्वारा 15वीं ईस्वी में कराया गया। आशा अहीर के

* *शोधार्थी, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या*

पास हजारों की संख्या में गायें थीं जिनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही स्थान की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि आशा अहीर 15वीं शताब्दी में यहाँ आया तथा ईंट, मिट्टी, चूना तथा पत्थरों की ऊँची दीवार का निर्माण करवाया तथा किले में प्रवेश के लिए भारी–भरकम दरवाजे का निर्माण करवाया। इस प्रकार क्षत्रिय राजा आशा अहीर के नाम पर इस किले का नाम असीरगढ़ पडा। असीरगढ़ किला मराठा राजवंशों के अधिकार में भी रहा जिसका उल्लेख यादव जाति के कुछ इतिहासकारों द्वारा भी किया गया। मध्यकाल में इस किले की प्रसिद्धि के कारण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के सिपाही मलिक खाँ के पुत्र नसीर खाँ फारूकी को असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि ने प्रभावित किया तथा फारूकी द्वारा किले को छल से जीतने का षडयन्त्र किया गया जिसके उपरान्त वह बहुरानपुर में आशा अहीर से भेंट की तथा स्वयं व परिवार की जान की रक्षा उसके भाई व बलकाना के जमींदारों से करने की गुहार की। उदार हृदय शासक राजा आशा अहीर द्वारा यह गुहार स्वीकार की गयी तथा किले में रहने की इजाजत दी जिसमें प्रथम व द्वितीय डोलियों में महिलाएं व बच्चे तथा तीसरी डोली में सशस्त्र सैनिकों को भेजा। जिन्होंने किले में प्रवेश करते ही फारूकी के इशारे पर आशा अहीर व उसके पुत्रों पर आकमण कर मौत के घाट उतार दिया गया तथा देखते ही देखते नासिर खाँ फारूकी का इस किले पर अधिकार हो गया। आदिलशाह फारूकी के देहान्त के उपरान्त यह बहादुर शाह फारूकी के अधिकार में आ गया जो कि स्वयं व किले की रक्षा करने में अक्षम था इस इसकी प्रसिद्धि सम्राट अकबर ने भी सुनी तथा इसकी विजय हेतु व्याकुल हो गया तथा दक्षिण की ओर पलायन किया, बहादुर शाह फारूकी इसकी सूचना पाकर किले के दरवाजों को बन्द कर दिया तथा अकबर द्वारा 10 वर्षों तक इस किले पर गोले–बारूदी की वर्षा की गयी परन्तु किले का दरवाजा न खोल सका तथा बहादुर शाह को बातचीत व सन्धि के लिए आमंत्रित किया, परन्तु पीछे से बहादुर शाह फारूकी पर हमला कर दिया गया। बहादुर शाह ने कहा यह विश्वास घात है जिस पर अकबर ने उत्तर दिया और कहा ‘‘राजनीति में सब कुछ जायज है‘‘ तदोपरान्त अकबर द्वारा उसके सैनिकों, मत्रियों व अन्य को सोने चाँदी बांटे गये जिसके लिए कहा गया अकबर द्वारा असीरगढ़ के किले का दरवाजा सोने की चामी से 17 जनवरी 1601 ईस्वी को खोला गया। अकबर द्वारा फारूकी के पुत्रों को अन्य

किलों में भेजवा दिया गया। जिस प्रकार फारूकी ने आशा अहीर से घोखे से किला प्राप्त किया उसी तरह अकबर द्वारा फारूकी से किला प्राप्त किया गया।[3] फरिश्ता लिखता है ''अकबर जैसे सम्राट द्वारा असीरगढ़ किले को प्राप्त करने के लिए 'सोने की चाभी' का उपयोग करना पड़ा।[4]

अकबर के पश्चात् यह किला 1760 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक मराठों के अधिकार में रहा। मराठों के पतन के बाद यह किला ब्रिटिश सत्ता के अधीन आया। सन् 1904 ईस्वी से यहाँ अंग्रेजी सेना निवास करती थी। असीरगढ़ किला तीन भागों में विभाजित है[5] –

- ऊपरी भाग असीरगढ़
- मध्य भाग कमरगढ़
- निचला भाग मलयगढ़

वास्तुकला

इस किले का निर्माण भूमि से 255–265 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित है। इसके किले का निर्माण बुरहानपुर जिले (जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सूखे क्षेत्रों में से एक है), में बना है यह किला पूरे एक पहाड़/पर्वत को अन्दर से खोखला करके बनाया गया है। किलो को 5 से 6 किमी की दूरी से देखने पर यह यथा एक पर्वत ही नजर आता है जिस पर मस्जिद की गुम्मदें भी नजर आती हैं। इस किले में प्रवेश हेतु 2 रास्ते बनाये गये हैं एक रास्ता पूर्व में जो कि सरल सीढ़ीदार है (200–220 सीढ़ियाँ लगभग है) दूसरा रास्ता उत्तर में है जो कि अत्यधिक कठिन व कष्टप्रद है। यह वाहन हेतु है, यह मार्ग एक बड़ी खाई के पास जाकर समाप्त हो जाता है जहाँ एक बडा फाटक नजर जाता है जो मदार दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है जिस पर अकबर, दलियाल, औरंगजेब और शाहजहाँ के फारसी में चार शिलालेख स्थापित है इन किलों पर किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के नाम के साथ वर्णन अंकित है। शाहजहाँ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके समय में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण कराया गया। इस चट्टान के पास दरवाजा, किले के सूबेदार राजगोपाल दास ने कराया था। किले की दीवारों पर थोड़ी–थोड़ी दूरी पर तोपें स्थापित की गयी हैं। किले के ऊपर भाग में प्रवेश करते ही सामने मैदान है जिस पर घास

उगी हुई दिखाई देती है जहाँ कभी खेती हुआ करती होगी। नीचे से किले की ऊँचाई देखते बनती है तथा इस किले को देखने की जिज्ञासा एक स्फूर्ति लाती है। जिससे किले की ऊँचाई चढ़ना उत्साहवर्धक लगता है, इसका भूल भुलइया भरा रास्ता देखकर व्यक्ति देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है तथा आगे बढ़ने पर इसका पहला द्वार नजर आता है तथा इस दरवाजे के पूर्व में लम्बी–लम्बी घासों में छुपे हुए गंगा–यमुना नाम के दो मीठे पानी के स्रोत दिखाई देते है जिनमें पानी के कहाँ से आने के स्रोत दिखाई नहीं देते हैं तथा पानी में बनी सीढ़ियाँ साफ नजर आती हैं, यह सीढ़ियों किले के अन्दर जाती हुयी दिखती है परन्तु कहाँ, यह ज्ञात नहीं है। जो कि भय का एहसास कराता है कि मार्ग किले किन्हीं गुप्त कमरों, दरवाजों व तहखानों तक अवश्य जाता है। सरकार द्वारा किले के मुख्य मार्ग को बन्द कर दिया गया है जो दरवाजा किला देखने हेतु खोला गया वह किले की छत पर खुलता है तथा छत से ही किलो को देखा जा सकता है। किले की एक ओर एक विशेष कमरा है जिसमें से एक खिड़की के द्वारा बाहर देखा जा सकता है जहाँ एक फांसी देने के लिए एक विशेष स्थान दिखाई देता है।

किले की वास्तुकला के आश्चर्य

यह किला भारतीय, पर्शियन, तुर्की तथा इस्लामिक कला पर बना है। जिसमें से एक मस्जिद आशा अहीर मस्जिद, मनुष्य निर्मित तीन तालाब तथा एक मन्दिर बना है।

मंदिर

इस मन्दिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर है। मन्दिर के बाहर नंदी विराजमान हैं जो कि तीसरे तालाब के पास बना है, जिसकी सीढ़ियाँ मन्दिर से तालाब में जाती है तथा तालाब से विभिन्न दरवाजे निकलते हैं (जो कहाँ जाते हैं यह ज्ञात नहीं है, यह रहस्य बना हुआ है) जो अपने आप में एक रोमाचित व डरावना दृश्य पैदा करते हैं, जो कि गुप्त मार्ग का एहसास कराते हैं। कहा जाता है इस मन्दिर पर दोणाचार्य के पत्र अश्वथामा किले / मन्दिर के दरवाजे खेलने से पहले पूजा करके चले जाते हैं, यह अवश्य ही किसी गोपनीय मार्ग की चर्चा करता है (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संदेश अंकित है)। किले की छत पर चलते समय दो तालाब गंगा–यमुना की तरफ

देखने पर कुछ खिड़कियों दिखाई पड़ती है जिससे तालाब के पास कई कमरे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। परन्तु अन्दर जाने के मार्ग का पता नहीं। छतों पर अवश्य ही रोशनी हेतु दो दो के रोशनदान बनाए गए हैं जिनमें ऊपर से प्रकाश डालने पर प्रकाश कहीं खो जाने सा प्रतीत होता है अथात् कमरों के तल का पता नहीं चलता, जो कि एक रोमांचित रहस्य का एहसास कराते हैं।

मस्जिद

आगे बढ़ने पर असीरगढ़ किले की मस्जिद की दो मीनारें साफ दिखाई देती हैं। यह असीरगढ़ किले की जामा मस्जिद है, यह मस्जिद पूर्णतया काले पत्थर से निर्मित हैं। यह मस्जिद फारूकी शासनकाल की निर्माण कला की उत्कृष्ट नमूना तथा यादगार हैं। यह मस्जिद बुरानपुर की जामा मस्जिद के निर्माण से पाँच वर्ष पूर्व बनाई गयी थी इसकी लम्बाई 935 फीट तथा चौड़ाई 40 फीट है इसकी छत 50 खम्भों पर टिकी है तथा इसकी तेरह मेहराबे तथा 4 दालानें है। इसके महराब दरवाजे भी पत्थर के हैं, इसमें 1200 व्यक्ति एक साथ नामज पढ़ सकते हैं, तथा मस्जिद के सामने विशाल सेहन भी है, जिसके तीन ओर छत विहीन पत्थर के बरामदे बनाए गए हैं।[6] मस्जिद के मध्य भाग की मेहराब के ऊपर अरबी भाषा में एक शिलालेख है जिसमें फारूकी वंश के सुल्तानों के वंश का एवं मस्जिद निर्माण वर्ष 992 हिजरी अंकित है।[7] सामने स्तम्भ पर अकबर ने फारसी में एक लेख अंकित कराया है जिस पर असीरगढ़ विजय वर्णन अंकित है। इस शिलालेख को मो० मासूम ने तराशा था। मस्जिद के मध्य भाग में एक पत्थर का चबूतरा है, इसके ऊपर लोहे एक पेंच लगा हुआ है बताया जाता है कि लोहे के दरवाजे के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो कि बुरहानपुर में निकलता है, अंग्रेजों द्वारा इसको खोजा गया परन्तु असफल हुए। यह भी कहा जाता है कि यह इतना चीड़ा रास्ता है कि घुड़सवार आराम से निकल सकते थे। मस्जिद की दालान से लगी हुई 80 फीट ऊँची दो मीनारें है जिनमें ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं। मस्जिद के प्रवेश द्वार की बायीं तरफ एक कुंआ है जिसका पानी मीठा, ठण्डा व स्वच्छ है, उसमें एक लोहे की जंजीर लगी है जिससे नीचे उतरने का आभास होता है।

इसी प्रकार इसकी कई मान्यता बताते हैं, कि इस किले के कुछ गुप्त मार्ग भी हैं जो 90–100 किमी दूर ओंकारेश्वर धाम पर निकलते हैं।[8] जिससे

किले में रसद की आपूर्ति की जाती थी। मेरे द्वारा जितने किलों व इमारतों को देखा गया (ताजमहल, लालकिला, पुराना किला, कुतुबमीनार, जहाज महल व अन्य ऐतिहासिक निर्माण इत्यादि) से सर्वाधिक रोमांचित करने वाला है जो कि अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाये तथा इस किले के मुख्य दरवाजा पर्यटको व शोधार्थियों के लिए खोला जाय, जिससे भारत मध्य प्रदेश की आय तथा पर्यटकों का मध्य प्रदेश के लिए रूझान बढ़ेगा तथा शोधार्थियों के लिए इतिहासिक इस किले की वास्तुकला को और अधिक जानने का अवसर प्राप्त होगा।

इस किले को इसके भाग्य पर छोड़ दिया गया है जो कि वास्तुकला व ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सन्दर्भ

1. *'इस किले की खुदाई से निकली जेल यहाँ ब्रह्माशास्त्रधारी' करता है, पहली पूजा, Bhaskar.com मूल से, 19 दिसम्बर 2016 को, पुरालेखित 12 नवम्बर 2023*
2. *www.wikipedia.org*
3. *District Burhanpur, Govt. of M.P. The Gate way to Southern India|India 2023-Retrievent, 20 dec 2023.*
4. *Mehata, Behram H.(1984): Gonds of the Central India Highlands: A Study of Dynamics of Goands Socirty. Vol.2 New Delhi: Concept Publishing Company. p. 259.*
5. *Shyam, Radhey (1981), The Kingdom of Khandesh, Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, Delhi.*
6. *Dhulia district gazetteer- history, medieval period*
7. *Umar ibn al-Khattab, also spelled Omar, c.582/583-644) the second Rashidun caliph*
8. *Dasa pratinidhi kahaniyam: Asoka Agravala. Kitaba Ghara. 1993. ISBN 978-81-7016-231-5*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 173-175

सनातन संस्कृति का मूल आधार : यज्ञ

*ऋचा मिश्रा**

यज्ञ शब्द 'यज्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है– देवपूजा, संगतिकरण एवं दान। ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना करना, उनकी समीपता प्राप्त करना तथा देवताओं को अभीष्ट पदार्थ का अर्पण करना यह यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया परक अर्थ है। यज्ञ के माध्यम से ही परमात्मा ने सम्पूर्ण चराचर का सृजन किया है। यही यज्ञ देवों का प्रथम धर्म रूप स्वीकृत प्राप्त रहा है।[1] वर्तमान में भी समग्र सृष्टि का क्रियाकलाप 'यज्ञ' रूपी धुरी के चारों ओर चल रहा है। श्रेष्ठ ऋषियों ने यज्ञ को भुवन अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टि का आधार बिन्दु कहा है। 'अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः'[2] यही संसार की उत्पत्ति स्थल रहा है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म के रूप में आर्ष परम्परा में समादृत रहा है।[3]

यज्ञ विद्या का परिज्ञान भारतीय ऋषियों द्वारा वसुधा को दी गई ऐसी महत्त्वपूर्ण देन है, जिसे सर्वाधिक फलदायी व समग्र पर्यावरण को ठीक बनाए रखने का आधार कहा जा सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं योगिराज कृष्ण ने कहा है–

'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक्।।[4]

समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं तथा देवताओं को रचकर उनसे कहा कि ''तुम लोग इस यज्ञ कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। फलतः ऐहिक आमुष्मिक सकल फलों की प्राप्ति यज्ञानुष्ठानों की सफलता पर निर्भर है।

यज्ञ परमार्थ प्रयोजन के लिए किया गया एक उच्चस्तरीय प्ररूषार्थ है। अन्तर्जगत् में दित्यता का समोवश कर प्राण की अपान में और अपान की प्राण

---

* *शोध छात्रा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शान्तिकुंज, हरिद्वार (उत्तराखंड)*

में आहुति देकर जीवन रूपी समिधा को समाज रूपी यज्ञ में होम करना ही वास्तविक यज्ञ है। भावनाओं में सत्यवृत्ति के समावेशन की वैज्ञानिक एवं वास्तविक प्रक्रिया का नाम है यज्ञ।

यज्ञ की महत्ता अनिवर्चनीय है। यज्ञ के माध्यम से ही सृष्टि संचालन निर्वाधरूप से चल रहा है। अग्निविद्या और संवत्सर–विद्या उसी के दो रूप अग्निविद्या या शक्तितत्त्व और संवत्सर–विद्या के नाम से ज्ञेय हैं। वैदिक तत्त्व ज्ञान की दृष्टि से अग्नि–विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्मा, महाकाल, शक्ति–तत्त्व ये सब अग्नि के ही रूप हैं। ज्ञान और कर्म की जितनी शक्ति हैं, उन सब का प्रतीक यज्ञ है। 'अग्निः वै सर्वा देवता':[5] अर्थात् अग्नि ही सभी देव हैं। इस कथन से स्वेष्ट है कि जितने देव हैं। सब अग्नि के रूप हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अग्नि–तत्त्व है क्या? चूल्हे में जलने वाली और काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि कोई देवता है? वेद में किस अग्नि का वर्णन है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल और तूल दोनों रूपों में जितनी शक्ति और उसके भेद हैं वे सभी अग्नि के ही रूप हैं। वैदिक यज्ञविधान में आहवनीयाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि और दक्षिणानि ये पाँच अग्नियाँ हैं जिनमें कृत यज्ञ से मात्र समस्त कामनाओं की पूर्ति ही नहीं, अपितु जीवन जीने की विज्ञानसम्मत सर्वोत्कृष्ट पद्धति भी प्रातव्य है।यज्ञ का कर्मकाण्ड पक्ष ही लें; तो हम देखते हैं कि देवपूजन के क्रम में ऋग्वेद के मंत्रों से स्तुतियाँ करने, यजुर्वेद के मंत्रों से यजनकर्म प्रयोग तथा सामनगानों द्वारा यज्ञीय उल्लास को सम्बर्धित और प्रसारित करने तथा अथर्ववेद से वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के स्थूल–सूक्ष्म परिष्कार की वैज्ञानिक प्रक्रिया यज्ञ के माध्यम से ही सम्पन्न की जाती है। यानुष्ठानों की सफलता से पुत्र, यश, धन, सम्पत्ति, राज्य, अक्षय्यसुकृत, पापविमोचन, स्वर्ग, मोक्ष तथा सकल इच्छित पदार्थ प्राप्तव्य रहे हैं।[6]

पुरूषसूक्त के अनुसार उस विराट पुरुष ने यज्ञ द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया तथा उसी से उसके पोषण का चक्र चल रहा है। उसी विराट यज्ञीय प्रक्रिया के अन्तर्गत सृष्टि के संचालन एवं पोषण के लिये उत्कृष्ट ज्ञान–वेद का प्रकटीकरण हुआ। उस विराट पुरुष (यज्ञ–देव) से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ। उसी से समस्त जीव प्रकट हुए। देह धारियों के रूप में वही

श्रेष्ठ पुरूष स्थित है। उसने पहले पृथ्वी तत्पश्चात् प्राणियों को उत्पन्न किया।

"तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतःऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तमादजायत।।"[7]

उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग् एवं साम नामक छन्दों की और यजु तथा अथर्व की उत्पत्ति हुई। यज्ञीय अनुशासन में जीवन को गतिशील बनाने के उपक्रम हैं। वेदमंत्र परा–चेतन और प्रकृति के गूढ़ अनुशासनों और रहस्यों का बोध कराते हैं। वेद में प्रकृति के गूढ़ तत्त्वों को प्रकट करते हुए कहा गया है कि, ये प्रवाह एवं पदार्थ यज्ञार्थ हैं। इन्हें यज्ञीय अनुशासनों में प्रयुक्त करने से सत्पुरुष देवों के समान ही स्वर्गीय परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकते हैं।[8]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि या ही सम्पूर्ण वैदिक धर्म एवं संस्कृति का मूल आधार है। सकल कांक्षाओं का पूरयिता है। धर्मस्कन्ध के रूप में यज्ञानुष्ठानों की महिमा सदैव विद्यमान रही है।

सन्दर्भ

1 *ऋग्वेद संहिता 10.90.16*

'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।।

2 *अथर्ववेद संहिता 9.15.14, ऋग्वेद संहिता 1.164.35*

3 *काठक संहिता 30.10, शतपथ ब्राह्मण 15.4.5, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म।*

4 *श्रीमद्भगवद्गीता 3.10 तथा श्रीमद्भागवत पुराण–2.4..20*

5 *ऐतरेय ब्राह्मण 1.1 तथा 3.4*

6 *ऋग्वेद संहिता 10.90.5*

7 *तदेव 10.90.9*

8 *विशेष अध्ययन हेतु द्रष्टव्य है –*

(क) अग्नि चयन – प्रो० विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1989

(ख) वाराह श्रौत सूत्र का परिशीलन – डॉ० राम हित त्रिपाठी, मंगलम प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005

(ग) ऋत्विजों में ब्रह्मा – डॉ० राम हित त्रिपाठी, मंगलम प्रकाशन, इलाहाबाद, 2003

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 176-181

मृदुला गर्ग की कहानियों में स्त्री मुक्ति

*श्वेता यादव**

शोध सारांश

स्त्री–मुक्ति कहने से तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्री को स्त्री–पुरुष संबंधों से आजादी चाहि ए। स्त्री उन रूढ़िवादी परम्पराओं से मुक्त होना चाहती है जिसका बोझ वह दीर्घकाल से ढोती आई हैं। इसमें वह अपने आत्मसम्मान की बातें करती है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छंद माहौल का निर्माण चाहती है। हिन्दी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता जी स्त्री– मुक्ति पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि ''स्त्री–मुक्ति की मुहिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है स्त्रियों में मुक्ति की इच्छा जगाना। दूसरा कदम होगा स्त्री–मुक्ति की अवधारणा, संपूर्ण मनुष्य की मुक्ति की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में स्त्री–देह, स्वास्थ्य, वैचारिकता, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्णय, ईमानदारी, बहादुरी, साहस, शौर्य की जरूरतों व गुणों से लैस एक व्यक्तित्व की अवधारणा के रूप में मानना और उसे भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्तर पर समानता के दर्जे तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाना।''[1] स्त्री–मुक्ति उन्हीं अधिकारों के लिए अपनी माँग रखती हुई, रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ती हुई समाज में स्वावलंबी बनने के प्रति संघर्षशील है। जिसके लिए समाज की प्रत्येक स्त्रियों को जागरूक होना होगा।

सुप्रसिद्ध कथाकार मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। और बाद में इन्होंने दिल्ली में ही प्राध्यापिका के रूप में अध्यापन का कार्य भी किया। मृदुला गर्ग जी का मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता बल्कि समाज साहित्य का दर्पण होता है। उनकी प्रमुख रचनाएँ – कितनी कैदें (1975), टुकड़ा टुकड़ा आदमी (1977), डेकोडिल जल रहे हैं (1978), ग्लेशियर से (1980), उर्फ सैम (1982), दुनिया का कायदा (1983), शहर के नाम (1990), समागम (1996), उसके हिस्से की धूप (1975), वंशन (1976), चितकोबरा (1979), अनित्य (1980), मैं और मैं (1984), कठगुलाब (1996) एक और अजनबी (1978), जादू का कालीन (1993), तीन कैदें (1996), चुकते नहीं सवाल (1999) आदि।

* *38/ए गोपाल चटर्जी रोड, कॉसीपोर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल*

एक स्त्री क्या वह अपनी इच्छा से किसी अन्य पुरुष से वार्तालाप भी नहीं कर सकती? क्या अपने पति को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के साथ उसका घूमना, चाय पर जाना, होटल में खाना खाना अनैतिकता मान लेना चाहिए? विवाहित स्त्रियों को ऐसी तमाम बेड़ियों से बाँध दिया जाता है और अगर वे स्त्रियाँ इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर आने का प्रयास करती है तो उन्हें चरित्रहीन मान लिया जाता है। 'हरी बिंदी' कहानी उन्हीं बन्धनों को तोड़ती हुई एक स्वच्छंद मानसिकता के साथ जीने की आकांक्षा रखने वाली स्त्री की कहानी है। अपनी हरी बिंदी कहानी के विषय में लेखिका कहती है कि "मुझसे कई बार कहा गया कि अकेली स्त्री की ऐसी उन्मुक्त, मनमौजी, दिलकश, दिनचर्या हिंदी कथा साहित्य में पहली बार उभारी गई थी।"[2] इस कहानी की नायिका खुद को स्वच्छंद रखना चाहती है। वह समाज के बनाएँ उन बेड़ियों को तोड़ कर उड़ना चाहती है। वह चाहती है कोई उस पर अपने बनाए नियम न थोपे। नायिका अपने अस्तित्व के साथ जीना चाहती है। नायिका का पति (राजन) आज घर पर नहीं है। आज वह उस स्वच्छंदता के साथ अपना दिन गुजारेगी जिसे राजन की परम्परा ने बांध रखा था। आज वह देर तक सोएगी, नीले वस्त्रों पर हरी बिंदी लगाएगी, वह जहाँ घूमना चाहती है वहाँ जाएगी, जो फिल्म देखना चाहती है वह फिल्म देखेगी, गर्म के साथ ठंडा खाने पर आज उसका पति (राजन) नहीं रोक सकता। आज वह अपने मन के समुद्र में डूब जाना चाहती है और तब तक बाहर नहीं आना चाहती जब तक वह खुल कर जी ना ले। लेखिका लिखती है कि – "नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा? क्या तक है? उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिच्छाया को जबान निकालकर चिढ़ा दिया, कहा, 'तुक की क्या तुक है?' और खिलखिलाकर हँस पड़ी।"[3] हरी बिंदी कहानी न केवल हमारे अंतरात्मा को स्पर्श करती है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि एक पिंजरे में बंद चिड़िया की क्या मानसिकता हो सकती है। उनका अन्दर ही अन्दर शोषण किया जा रहा है। ऐसे में गर्ग जी अपनी स्त्री पात्रों को पंखों के साथ उस गगन में उड़ाना चाहती है जो उसे मुक्त विचारों की दुनिया में ले जाकर छोड़ आए। मृदुला जी की 'वितृष्णा' कहानी में इसकी झलक देखी

जा सकती है। कहानी की नायिका शालिनी जब अपने पति दिनेश से कहती है कि आपके पास घण्टे भर की ट्र्सत नहीं रहती है कि बैठकर बात कर सकें। इस पर दिनेश उत्तर देता है कि ''बात करने की फुर्सत उन्हें होती है जिनके पास काम नहीं होता। अगर तुम घर को पूरे सलीके से चलाओ तो तुम्हारे पास भी चखचख करने को वक्त न बच्चे...।[4] एक समय ऐसा आता है जब शालिनी हमेशा के लिए मौन हो जाती है। वह दिनेश के सारे काम करती है परन्तु उससे बात नहीं करती। उसके इस व्यवहार पर दिनेश कहता है कि – ''तुम समझती क्यों नहीं शालिनी, तब मेरे पास वक्त नहीं था। अब है। हालात बदलते रहते हैं। हालात के साथ हमें बदलना पड़ता है। देखो, घर में हम दो ही प्राणी हैं। एक बेटा है सो अमेरिका जा बसा । लौटकर क्या आएगा। अब जो कुछ कहना है हमें एक–दूसरे से कहना है। इस तरह चुप्पी साधे रहने से ज़िंदगी कैसे चलेगी?''[5] आज दिनेश के पास फुर्सत ही फुर्सत है क्योंकि वह अब रिटायर हो गया है। वह शालिनी से बातें करना चाहता है पर शालिनी अब उससे बातें करना पसंद नहीं करती। उसके मन में दिनेश के प्रति वितृष्णा जाग उठी है। दिनेश शालिनी से बातें करना चाहता है, बहुत कोशिश भी करता है लेकिन शालिनी अब मौन रह कर उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करती है।

स्त्री जब भी प्रेम देने की बात करती है तो अक्सर हमारा पुरुष प्रधान समाज उसके निर्मल प्रेम की तुलना शारीरिक प्रेम से जोड़ कर देखता है। वह समाज से, परिवार से, पुरुष से, संसार के प्रत्येक प्राणी से केवल निस्वार्थ प्रेम चाहती है और साथ ही साथ संसार को प्रेम देना भी चाहती है। स्त्री में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना को मृदुला जी अपनी कहानी श्शहर के नामश में दिखाती है। लेखिका कहती है कि ''मेरे लिए प्यार का मतलब था देना। खुद को देना। नहीं–नहीं, जिस्म नहीं। वे यही मतलब लगाते थे, मैं अब समझ गई हैं, पर यह गलत है। मैं क्या सिर्फ जिस्म हैं? जिस्म तो घर है मेरा। मैं उसके अंदर रहती हूँ। हर घर की एक आत्मा होती है। मेरे घर की भी है। मैं उसी आत्मा को लोगों में बाँटना चाहती थी। घर ही उनके हवाले कर देती तो आत्मा कहाँ रहती?''[6] लेखिका का मानना है कि शरीर तो उनका घर है और वह तो उसके अंदर रहती है। जैसे मानव शरीर में आत्मा होती है उसी प्रकार हर घर की भी आत्मा होती है और वह उसी आत्मा को लोगों में बाँटना

चाहती है। मृदुला जी ने इस कहानी में एक ऐसी स्त्री का निमार्ण किया है जो अपनी मन की बातों को बिना संकोच के कह डालती है, चाहे उसके सामने उसका पिता ही क्यों न हो। लेखिका को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और वह बच्चे पालने की अपनी इस इच्छा को अपने पिता को पत्र में बताती है। पत्र के उत्तर में उसके पिता लिखते हैं कि – ''चार–चार बच्चे इस युग में। देश की दिन पर दिन बदतर हो रही हालत को नजरअंदाज करके। लानत है। इसलिए पढ़ाया–लिखाया तुम्हें। इसीलिए अमेरिका भेजा। (लो, अमेरिका आने का मतलब यह कैसे हो गया कि आदमी बच्चे पैदा करना नहीं चाह सकता!)''[7] लेखिका सबमें प्यार बाँटना चाहती है, चाहे वह गरीब मजदूर ही क्यों न हो। 1975 ई. के दौरान लेखिका गली–गली जा कर लोगों को अपने नुक्कड़ नाटकों के द्वारा और संविधान में लिखे बातों के प्रति लोगों को जागरूक करती है।

आजादी के कितने ही वर्ष गुजर गए किन्तु आज भी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया है। प्राचीन काल में स्त्रियों के प्रति बने उन जटिल रिवाजों का ख्याल भी मन में आता है तो हमारा रोम–रोम सिहर उठता है। पुरुष वर्ग अपनी अय्याशी के लिए परम्पराओं का हवाला देकर न जाने कितने वर्षों तक स्त्रियों का शोषण करते आए हैं। मृदुला जी की 'मीरा नाची' कहानी में एक लड़की जिस पर उसके पिता द्वारा तिरस्कृत माँ का कठोर नियंत्रण रहता है। लड़की अपनी माँ के बन्धनों से मुक्त होना चाहती है, खुल कर नाचना चाहती है, पतंगे उड़ाना चाहती है। वह सोचती है कि जब इस घर से वह जाएगी तभी उसे आजादी मिलेगी। फिर पिता द्वारा किया गया दुर्व्यवहार उसे स्मरण होता है कि ''दोनों के बीच जो महाभारत हुआ, क्या बतलाऊँ। पिताजी ने माँ को घर से बाहर धकेल दिया। साथ मुझे भी। घर में ताला डालकर चले गये। माँ मुझे लेकर बरामदे में डटी रहीं, भूखी–प्यासी। मेरे तो प्राण ही निकल गये थे भूख के मारे।''[8] वह इस कल्पना से भी डर जाती है कि कहीं उसे भी उसके पिता जैसा लड़का न मिल जाए। उसकी माँ का मानना है कि ''पढ़–लिख लो वरना कोई ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। सारी उम्र हमारी छाती पर मूँग दलोगी। पढ़–पढ़कर थक जाओ और सुस्ताने को जरा बिस्तर पर अधलेटे हो जाओ तो कहेंगे, अहदन हो जाओगी तो कौन पूछेगा ससुराल में। आजकल के लड़के पतली– छरहरी लड़की चाहते

हैं, मटा गयी तो ढंग का लड़का...।''[9] ऐसी मानसिकता हमारे समाज में बनी हुई है कि लड़कियों को पढ़ना तो चाहिए लेकिन उतना ही जितना लड़के वाले अनुमति देते हैं या उसके विवाह में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन हो। लड़की बताती है कि जब वह गाँव में रहती थी तो अपनी कक्षा में अव्वल आती थी परन्तु शहर में आने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता।

स्त्रियाँ यंत्र नहीं होती बल्कि उनके अंदर भी भावनाएं होती है। उन्हें किसी परम्परा में बाँध कर रखना ये नैतिकता के सिद्धान्त की कसौटी नहीं हो सकती। प्राचीन काल से ही स्त्रियाँ शोषण का शिकार होती आयी है। उन्हें स्थान– स्थान पर प्रताड़ित किया गया। डॉ बच्चन सिंह कहते हैं कि – ''स्त्री पुरुषों द्वारा दुनिया भर में शोषित होती रही है– समानता की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। समाज चाहे हिन्दुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो या किसी अन्य धर्म का। पुरुष के लिए तो स्त्री बराबर भोग्य रही है।''[10] जब तक स्त्रियाँ समाज में स्वावलम्बी बनने की इच्छा अपने अंतरात्मा में जागृत नहीं करती और उसके प्रति संघर्ष के लिए तत्पर नहीं होती उन्हें इसी प्रकार अधिकारों से वंचित रखा जाता रहेगा और वे शोषण का शिकार होती रहेंगी।

निष्कर्ष

मृदुला जी की स्त्रियाँ मुक्त विचारों की है, साथ ही साथ वह अपने को समाज में स्वावलंबी बनते देखना चाहती है। वह समाज में स्वच्छंद होकर जीना चाहती है। बनी बनाई परिपाटी पर चलना उनके लिए मानों किसी नदी में दम घुटने से भी बत्तर है। मृदुला जी मानना है कि वह किसी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं लिखती बल्कि उन्हें अपने जीवन से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर वह अपनी रचना करती है। वह प्रायः ऐसी सच्ची घटानाओं को अपनी कहानियों का विषय बनाती है जिसे पढ़कर व्यक्ति स्वयं को सचेत कर ले ताकि ऐसी घटना उसके जीवन में न घटित हो। डॉ. तारा अग्रवाल जी मृदुला जी की कहानियों के विषय में कहती है कि – ''आधुनिक जीवन के प्रायः सभी विषयों दाम्पत्य तथा दाम्पत्त्येत्तर सम्बन्ध, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याएँ, वृद्धावस्था, जीवन मूल्यों का ह्रास, नारी जीवन की समस्याएँ, नारी की परिवर्तित स्थिति, व्यक्ति की यौन भावनाएँ विदेश में

बसे भारतीयों की मानसिकता तथा मृत्युबोध आदि से सम्बन्धित अत्यधिक उत्कृष्ट कहानियों की रचना उन्होंने की है।''[11] मृदुला जी ने न केवल नारी स्वतंत्रता की बात की है बल्कि समाज की उन प्रत्येक मार्मिक विषयों पर अपनी कलम चलाने का प्रयास किया है जो समाज से वंचित रहा है।

अतः मृदुला जी अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्रियों की उस मानसिकता को समाज के सामने लाई हैं जिसकी अभिव्यक्ति के लिए साहस की आवश्यकता होती है। स्त्रियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह शरीरिक हो या मानसिक। मृदुला जी उन सारी समस्याओं को अपनी रचनाओं में उठाती है जिसे उठाते समय हिंदी साहित्य के लेखक वर्ग संकोच करते आए हैं। उन्होंने न केवल हिन्दी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बनाया बल्कि हिन्दी साहित्य को वह सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे लिखते वक्त प्रायः लेखक झिझकते हैं। इसे लेकर वह विवादों में रहीं परन्तु इसके बावजूद भी वह निडरता के साथ अपनी बात रखती आई हैं।

सन्दर्भ

1. *रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण – 2014, पृ. – 31*
2. *मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग की लोकप्रिय कहानियाँ, प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, संस्करण – 2018, पृ.– 5*
3. *वही – पृ. – 12*
4. *अमर गोस्वामी, संजीव, धर्मन्द सुशान्त (सं. मंडल), छत पर दस्तक, रेमाधव पब्लिकेशन्स प्रा. लि., गौतमबुद्ध नगर, उ. प्र., प्रथम पेपरबैक संस्करण – 2007, पृ.– 87*
5. *वही – पृ.– 87*
6. *वही – पृ. – 116*
7. *वही – पृ. – 117*
8. *वही – पृ. – 136*
9. *वही – पृ. – 134*
10. *डॉ. बच्चन सिंह, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पंद्रहवाँ संस्करण – मार्च, 2022, पृ. – 515*
11. *डॉ. तारा अग्रवाल, मृदुला गर्ग का कथा साहित्य, विद्या प्रकाशन, कानपुर, प्रथम– 2004, पृ. 14*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ.182-185

स्वामी विवेकानन्द के धर्म संबंधी विचार : एक अवलोकन

*अलीम अहमद**

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत वर्ष में धार्मिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिसके चलते समाज का स्वरूप विभिन्न धर्म–सम्प्रदायों में बंटकर घृणित हो चुका था। अन्ध–भक्ति में आत्मविजर्सन[1], जाति–प्रथा में अस्पृश्यता[2], वाह्यडम्बर[3] सम्प्रदायगत् धार्मिक प्रतिस्पर्धा[4] आदि से भारत की धार्मिक दशा विरूपित हो चुकी थी। इसे सुधारने के लिए 'ब्रह्म–समाज', 'आर्य–समाज' 'प्रार्थना–समाज' की स्थापना की गयी थी। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति–पूजा, उसके प्रति बलिदान और दूसरों के धर्मों की निन्दा प्रतिबंधित करने का कार्य किया।[5] उन्होंने सार्व–भौम धर्म की स्थापना करके अपने इस धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।[6] धार्मिक सुधार के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य–समाज की स्थापना की और वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। हिन्दू से मुसलमान और ईसाई बने हुए लोगों को पुनः हिन्दू बनने का वातावरण दिया।[7] हिन्दू–धर्म की कुरीतियों[8] एवं धर्म पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त किया।

थियोसाफिकल सोसाइटी और प्रार्थना–समाज ने भी भारत की अवनत धार्मिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। इसमें जितने भी धार्मिक सुधारक और दार्शनिक हुए, उनमें से स्वामी विवेकानन्द भी एक थे। धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने धर्म की एक अलग व्याख्या की और एक ऐसे धर्म–दर्शन को प्रतिष्ठापित किया जिससे भारत की जो धार्मिक प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी, उसमें सुधार हुआ।

धर्म को आंग्ल भाषा में 'रिलीजन' कहते हैं। रिलीजन शब्द 'रि' एवं लैटिन शब्द 'लेग्रे' के संयोग से बना है। लेग्रे शब्द का अर्थ विचार करना है। इस प्रकार 'रिलीजन' ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्धों तक सीमित एक व्यक्तिगत जीवन–मार्ग है। इसे भारतीय परम्परा में सही नहीं माना गया है। भारतीय शब्द 'धर्म', अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' की तुलना में अत्यन्त व्यापक है। यह संस्कृत धातु

---

* *शोधार्थी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, के.एन.आई.पी.एस.एस., सुलतानपुर (उ0प्र0)*

'धृ' से बना है। 'धृ' का अर्थ है– धारण करना। अतः धर्म की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है– धरति धारयति वा लोकम् इति धर्मः एवं धियते लोकः अनेन इति धर्मः। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोक अथवा समाज को धारण करे एवं जिसके द्वारा समाज को धारण किया जाय, वह धर्म है।

स्वामी विवेकानन्द ने धर्म के स्वरूप को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह संसार इन्द्रियों, बुद्धि और युक्ति सभी की ओर से अनन्त, अज्ञेय और अज्ञात से परिसीमित है। यह अनन्तता ही हमारी खोज है। इसी में अनुसंधान के विषय हैं, इसी में तथ्य हैं और इसी से प्राप्त होने वाले प्रकाश को संसार धर्म कहता है। उनके अनुसार धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि व्यक्ति के अभ्यन्तर से ही उदित होता है। धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सन्निहित है और यह बात इस सीमा तक सत्य है कि चाहकर भी मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जीवन है। जब तक मनुष्यों में सोचने की शक्ति रहेगी, तब तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा और तब तक किसी न किसी रूप में धर्म रहेगा ही। इस तरह विश्व में हमें धर्म के विभिन्न रूप मिलते हैं।

विवेकानन्द ने धर्म की निम्नलिखित परिभाषा दी है–''धर्म सम्पूर्ण मानव में परिव्याप्त है, न केवल वर्तमान में अपितु भूत और भविष्य में भी। अतः हम उसे शाश्वत् आत्मा का शाश्वत् ब्रह्म से शाश्वत् सम्बन्ध कह सकते हैं।[9] उन्होंने धर्म के स्वरूप की व्याख्या करते हुए यह कहा है–''हम सब धर्मों में निम्न सत्य से उच्च सत्य की ओर जाते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि के पीछे एक एकता है, पर मनों में बड़ी विविधता है। वह जो है, एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हम छोटे सत्य से बड़े सत्य की ओर बढ़ते हैं। निम्नतम धर्म केवल सत्य के निम्न पाठ मात्र हैं। हम धीरे–धीरे समझते हैं। शैतान की उपासना भी चिरन्तन सत्य और अनन्त ब्रह्म का ही विकृत पाठ मात्र है।[10]

स्वामी जी यह भी कहते हैं कि–''सभी धर्म एक सूत्र में गुहे मोतियों के समान हैं। हम लोगों को अन्य सब बातों को अलग रखते हुए सभी में व्यक्तित्व को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य किसी धर्म में जन्म नहीं लेता, उसका धर्म तो उसकी आत्मा में सन्निहित है। कोई पद्धति, जिससे

व्यक्तिगत विशेषता का नाश होता है, वह अंततोगत्वा विनाशक सिद्ध होती है। हर जीवन में एक धारा प्रवाहित हो रही है, और वही उसे अन्त में ईश्वर को प्राप्त करा देगी।[11]

विवेकानन्द के अनुसार धर्म एक ही है परन्तु इसकी साधना में अनेकता होनी ही चाहिए। अतएव, सभी अपना धार्मिक सन्देश तो दें, परन्तु दूसरे धर्मों में कोई त्रुटि न देखें।[12] उनका कहना है कि धर्म केवल सिद्धान्त और मत की बात नहीं है। विवेकानन्द तुम क्या पढ़ते हो अथवा किस मत में विश्वास रखते हो, यह उतना महत्त्व नहीं रखता जितना यह कि तुम अनुभव या व्यवहार में उसे कितना लाते हो।[13] धर्म को समझाते हुए वह कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के लिए केवल किताबें पढ़ता है, उसकी हालत तो गल्पवाले उस गदहे की है जो पीठ पर चीनी का भारी बोझ ढ़ोता हुआ भी उसकी मिठास को नहीं जान पाता।[14] धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनका कहना है कि धर्म की उत्पत्ति प्रखर आत्म–त्याग से ही होती है– अपने लिए कुछ भी मत चाहो। सब दूसरों के लिए करो।[15]

विवेकानन्द धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को मान्यता देते हैं, धर्म–ग्रन्थों को नहीं। वह अर्न्तदृष्टि द्वारा मानव–हृदय में प्रवेश कर ईश्वर तथा अमरत्व के विषय में जो सत्य तत्त्व हैं उनको ढूंढ़ निकालने के कार्य को धर्म मानते हैं। आत्म–त्याग को वास्तविक लोक–धर्म मानते हैं। वह भारत की धर्म–परम्परा को एक संयुक्त उत्पत्ति मानते हैं। वह भारत की धर्म–परम्परा को एक संयुक्त उत्पत्ति मानते थे जिसमें शंकराचार्य का व्यक्तित्व, एकसत्तावाद, रामानुज और उनके अनुयायियों का भक्ति–मार्ग और बौद्ध धर्म का मानवतावाद एक दूसरे में विलीन हो गया था।

विवेकानन्द धार्मिक भेद–भाव को नही मानते थे। हिन्दू होने पर भी वे इस्लाम धर्म की निन्दा नहीं करते थे और इसी प्रकार के विचार संसार के सभी व्यक्तियों में उत्पन्न हुआ देखना चाहते थे। इसके सम्बन्ध में वह कहा भी करते थे कि हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके दो धर्म, हिन्दुत्व और इस्लाम, मिलकर एक हो जाय। वेदान्ती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के संयोग से जो धर्म खड़ा होगा, वही भारत की आशा है।[16]

विवेकानन्द के अनुसार यदि संसार में एक से अधिक धर्म फैले हुए हैं तो उनको अनावश्यक न मानकर उन्हें सबके लिए अनिवार्य एवं आवश्यक समझना चाहिए। इसे समझाते हुए वह कहते हैं कि मनुष्य सर्वत्र अन्न ही खाता है, फिर भी देश–देश में अन्न से भोजन पकाने की विधियाँ अलग–अलग होती हैं। उन्होंने धर्म को मनुष्य की आत्मा का बहु–विधि भोजन कहा है। उन्होंने भारत में प्रचलित सभी धर्मों को मानने और अपनाने की कोशिश की शिक्षा दी। उनके विचार से धर्म को समाज का आधार एवं व्यक्तिगत जीवन मार्ग दोनों रूपों में मानना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म मनुष्य तथा ईश्वर से सम्बन्धित है, परन्तु वह उसी तक सीमित नहीं है। धर्म मनुष्य के सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करता है, इसलिए सभी धर्म समाज के निर्माण में सहायक होते हैं।

संदर्भ

1. *सीतानाथ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज, पृ0–22*
2. *वही, पृ0–22*
3. *वही, पृ0–22*
4. *रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृ0–524*
5. *डॉ0 लक्ष्मण सिंह, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक विचार, पृ0–17*
6. *शिवनाथ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज, (आधुनिक भारतीय चिन्तन से उद्धृत, पृ0–33*
7. *डॉ0 लक्ष्मण सिंह, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक विचार, पृ0–18*
8. *वही, पृ0–19*
9. *विवेकानन्द, चतुर्थ खण्ड, पृ0–189*
10. *वही, पृ0–243*
11. *विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ खण्ड, पृ0–252*
12. *वही, पृ0–253*
13. *वही, पृ0–234*
14. *वही, पृ0–235, 236*
15. *विवेकानन्द साहित्य, द्वितीय खण्ड, पृ0–254*
16. *वही, पृ0–255*

मङ्गलम् - वर्ष 15(01) भाग-XXVIII फरवरी 2024
ISSN-0976-8149 पृ. 186-202

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का विधिक संरक्षण : एक अध्ययन

रमेश कुमार भारती *

शोध सारांश

आधुनिक समय में, समाज में महिलाओं की भूमिका और संबंधित अधिकारों की मान्यता में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। महिलाएं आजकल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन महिला कर्मचारियों को अधिकांश विधिक सुरक्षा और लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इस अध्ययन में, हम अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न उद्यमों, सूक्ष्म व्यवसायों, नए प्रौद्योगिकियों, सेवा क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों में सम्मिलित कई महिला कर्मचारियों को सम्मिलित करता है। ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करती हैं और उनके योगदान को महत्वपूर्ण रूप से मान्यता देना आवश्यक है। हालांकि, इस क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति अक्सर अनजान होने का सामना करना पड़ता है। कम जागरूकता, कानूनी संरचना के अभाव और समर्थन के अभाव के कारण, वे सामाजिक और व्यक्तिगत संकटों का सामना करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के संरक्षण के मुद्दे को गहराई से अध्ययन करना है। हम उनके विधिक अधिकारों की अनुसंधान करेंगे, कानूनी संरचनाएं और उन्हें संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही उठाने वाले संगठनों और सरकारी नीतियों की विश्लेषणा करेंगे। इस अध्ययन से हमें महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और उत्कृष्ट कार्य स्थलों के विकास के लिए सुझाव और समाधान मिलेगा।

मुख्य शब्द : *महिला श्रमिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था संगठन अधिकार*

प्रस्तावना

महिलाएं, समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं, जो समृद्धि और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वे न केवल परिवार में बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र में भी सक्रियता दिखा रही हैं। अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, और यहां पर महिला कर्मचारियों का योगदान बहुत मायने रखता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, और वे विभिन्न उद्योगों में अपने नवाचारी और पेशेवर योग्यता

* *असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, सी०एम०पी० डिग्री कॉलेज, प्रयागराज।*

के बल पर उच्च पद और जिम्मेदारियों में भी प्रगति कर रही हैं। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वेतन में असमानता, उच्चाधिकारियों के द्वारा शोषण और उनके कानूनी अधिकारों की अवगाहना की कमी।

अधिकांश देशों में असंगठित क्षेत्र आम तौर पर उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की सुरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं। इस क्षेत्र में आम तौर पर आकस्मिक श्रमिक, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता, कृषि मजदूर और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में कार्यरत अन्य श्रमिक शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत कार्यबल महिलाएं हैं और उनके काम और रोजगार की स्थितियाँ अक्सर अनिश्चित होती हैं।[1]

2017-18 के दौरान भारत में लिंग-वार कुल रोजगार और अनौपचारिक रोजगार (लाखों में)

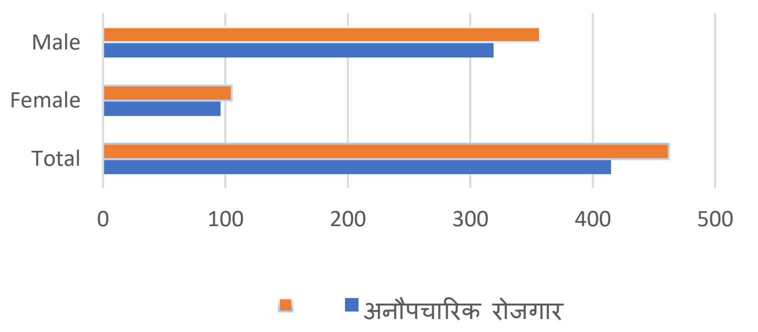

- *'स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2017–18) इकाई स्तर के डेटा से गणना की गई। नोटः रोजगार की सामान्य स्थिति पर विचार किया जाता है।*

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक व्यापक रूप से भिन्न होते हैं उम्र, शिक्षा के स्तर, स्थिति के संदर्भ में रोजगार (स्वयं–खाता श्रमिक, कर्मचारी, पारिवारिक श्रमिकों और नियोक्ताओं का योगदान), क्षेत्र (ग्रामीण बनाम शहरी), सामाजिक कवरेज और रोजगार सुरक्षा और अन्य विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक विशेषताएं। चित्र 1 यह दर्शाता है भारत में रोजगार अत्यधिक अनौपचारिक है और सभी श्रमिकों में से 90 प्रतिशत कार्यरत हैं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में (2017–18 में)। अलग इस तथ्य से कि महिलाओं के अवैतनिक कार्य और देखभाल की जिम्मेदारियाँ उन्हें बनाने में प्रभावित करती हैं कार्य विकल्प जो उन्हें प्राथमिकता देने में सक्षम बनाते हैं और उनके अवैतनिक कार्य को भुगतान के साथ समायोजित करें काम, जो उनकी आर्थिक स्थिति को अदृश्य कर देता

है योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्षों ने एक विरोधाभासी प्रक्षेपवक्र दिखाया है अपर्याप्त या खराब के साथ उच्च आर्थिक विकास रोजगार सृजन. औपचारिक रोजगार एक के रूप में स्थिर और भुगतान किया गया रोजगार है कुल रोजगार का हिस्सा गिर गया है। यह है अधिकांश कार्यबल को स्व–रोजगार की ओर धकेल दिया, जिससे उन्हें अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, आर्थिक विकास ने कोई प्रक्रिया उत्पन्न नहीं की है रोजगार विविधीकरण. दो तिहाई महिलाएं श्रमिक अभी भी कृषि में कार्यरत हैं प्राथमिक गतिविधि, के प्रति संवेदनशील बनी हुई है कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है अब कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त, पीएलएफएस के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक क्षेत्रों (91 प्रतिशत) में होने की अधिक संभावना थी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अनौपचारिक रोजगार (79.2 प्रतिशत), और ग्रामीण का प्रतिशत अधिक है महिलाएं अनौपचारिक रोजगार में पाई गईं (93.1 प्रतिशत) शहरी महिलाओं की तुलना में (77.2 प्रतिशत) (में)। 2017–18)।[2]

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने COVID-19 संकट और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त जानकारी दी है कि लॉकडाउन और रोकथाम उपायों (ILO 2020) के कारण निचले और कम आय वाले देशों में अनौपचारिक श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सापेक्ष गरीबी में 56% से अधिक की वृद्धि होगी। मौजूदा संकट ने उनके खिलाफ हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग से उनके दुखों को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग को लॉकडाउन अवधि के दौरान हिंसा पर 315 शिकायतें मिलीं और घरेलू हिंसा की 47% शिकायतें (टीओआई 2020) थीं। आर्थिक संकट, सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी, संगरोध उपायों के कारण आघात के बाद का तनाव और वापसी प्रवासन से हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों की आजीविका का नुकसान सत्ता संबंधों को बदल देता है (हालांकि पहले महिलाओं के लिए अस्थायी पलायन था) और अपराधियों को हिंसा के कृत्यों में शामिल होने का अतिरिक्त लाभ मिलता है।[3]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनौपचारिक क्षेत्र को अनिगमित उद्यमों के एक उपसमूह के रूप में परिभाषित किया है जो अपने मालिकों से स्वतंत्र रूप से अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में गठित नहीं होते हैं। वे आम तौर पर व्यक्तिगत घर के सदस्यों या एक ही या अलग–अलग घरों के कई सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं। वे अधिकतर बिना किसी विभाजन के निम्न स्तर पर काम करते हैं। अनौपचारिक कार्य में अनौपचारिक उद्यमों में स्व–रोजगार वाले व्यक्ति और अनौपचारिक नौकरियों में वेतनभोगी श्रमिक दोनों शामिल हो सकते हैं, यानी बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के।[4]

इस प्रकार के संदर्भ में, इस अध्ययन का उद्देश्य है अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण को जांचना और उनके कानूनी

अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उपायों को विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के अनौपचारिक कार्यस्थलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों के बारे में सामग्री उपलब्ध कराएगा, ताकि उचित सुझावों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सके।

इस अध्ययन का महत्व उन सभी लोगों के लिए है जो महिला कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में संलग्न हैं। इससे न केवल समाज को जागरूकता होगी, बल्कि उद्योगों और संगठनों को भी महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम मिलेगा।

अध्ययन के प्रयोजन (Objective of the Study)

- **महिला कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों का अध्ययनः** इस अध्ययन का पहला प्रमुख उद्देश्य है अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के प्रमुख कानूनी अधिकारों को अध्ययन करना। इसमें सम्मिलित होने वाले कानूनी अधिकार उनकी संरक्षा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता होगी और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय हो सकेंगी।

- **अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण की चुनौतियों का अध्ययनः** अध्ययन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कानूनी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें उन्हें वेतन में असमानता, सेक्सुअल हरस्मेंट, अधिकारों की अवगाहना की कमी, और उच्चाधिकारियों के द्वारा शोषण आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें इन चुनौतियों को समझने में मदद करेगा और संबंधित उपाय विकसित करने में मदद करेगा।

- **महिला कर्मचारियों को विधिक संरक्षण और सुरक्षा के लिए सुझाव देनाः** अध्ययन का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है महिला कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सुझाव देना। इसमें अध्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी और सुझाव उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने में मदद करेंगे। इससे उन्हें स्वयं को सुरक्षित महसूस करने का मौका मिलेगा और वे अपने पेशेवर और नैतिक उदारता में विकसित हो सकेंगी।

अध्ययन की महत्त्वता

- **महिला कर्मचारियों के अधिकारों की संरक्षाः** यह अध्ययन महिला कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसमें सम्मिलित होने वाले कानूनी अधिकार उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता और जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें किसी भी रूप में शोषण, उत्पीड़न या संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।
- **समाज में समानता को बढ़ावा देनाः** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित योग्यता, मान–सम्मान और समान वेतन के साथ अधिकार मिलना आवश्यक है। इस अध्ययन के माध्यम से उनके अधिकारों की संरक्षा में जागरूकता बढ़ेगी, जो समाज में समानता को बढ़ावा देगी और महिलाओं को समाज में बराबरी के साथी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- **संगठनों की नीतियों में सुधार करने में मदद करनाः** यह अध्ययन संगठनों को महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण को समझने में मदद करेगा और उन्हें उनके अधिकारों की प्रतिबद्धता को समझने के लिए प्रेरित करेगा। इससे संगठनों को समान वेतन पॉलिसी और महिला कर्मचारियों के अधिकारों को समर्थन करने के लिए नई नीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी।
- **महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करनाः** इस अध्ययन के माध्यम से महिला कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाव देने से पहले, उन्हें अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इससे महिला कर्मचारियों को अपने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें नई बाधाओं का सामना करने के लिए सक्रिय होने की प्रेरणा मिलती है।
- **समाजिक संबंधों में सुधार करनाः** इस अध्ययन के माध्यम से समाज में महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण की महत्वपूर्णता को समझाया जा सकता है। यह उन समाजिक संबंधों में सुधार कर सकता है जो इसमें शामिल होते हैं, और महिला कर्मचारियों को समाज में सम्मान और समानता के साथ स्थान देने में मदद कर सकता है।

पृष्ठभूमि

अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में शामिल होता है, जो गैर–सरकारी और गैर–निगमित कंपनियों के तहत काम करता है। इस

क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का योगदान बढ़ता हुआ है, और वे अपने नवाचारी और पेशेवर योग्यता के बल पर उच्च पद और जिम्मेदारियों में भी प्रगति कर रही हैं। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें उन्हें वेतन में असमानता, सेक्सुअल हरस्मेंट, अधिकारों की अवगाहना की कमी, और उच्चाधिकारियों के द्वारा शोषण आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के चलते, महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्मिकों के लिए वर्तमान समय एक उभरते हुए समय को दर्शाता है, जिसमें वे बढ़ती हुई संख्या में अपनी उपस्थिति दिखा रहीं हैं। अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में शामिल होता है जैसे कि बेरोजगारी, नौकरशाही, खुदरा व्यापार, बटुआ बांधने, घरेलू मजदूरी, और विक्रय आदि। इस क्षेत्र में महिला कार्मिकों के पास आर्थिक और सामाजिक रूप से विभिन्न चुनौतियां होती हैं, जो उन्हें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करती हैं।

विधिक संरक्षण के प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं

कानूनी ढांचे के बावजूद, भारत में महिला श्रमिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न व्यापक है, और कई महिलाओं के पास नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशिक्षण और पदोन्नति के अवसरों तक पहुंच का अभाव है। कम–कुशल और अनौपचारिक नौकरियों में महिलाओं को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम वेतन, लंबे काम के घंटे और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का जोखिम। इसके अलावा, जो महिलाएं मातृत्व अवकाश लेती हैं, उन्हें अक्सर नियोक्ताओं के भेदभाव के कारण कार्यबल में फिर से शामिल होने में कठिनाई होती है। भारत में महिला श्रमिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कार्यबल में समान रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता को बाधित करती हैं। इनमें से कुछ चुनौतियाँ शामिल हैं:

- **वेतन में असमानता :** अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को अक्सर पुरुष कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, जो उनके वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान में कमी लाता है।
- **काम की सुरक्षा :** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्मिकों को नियमित रूप से काम की सुरक्षा का मिलता नहीं है। इससे उन्हें काम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके भविष्य को अनिश्चितता में डालता है।
- **यौन उत्पीड़न :** महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है।

यह समस्या उन्हें आत्मविश्वास और उच्चाधिकारियों के सामने सुरक्षित महसूस करने में बाधा डालती है। हाल के वर्षों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक दबावकारी मुद्दों में से एक के रूप में उभरा है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिलीं जो वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम संख्या को सूचित करती है। इनमें से लगभग 54.5% शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं। दिल्ली ने 3,004 शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके बाद महाराष्ट्र (1,381), बिहार (1,368) और हरियाणा (1,362) का स्थान रहा।[5]

- **अधिकारों की अवगाहना की कमी**ः महिला कर्मचारियों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी होती है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय होने में मुश्किलें हो सकती हैं।
- **उच्चाधिकारियों के द्वारा शोषणः** कुछ समयों में, महिला कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों के द्वारा अनुचित तरीके से शोषण का सामना करना पड़ता है, जो उनकी समृद्धि और समानता में बाधा डालता है।
- **लैंगिक असमानताः** महिलाएँ अनौपचारिक प्रतिभागियों में से बहुसंख्यक का गठन करती हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है जहाँ कम भुगतान, आय में अस्थिरता और एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी जैसी स्थितियाँ मौजूद होती है। इसने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को भी उल्लेखनीय रूप से बाधित किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 में महिला श्रम बल की भागीदारी दर घटकर 21.2% हो गई जो एक वर्ष पूर्व 21.9% रही थी।[6]
- **आर्थिक शोषणः** परिभाषा के अनुसार अनौपचारिक रोजगार में कोई लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश नहीं होता और इसलिये कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं निर्धारित होती है, न ही कार्य की शर्तों पर ध्यान दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र के लिये वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages 2019) अभी भी दायरे और प्रभावकारिता में सीमित है। अनौपचारिक कामगार आमतौर पर दायरे में सबसे कम शामिल होते हैं क्योंकिः यदि कोई राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट नौकरी को शामिल करने से इनकार करती है तो यह न्यूनतम मजदूरी मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है।[7]

ये समस्याएं महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण को मुश्किल बनाती हैं, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित योग्यता, जागरूकता, और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन इन समस्याओं को उजागर करने और समाधान के लिए सुझाव देने का प्रयास करेगा।

विधिक संरक्षण के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ

- **महिला हेल्पलाइनः** महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। महिला हेल्पलाइन सार्वभौमीकरण की स्कीम 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है।[8] जिसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया देना है। पूरे देश में महिलाओं को एक समान नंबर के माध्यम से एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है। यह योजना एक टोल–फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य रखती है, जिसे महिला कार्मिके या उनके परिवार के सदस्य किसी भी समस्या या कानूनी अत्याचार की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के तहत, उन्हें समस्या का समाधान, विधिक सलाह और सुरक्षा के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है।[9] इसके अलावा महिलाओं के लिए वुमंस हेल्पलाइन नंबर 1091/1090 पूरे देश के लिए है। इसके अलावा महिलाएं नेशनल कमिशन फॉर वुमन (NCW) में अपनी कोई बात रखना चाहें तो वे 0111–23219750 पर कॉल कर सकती हैं।[10]
- **स्वाधार गृह स्कीम** : मंत्रालय स्वाधार गृह स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य वे अभागी महिलाएं हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहयोग की जरूरत है ताकि वे अपना जीवन सम्मान से जी सकें। स्कीम में कठिन परिस्थितियों से पीड़ित महिलाओं, जिनमें विधवाएं, निराश्रित तथा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं, के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य एवं आखथक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना है। चूंकि स्वाधार गृह स्कीम केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम 'महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तीकरण की एक उप–स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, इसकी निधियां केंद्र एवं राज्यों के बीच, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में 90:10 को छोड़कर, 60:40 के लागत साझाकरण अनुपात में निर्मुक्त की जाती हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 01 जनवरी, 2016 से यह अनुपात 100% प्रतिशत है।[10]
- **नियोजित अधिवक्ता सेवाः** इस योजना के अंतर्गत, महिला कार्मिकों को नियोजित अधिवक्ता सेवा प्रदान की जाती है, जो उन्हें उनके कानूनी मुद्दों को समझने और समस्याओं के समाधान के लिए सहायता करता है। यह सेवा उन्हें कानूनी अधिकारों की संरक्षा में मदद करती है और उनको अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूकता प्रदान करती है।

- **सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमः** इस योजना के अंतर्गत, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें महिला कार्मिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसमें उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी, कानूनी उपाय, और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

- **संघर्ष समर्थन फंडः** इस योजना के अंतर्गत, संघर्ष समर्थन फंड स्थापित किया जाता है, जिससे महिला कार्मिकों को कानूनी यात्रा की व्यवस्था, विधिक सलाह, और संघर्ष के लिए वित्तीय समर्थन मिलता है। इससे उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय होने में मदद मिलती है।

- **कानूनी शिक्षा कार्यक्रमः** यह योजना महिला कार्मिकों को कानूनी शिक्षा और जागरूकता प्रदान करती है। इसके तहत, उन्हें कानूनी प्रक्रिया, अधिकारों के मामले, और संघर्ष के लिए जरूरी ज्ञान दिया जाता है। यह समर्थन उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थन करता है और उन्हें समाज में समानता के साथ स्थान बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और एक नया व्यापक "महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृ त माड्यूल" विकसित किया है । इस माड्यूल में हाल ही के नए विधानों और संशोधनों, जैसे कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 और दंड संशोधन विधि, 2013 आदि सहित पाठ्य विवरणधविधियों का वर्णन है।[12]

- **समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रमः** इस योजना के अंतर्गत, महिला कार्मिकों को विधिक संरक्षण के लिए समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें उन्हें कानूनी ज्ञान, अधिकारों की जागरूकता, और संघर्ष के लिए जरूरी कौशल प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम महिला कार्मिकों को अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा मे सक्रिय बनाता है और उन्हें समाज में अधिक समर्थ बनाता है।

- **संघर्ष अनुदानः** इस योजना में, महिला कार्मिकों को उनके कानूनी संघर्ष के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान उन्हें उच्चाधिकारियों के सामने अपने मुद्दों की रक्षा करने, न्याय की तलाश करने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में मदद करता है।

- **निःशुल्क विधिक सलाहकार सेवाः** यह योजना महिला कार्मिकों को निःशुल्क विधिक सलाहकार सेवा प्रदान करती है, जिससे वे अपने विधिक

मुद्दों के लिए सलाह प्राप्त कर सकती हैं। इससे उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है और उन्हें कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी होती है।

ये योजनाएं महिला कार्मिकों को विधिक संरक्षण की दिशा में प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें समाज में समानता और सुरक्षित महसूस करने में मदद करती हैं। इन योजनाओं को समर्थन करने से महिला कार्मिकों का समृद्धि और समानता के साथ स्थान मिल सकता है।

विधिक संरक्षण के महत्वपूर्ण तत्व

- **भारतीय संविधानः** भारतीय संविधान में 'समाजवादी' शब्द 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 'समाजवादी' से हमारा तात्पर्य सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति से था। इस लक्ष्य के अनुसरण में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में कई प्रावधान शामिल हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
    - अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार[13]
    - अनुच्छेद 15 – भेदभाव के विरुद्ध अधिकार[14]
    - अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार[15]
    - अनुच्छेद 19 – आंदोलन, सभा, संघ और व्यवसाय की स्वतंत्रता[16]
    - अनुच्छेद 23 – बलात् श्रम से संरक्षण[17]
    - अनुच्छेद 24 – बाल श्रम का निषेध[18]
    - अनुच्छेद 41 – काम करने का अधिकार[19]
    - अनुच्छेद 39 – आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, श्रमिकों की पर्याप्त सुरक्षा[20]
    - अनुच्छेद 38, 39 – मजदूरी की समानता[21]
    - अनुच्छेद 43 – सभ्य जीवन स्तर[22]
    - अनुच्छेद 43ए – प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी[23]
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** यह अधिनियम महिला श्रमिकों पर लागू है और समान वेतन का प्रावधान करता है पुरुष और महिला श्रमिकों को पारिश्रमिक और जमीनी स्तर पर भेदभाव की रोकथाम के लिए रोजगार के मामलों में महिलाओं के खिलाफ यौन संबंध। अधिनियम के तहत, नियोक्ता को पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देना होगा समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य। समान कार्य या समान प्रकृति के

कार्य से तात्पर्य है, वह कार्य जिसके संबंध में आवश्यक कौशल, प्रयास और जिम्मेदारी निष्पादित करते समय समान हो समान कामकाजी परिस्थितियों में। अधिनियम में भेदभाव के खिलाफ भी प्रावधान है पुरुष एवं महिला श्रमिकों की भर्ती।

- **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948:** यह अधिनियम अनुसूचित रोजगार और प्रावधानों में लगे श्रमिकों पर लागू होता है कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए। यह कृषि, गैर–कृषि और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के लिए।
- **अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य (विनियमन) यह अधिनियम:** हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें पांच या अधिक अंतरराज्यीय प्रवासी हों कामगार नियोजित हैं और प्रत्येक ठेकेदार जो पांच या अधिक अंतर–राज्य प्रवासी को रोजगार देता है 245525/2018/ए.डी 231/3206 कामगार पाँच से कम अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान इसके दायरे में नहीं आते हैं इस अधिनियम के तहत. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ''कर्मचारी'' का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो इसमें कार्यरत है किसी प्रतिष्ठान के कुशल, अर्धकुशल या अकुशल कार्य करने के संबंध में, भाड़े या इनाम के लिए मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य। लेकिन इसमें कोई भी शामिल नहीं है वह व्यक्ति जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत हैय या कौन, होना पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित, प्रति माह पांच सौ रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता है।
- **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का (विनियमन) रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996:** यह अधिनियम दस या अधिक भवनों और अन्य से जुड़े प्रतिष्ठानों पर लागू होता है निर्माण श्रमिक. यह भवन निर्माण में रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का प्रयास करता है और अन्य निर्माण श्रमिकों और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करता है। दस से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं अधिनियम एक या अधिक सहित सामान्य कार्य दिवस के लिए घंटे तय करने का प्रावधान करता है निर्दिष्ट अंतरालय सात दिनों की प्रत्येक अवधि में एक दिन का आराम, कार्य का भुगतान प्रदान करता है आराम के दिन की दर ओवरटाइम दर से कम न हो, मजदूरी उसकी सामान्य दर से दोगुनी दर पर हो ओवरटाइम काम के लिए वेतन. अधिनियम ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है जो बहरा है या जिसकी दृष्टि खराब है यह पर्याप्त पेयजल, शौचालय और मूत्रालय आदि की भी व्यवस्था करता है श्रमिकों के लिए आवास, क्रेच, प्राथमिक

चिकित्सा और कैंटीन। उपयुक्त सरकार हैभवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाने का अधिकार।

- **अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970:** यह अधिनियम प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें बीस या अधिक कर्मचारी हैं पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया था या नियोजित किया गया था प्रत्येक ठेकेदार जो पिछले किसी भी दिन बीस या अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है या नियोजित करता है बारह महीने। हालाँकि, उपयुक्त सरकार, कम से कम दो महीने का समय देने के बाद नोटिस और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी पर भी लागू करें बीस से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाला प्रतिष्ठान या ठेकेदार। यह अधिनियम लागू नहीं होता है ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें केवल रुक–रुक कर या आकस्मिक प्रकृ ति का कार्य किया जाता है। वर्कमैन इसका अर्थ है किसी प्रतिष्ठान में या उसके संबंध में कोई भी कार्य करने के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति भाड़े के लिए कुशल, अर्ध–कुशल या अकुशल मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य इनाम, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त हों या निहित। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत या किसी में कार्यरत व्यक्ति प्रति माह पांच सौ रुपये से अधिक वेतन पाने वाली पर्यवेक्षी क्षमता या एक आउट–वर्कर (घरेलू कार्यकर्ता)
- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:** यह अधिनियम महिला श्रमिकों पर लागू है और महिलाओं के रोजगार को विनियमित करने का प्रयास करता है प्रसव से पहले और बाद में निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठान और मातृत्व प्रदान करते हैं और कुछ अन्य लाभ। यह हर प्रतिष्ठान पर लागू होता है, चाहे वह कारखाना, खदान या बागान हो इसमें कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान शामिल है जो सरकार का है। यह अधिनियम लागू नहीं है 10 से कम व्यक्तियों को शामिल करने वाले प्रतिष्ठान। हालाँकि सरकार इसे बढ़ा सकती है किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर प्रयोज्यता। यह अधिनियम किसी पर लागू नहीं होता फैक्ट्री या अन्य प्रतिष्ठान जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान हैं, 1948, (1948 का 34) लागू। अधिनियम छह सप्ताह के दौरान महिलाओं द्वारा रोजगार या काम पर प्रतिबंध लगाता है उसके प्रसव या गर्भपात के दिन के बाद। महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ की हकदार हैं निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट दरें। यह मातृत्व लाभ के भुगतान का भी प्रावधान करता है मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति, चिकित्सा बोनस का भुगतान, छह साल की अवधि के

लिए गर्भपात के लिए छुट्टी उसके गर्भपात के दिन के तुरंत बाद के हफ्तों में, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी के लिए छुट्टी दे दी जाती है गर्भावस्था, प्रसव, समय से पहले प्रसव, या गर्भपात, नर्सिंग ब्रेक आदि।

- **कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923:** यह अधिनियम कामगारों पर लागू है और कुछ वर्गों द्वारा भुगतान का प्रावधान करता है नियोक्ता अपने श्रमिकों को दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे के रूप में देते हैं। यह अधिनियम दोनों पर लागू होता है कृषि और गैर–कृषि श्रमिक। ''कर्मचारी'' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (एक व्यक्ति के अलावा)। जिसका रोजगार आकस्मिक प्रकृति का है और जो इसके अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए नियोजित है नियोक्ता का व्यापार या व्यवसाय) जैसा कि अधिनियम और इसकी अनुसूची में निर्दिष्ट है। हालाँकि, सेंट्रल सरकार या राज्य सरकार नियोजित व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को अनुसूची में जोड़ सकती है कोई भी व्यवसाय, यदि वह संतुष्ट है, एक खतरनाक व्यवसाय है। अधिनियम इसका प्रावधान करता है यदि दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत चोट पहुँचती है तो मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व कुछ अपवादों के साथ उसके रोजगार से उत्पन्न और उसके दौरान। अधिनियम भी निर्दिष्ट करता है बीमारियों की एक सूची, जो यदि कर्मचारी को हो जाती है, तो उसे व्यावसायिक रोग माना जाएगा उस रोजगार के लिए विशिष्ट जिसके लिए उत्तरदायी दुर्घटना से चोट मानी जाएगी अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

- **नए श्रम कानून:** चार श्रम कानूनों को वेतन संहिता अधिनियम, 2019, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात्: न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 हाल ही में, संसद ने तीन श्रम संहिताएं पारित की हैं; अर्थात् सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। इनके दायरे अंतर–राज्यीय प्रवासी श्रमिकों और गैर–स्थाई श्रमिकों को शामिल करके सामाजिक सुरक्षा को और इसने ऐसे उपाय भी प्रस्तावित किये हैं, जो नियोक्ताओं को सरकार की अनुमति के बिना श्रमिकों को काम पर रखनें और निकालने के लिये लचीलापन प्रदान करेंगे। कोविड–19 महामारी के बाद बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में, ये संहितायें कई मायनों में श्रम के नियम और नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं।

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, 14 अध्यायों और 7 अनुसूचियों में कुल 164 खण्डों में फैली हुई है, जो संगठित

और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में संशोधन और समेकित करने का प्रयास करती है। यह नौ मौजूदा श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित और तर्कसंगत बनाता है, अर्थात्: कुल नौ मौजूदा श्रम कानूनों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; सिनेमा कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और असंगठित सुरक्षा अधिनियम, 2008।

न्यायपालिका की भूमिका

समाज में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के मामले में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालयों ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। नीचे कुछ मुख्य मामले हैं जिनमें न्यायपालिका ने महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं:

इस संदर्भ में विशाका बनाम राजस्थान राज्य[24] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण के खिलाफ महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए।[25] इस पृष्ठ्भूमि में एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य[26] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए न्यायिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी वेतन का निर्धारण किया। इससे महिला कर्मचारियों को उचित मजदूरी की प्रतिष्ठा मिली।[27] इसी प्रकार से डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[28] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने घरेलू मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी माध्यम तैयार करने का निर्देश दिया। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाने का प्रयास किया गया। वही जयश्री माजूमदार बनाम महाराष्ट्र राज्य[29] इस मामले में, एक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारी जयश्री माजूमदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार ने अन्याय का आरोप लगाया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में न्याय दिया और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला

कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए। इसी कड़ी में वेल्डिंग वर्कर्स संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[30]: इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने वेल्डिंग वर्कर्स के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए नए समर्थन के माध्यम विकसित किए गए। इसी पृष्ट्भूमि में मध्य प्रदेश धारा 44 (क) वेतन संरक्षण अधिनियम मामला[31] इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य के धारा 44 (क) वेतन संरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया जिससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक निर्णय लिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ[32] के मामले में, अदालत ने कहा कि जीवन के अधिकार में श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत की सुरक्षा, दुर्व्यवहार के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, शैक्षिक सुविधाएं, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत शामिल हैं। यह मामला ऋण बांड प्रणाली के तहत अनौपचारिक बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। असमान वेतन का मुद्दा मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद भारतीय[33] के मामले में उजागर किया गया था। अदालत ने माना कि कर्मचारियों के तकनीकी विवरण या पदनाम के बावजूद, समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 14[34] से आता है। यह देखा गया कि हमारा राज्य एक समाजवादी राज्य है और हमें समाज के वंचितों या कमजोर वर्गों की रक्षा करनी चाहिए।[35]

ये फैसले सिर्फ उदाहरण हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका ने और भी कई ऐसे मामले सुनिश्चित किए हैं जो उनके विधिक संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। न्यायपालिका के माध्यम से महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

निष्कर्ष

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का विधिक संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महिला कर्मचारियों को समाज के विभिन्न वर्गों में उच्च ग्रेड के रूप में अधिक संख्या में पाया जाता है जैसे कि सब्जी मांगने वाली, दूध बेचने वाली, गांवों में लेबर मजदूर आदि। इन महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, संरक्षण, और समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और विधियों के विकास और प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण के लिए समाज, सरकार, और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर एक सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय न्यायिक संरचना द्वारा महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण

के मामले पर फैसले सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा, संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी देने के साथ, विशेषकर नागरिकों को इन कानूनों के बारे में जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए।

अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के विधिक संरक्षण की सुनिश्चितता, उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने और अधिकारों का उचित उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार, महिला कर्मचारियों के संरक्षण और समर्थन के माध्यम से उन्हें समाज में एक सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया जा सकता है, जो समाज को समृद्ध, समान, और समरस्थ बनाने में मदद करेगा।

सन्दर्भ

1. *Mania, L. (2023, April 19). Protection of Women in Unorganized Sector under Indian Labour Law. LL.B Mania. https://llbmania.com/2023/04/20/protection-of-women-in-unorganized-sector-under-indian-labour-law/, Visited on 20 July 2023.*
2. *Women in the Indian Informal Economy. (n.d.). https://www.indiaspend.com. Retrieved July 21, 2023, from https://www.scribbr.com/citation/generator/folders/4x7EWZ66A7kO2ICk11Lg6A/lists/T7fkY2Gp5POhkHAWOg8Ya/cite/online-news-article/*
3. *Violence in times of COVID-19 Lack of legal protection for women informal workers. (2022, January 28). Economic and Political Weekly. https://www.epw.in/engage/article/violence-times-covid-19-lack-legal-protection*
4. *Dahiya, N. (2022). Women in the informal and unorganised sector – constitutional safeguards and social security. KnowLaw. https://knowlaw.in/index.php/2022/09/06/women-in-the-informal-and-unorganised-sector/*
5. *महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण- Drishti IAS. (n.d.). Drishti IAS. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/creating-safe-workplace-for-women, visited on 21 July 2023.*
6. *अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक करना - Drishti IAS. (n.d.). Drishti IAS. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/formalizing-the-informal-sector, visited on 21 July 2023.*
7. *अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक करना - Drishti IAS. (n.d.). Drishti IAS. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/formalizing-the-informal-sector, visited on 21 July 2023.*
8. *वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021. (n.d.). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2020–2021.*
9. *Shankar, S. (2019). Women Helpline (WHL) scheme. IndiaFilings - Learning Centre. https://www.indiafilings.com/learn/women-helpline/, Visited on 23 July 2023.*

10. *Bhaskar, D. (2018, March 8). Dainik Bhaskar. https://www.bhaskar.com/news/NAT-NAN-UTLT-infog-women-helpline-telephone-numbers-5826115-PHO.html, Visited on 23 July 2023.*
11. *वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021. (n.d.). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2020–2021.*
12. *कानूनी जागरुकता कार्यक्रम | National Commission for Women. (n.d.). http://ncw.nic.in/hi/ncw, Visited on 21 July 2023.*
13. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
14. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
15. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
16. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
17. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
18. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
19. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
20. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
21. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
22. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
23. *Hkkjrh; lafo/kku] 1950*
24. *(1997) 6 SCC 241*
25. *Singh, S. (2022, April 28). Vishakha vs State of Rajasthan case in Hindi | विशाखा बनाम राजस्थान राज्य. Indian Constitution. https://www.indianconstitution.in/2022/04/vishakha-vs state-of-rajasthan-case-in.html, Visited on 21 July 2023.*
26. *(1989) 4 SCC 730*
27. *Bag, A. (2022, August 16). Child labour laws in India - iPleaders. iPleaders. https://blog.ipleaders.in/laws-related-child-labour-india/, Visited on 21 July 2023.*
28. *2015*
29. *2013*
30. *2016*
31. *2018*
32. *1992 AIR 38, 1992 SCR (3) 524*
33. *AIR 1993 SC 286*
34. *भारतीय संविधान, 1950*
35. *मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद भारतीय, https://indiankanoon.org/doc/1176691/, Visited on 23 July 2023*